हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

05 नवम्बर, 2019

खण्ड–3, अंक–2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 05 नवम्बर, 2019

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सदन की मेज पर रखा गया कागज–पत्र

सचिव द्वारा घोषणा

शोक प्रस्ताव

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष का अभिनन्दन

नियम 10 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र

गुरू नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब विधान सभा के विशेष स्मरणोत्सव सत्र के लिए अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा से प्राप्त आमंत्रण से संबधित सूचना

सदन में माननीय राज्यपाल के आगमन के संबध में सूचित नहीं करने का मामला उठाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

सदस्यों के फोटोग्राफ के संबंध में सूचना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का स्थगन

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

हरियाणा के भूतपूर्व विधायकों का अभिनन्दन

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

पंजाब विधान सभा के सदस्य का अभिनन्दन

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार 05 नवम्बर, 2019

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में सुबह 11.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 18 के अनुसरण में मुझे यह सूचना देनी है कि संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय ने आज दिनांक 5.11.2019 को प्रातः 10.30 बजे हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करने की कृपा की है। उनके अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है।

(अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई)

माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सभासदो !

मुझे नवगठित 14वीं हरियाणा विधानसभा के प्रथम सत्र में आप सभी का अभिनन्दन करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। आप सभी को इस गरिमामय सदन का सदस्य बनने पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विधानसभा में रचनात्मक और फलदायी चर्चा के लिए मैं, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। राज्य में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न हुए हैं। इसके लिये मतदाता, भारत का निर्वाचन आयोग और पूरा निर्वाचन तंत्र बधाई के पात्र हैं।

मेरी नवगठित सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए कृषि का विकास और किसानों का कल्याण मेरी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। चूंकि हरियाणा के कर्मठ किसान इस समय रबी की बीजाई में लगे हैं, मेरी सरकार ने अच्छी किस्म के बीजों और उर्वरकों समेत समुचित मात्रा में सभी कृषि उत्पादक सामग्रियों की व्यवस्था की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप किसानों को कृषि पद्धतियां निर्धारित समय के अनुसार अपनाने के लिए प्रेरित करने में सरकार के प्रयासों में सहयोग करें। विशेषकर, किसान 15 नवम्बर से पहले गेहूं की फसल की सारी बीजाई पूरी कर लें, क्योंकि इसके बाद बीजाई में प्रतिदिन की देरी होने पर उत्पादकता कम हो जाती है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2018–2019 में किसानों को 1998 करोड़ रुपये के क्लेम दिये गये, जबकि किसानों ने बीमा किश्त

के रूप में 646 करोड़ रुपये अदा किए। राज्य में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14 लाख से अधिक किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है और प्रधान मंत्री मान धन योजना के तहत 3 लाख 90 हजार किसान पंजीकृत हैं। इस योजना में उन्हें 60 साल की आयु के बाद 3 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। ऋण की अदायगी में चूक करने वाले किसानों की सहायता के लिए तीन एकमुश्त निपटान योजनाएं इस समय चल रही हैं। अब तक इन योजनाओं के तहत लगभग 75,000 किसानों ने 220 करोड़ रुपये का सम्पूर्ण ब्याज व दण्ड ब्याज माफी का लाभ उठाया है। ये किसान अब सहकारी बैंक तथा समितियों से फसली एवं अन्य ऋण लेने के पात्र हो गए हैं। मुझे आशा है कि आप अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किसानों को 30 नवंबर, 2019 से पहले इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे।

राज्य के किसानों को उनकी फसलों का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने में हरियाणा की देशभर में अनूठी पहचान है। सरकारी एजेंसियाँ न केवल गेहूं और धान की, बल्कि दूसरी फसलों जैसे कि सरसों, सूरजमुखी, बाजरा, मूंग, मक्का आदि की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तत्परता से खरीद करती हैं। यही नहीं, आलू, टमाटर, फूलगोभी और प्याज की फसल के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की गई है। मेरी सरकार इन प्रयासों को जारी रखेगी और अमरूद, गाजर व मटर को भी भावान्तर भरपाई योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा। मेरी सरकार विशिष्ट मंडियां जैसे कि पिंजौर में आधुनिक सेब मंडी, गुरुग्राम में फूलों की मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी भी स्थापित करेगी। इसके साथ ही, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के विकास की गति को और तेज करेगी। मेरी सरकार पशु पालकों को उच्च कोटि के पशु पालने के लिए प्रोत्साहित करने तथा पशु पालन की आधुनिक पद्धतियों और डेयरी उपकरणों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये जिला स्तर पर पशु प्रदर्शनियां आयोजित करेगी।

मेरी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का और अधिक प्रयोग करते हुए जमाबंदी, इंतकाल और खसरा गिरदावरी क समस्त राजस्व रिकॉर्ड को उपयोगकर्त्ता अनुकूल बनाएगी । सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से एक

व्यापक जीआईएस मैपिंग की जाएगी, जिससे समेकित योजना बनाने, भूमि का सटीक सीमांकन करने और भूमि प्रयोग परिवर्तनों का पता लगाने में मदद मिलेगी। समयबद्ध तरीके से बहुत पुराने राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जायेगा और राजस्व रिकॉर्ड कक्षों का आधुनिकीकरण किया जायेगा। मेरी सरकार अत्याधुनिक एकल मानचित्र हरियाणा भी तैयार करेगी, जिसमें विभिन्न नागरिक केंद्रित स्थानिक जानकारियां और सेवाएं निरंतर अद्यतन की जाएंगी।

आप सभी जानते हं कि हरियाणा पानी की कमी वाला राज्य है। मेरी सरकार एसवाईएल के माध्यम से रावी ब्यास के अतिरिक्त पानी में से हमारा न्यायोचित हिस्सा हरियाणा में शीघ्र ही लाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। मेरी सरकार हांसी–बुटाना बहुउद्देश्यीय लिंक चैनल के शीघ्र परिचालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले की मुस्तैदी से पैरवी करेगी। यमुना व इसकी सहायक नदियों पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी नामक तीन बड़े भण्डारण बांधों का निर्माण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अन्तर्राज्यीय अनुमतियां मिलने के बाद शिवालिक की निचली पहाड़ियों में 12 भण्डारण बांधों का निर्माण भी किया जाएगा। पानी की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का दोबारा इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मेरी सरकार जल शक्ति अभियान में तीव्रता लाकर ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जल संरक्षण उपायों पर बल देगी। हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में तालाबों को गहरा करने और उनके पुनरूत्थान पर बल दिया जाएगा। भूमिगत जल के रिचार्ज के लिये छतों पर जल संचयन ढांचे और सोख्ता गड्डे स्थापित करने के प्रयासों में तीव्रता लाई जाएगी।

मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण करके और उन्हें अधिक कार्य व वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करके उनका सशक्तिकरण करेगी। उनके पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे और नागरिक संचालित सामाजिक लेखा परीक्षा पद्धति लागू की जाएगी। हरियाणा द्वारा गठित अंतर–जिला परिषद्

एक अनूठा संस्थान है। पंचायती राज संस्थाओं में तालमेल व विचारों के आदान–प्रदान के लिए इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के मापदण्ड, ठोस कचरा प्रबंधन और गलियों में रोशनी की व्यवस्था का समुचित विस्तार किया जाएगा।

मेरी सरकार अंत्योदय के सिद्धांत का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का अंत्योदय की मूल भावना के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। इस योजना में ऐसे परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है और भूमि जोत पांच एकड़ तक है, को 6 हजार रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित भारत सरकार की अन्य बीमा और पैंशन योजनाओं के लाभाथियों के अंशदान का भार राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा शेष राशि नकद के रूप में या परिवार भविष्य निधि में निवेश के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। यह अग्रणी पहल सक्रिय शासन के लिए मार्गदर्शक साबित होगी और अंत्योदय व सतत् विकास को एक मजबूत आधार देगी। यह बड़े सन्तोष की बात है कि राज्य में जी.एस.टी. की प्राप्तियों में समुचित वृद्धि हो रही है। मेरी सरकार व्यापारियों, उद्यमियों और सेवाप्रदाताओं के हित में जी.एस.टी. के क्रियान्वयन को और सरल बनाने के प्रयास करेगी।

हरियाणा में औद्योगिकीकरण की अपार संभावनाएं हैं। अनेक विनियामक सुधारों को लागू कर और प्रक्रियाओं के सरलीकरण की मदद से हरियाणा राज्य पिछले पांच सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अखिल भारतीय रैंकिग में देश में 14वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। मेरी सरकार का प्रयास ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राज्य को देश में अग्रणी बनाने का होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों की सहायता के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें।

मेरी सरकार हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के समुचित अवसर सृजित करने तथा उनकी शिक्षा, कौशल विकास और उनकी रोजगार

योग्यता बढाने के लिए अपनी जिम्मेवारी के प्रति सचेत है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये चयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता अनुसार नौकरियां उपलब्ध करवाने से हमारे राज्य में एक सकारात्मक नया मील पत्थर स्थापित हुआ है। इससे दक्ष और जबाबदेह प्रशासन की सुदृढ नींव पड़ी है। पारदर्शी भर्ती नीति को जारी रखते हुए इसकी प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाएगा । मेरी सरकार प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिये यह सुनिश्चित करेगी कि हर जिले में नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित किये जाएं। मेरी सरकार का लक्ष्य 2 लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार योग्य बनाने का है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निम्न आय वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। मेरी सरकार नवीन विचारों और रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट–अप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनायेगी।

हम सबको इस बात का गर्व है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा के खिलाड़ी कई पदक जीत कर राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। राष्ट्रमंडल खेल–2018 में भारत द्वारा जीते गए कुल 66 पदकों में से 22 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। एशियाई खेल–2018 में हमारे खिलाड़ियों ने कुल 69 पदकों में से 17 पदक जीते। मेरी सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पारदर्शी ढंग से नौकरियां और नकद पुरस्कार प्रदान करेगी। होनहार खिलाड़ियों को तराशने के लिए समुचित खेल सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य में बड़ी संख्या में खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। राई में स्थापित किए जा रहे अनूठे खेल विश्वविद्यालय के विकास में तेजी लाई जायेगी।

मेरी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता व स्कूली विद्यार्थियों के शिक्षण स्तर में सुधार करने और उनको व्यावसायिक शिक्षण प्रदान करने के लिय शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधार करने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2019 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की तर्ज़ पर पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों

को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। हर राजकीय विद्यालय में आधुनिक संरचना उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें सौर पैनल, स्मार्ट कक्षाएं, आधुनिक डयूल डेस्क शामिल हैं। उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कम्प्यूटर की प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। मेरी सरकार ई–लर्निंग और शैक्षणिक निगरानी के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने के भी प्रयास करेगी। 8वीं कक्षा से लेकर आगे की कक्षाओं के विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। छठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हर मास 6 सेनेटरी पैड का एक पैकेट उपलब्ध करवाकर मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाएगा। अपने स्कूलों से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर रहने वाली छात्राओं को मुफ्त परिवहन सुविधा जारी रहेगी।

मेरी सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हैल्थ फॉर आल के विजन को साकार करने के लिए, मेरी सरकार उन सभी परिवारों को निःशुल्क उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है या जिनकी भूमि जोत 5 एकड़ से कम है। उच्च आय वाले परिवारों को भुगतान के आधार पर इसी तरह की सुविधाओं की पेशकश की जाएगी। मेरी सरकार आगामी वर्षों में 2,000 और हैल्थ एवं वैलनेस सैंटर खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। जनऔषधि केन्द्रों और नैदानिक प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जायेगी। विटामिन बी–12 एवं फोलेट की कमी सहित कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये पोषणयुक्त आटा वितरित किया जायेगा। मेरी सरकार पंचकूला में 270 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित हो रहे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कार्य में तेजी लाएगी। इस संस्थान के साथ 250 बिस्तरों का एक अस्तपाल भी होगा। मेरी सरकार नव गठित योग परिषद् को सुदृढ़ बनायेगी। यह परिषद् अपने प्रयासों से हरियाणा के लोगों को योग के प्रति जागरूक और इसे अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।

मेरी सरकार लैंगिक समानता और महिलाओं व लड़कियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ

कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के राज्य के प्रयासों की भारत सरकार द्वारा भूरि–भूरि प्रशंसा की गई है। मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर आगे भी बल देती रहेगी ताकि वे हिंसा मुक्त और भेदभाव रहित वातावरण में विकास प्रक्रिया में समान योगदान दे सकें। मेरी सरकार राज्य को एनीमिया मुक्त बनाने पर बल देगी। इसके लिये किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषाहार की आवश्यकताओं को पूरा करने पर बल दिया जाएगा। इससे शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में सहायता मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा मरी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। विद्यालयों में मुफ्त आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। महिलाओं के विरूद्ध अपराध को रोकने के लिए संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों और बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों के मुकद्मों के तीव्रता से निपटान के लिये चार डैडिकेटिड फास्ट ट्रैक कोर्ट और 12 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएंगी। मेरी सरकार यौन एवं लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिये एक विस्तृत कार्य योजना बनाएगो।

मेरी सरकार समाज के सभी वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि और डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित सभी धर्मों और समाज सुधारकों के विचारों का प्रचार–प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यभर में उनकी शिक्षाआं का प्रसार करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों के विभिन्न बैकलॉग को भरने का अभियान चलाएगी।

मेरी सरकार मादक पदार्थों के विरूद्ध सुनियोजित एवं प्रबल ढंग से लड़ाई लड़ेगी। नशामुक्ति और पुनर्वास से जुड़ी सेवाओं में विस्तार करने के साथ–साथ मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और रोकने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। इस कार्य योजना में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करना, मजबूत खुफिया नेटवर्क

का निर्माण करना, नशामुक्ति केंद्रों एवं पुनर्वास सुविधाओं को बढ़ाना और व्यापक सामुदायिक प्रयास करना शामिल हैं।

बड़े गर्व की बात है कि देश का हर 10वां सैनिक हरियाणा राज्य से है। मेरी सरकार उनकी राष्ट्र सेवा और उनके द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदानों का सम्मान करती है। मेरी सरकार इसे अपना पावन कर्त्तव्य समझते हुए शहीदों के परिवारों और भारतीय थलसेना, नौसेना और वायुसेना तथा विभिन्न अर्धसैनिक बलों के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार समान और निष्पक्ष ढंग से राज्य के हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आरओबी/आरयूबी का निर्माण करके वर्ष 2020 तक सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों को भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से बेहतर बनाया जाएगा। हरियाणा ऑरबिटल रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। सड़कों पर यातायात की भीड़ को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में कुछ और एलिवेटिड रेलवे लाइन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्रोय राजधानी क्षेत्र में मेट्रो नेटवर्क का और विस्तार किया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट से देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए हवाई संपर्क बढ़ाया जाएगा। सभी सरकारी भवनों और अन्य बुनियादी ढांचों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के प्रयास किए जाएंगे।

मेरी सरकार सभी के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे अच्छी गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। नलकूप कनैक्शन प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किये जाएंगे। ऊर्जा की कम खपत के पंप–सेट और सौर पंप–सेट लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, विशेषकर सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सौर स्ट्रीट लाइट, सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली और लोगों के घरों पर रियायती सौर प्रणाली उपलब्ध करवाई जाएगी। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और अंबाला को सौर शहरों के रूप में विकसित करने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की जाएगी। इसका

उद्देश्य इन शहरों की जरूरत की कम से कम 20 प्रतिशत ऊर्जा को सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है।

यह गर्व का विषय है कि हरियाणा के हर घर में एक रसोई गैस कनैक्शन दिया गया है, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अब मेरी सरकार 2024 तक हर ग्रामीण परिवार के घर में नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराएगी।

मेरी सरकार नागरिकों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके प्रति आम जनता को संवेदनशील बनाने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। एकल उपयोग प्लास्टिक को रोकने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। अधिक प्रदूषण के स्तर का सामना कर रहे क्षेत्रों में स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए सघन वानिकी परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर लाया जाएगा।

मेरी सरकार राज्य में शांति बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास करने को कृतसंकल्प है। नागरिकों के लिए अस्पताल, पुलिस सहायता, अग्निशमन सेवाएं आदि आपातकालीन सेवाएं एक कॉल के माध्यम से प्रदान करने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी और जीपीएस का उपयोग करते हुए केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष के साथ एक एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित की जाएगी। नई तकनीक का उपयोग करते हुए मोबाइल फोरेंसिक युनिट्स तथा हिसार व पंचकुला में क्षेत्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करके अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा।

मेरी सरकार प्रभावी ढंग से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशासनिक सुधारों को और अधिक मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेरी सरकार निचले स्तर पर प्रशासन को अधिक विकेन्द्रीकृत, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करेगी। मेरी सरकार प्रशासन की दक्षता में सुधार करने के लिए समय–समय पर कार्य–प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन एवं निरुत्साहन प्रणाली की स्थापना के लिए भी कदम उठाएगी।

मेरी सरकार शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे की कड़ियों को आर मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मेरी सरकार ''हरियाणा एक–हरियाणवी एक'' की आदर्श नीति का अनुसरण करती रहेगी। मेरी सरकार चुस्त, जिम्मेदार, भ्रष्टाचारमुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था दृढ़ता से कायम रखेगी तथा प्रदेश के हर क्षेत्र में समान, व्यापक और चहुंमुखी विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। मेरी सरकार का इरादा ईज़ ऑफ लिविंग इंडैक्स में हरियाणा को देश का एक अग्रणी राज्य बनाने का है। इस दिशा में मेरी सरकार हरियाणा में एकरसता, कर्मठता, समानता, सम्पन्नता, ज्ञानवत्ता, सुख और शान्ति की सप्त सरिता का प्रवाह करेगी।

माननीय सदस्यगण! हरियाणा के नागरिकों को आपसे और इस गरिमामयी सदन से बहुत उम्मीदें हैं। जहाँ मेरी सरकार सबकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त बातों पर कार्य करेगी, आप सभी का भी लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने और उनकी आवाज उठाने का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप हरियाणा के नवनिर्माण के लिए अपने आपको समर्पित करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें। मैं कामना करता हूं कि इस सदन में आगामी पांच वर्षों में बहुत ही फलदायी और रचनात्मक विचार मंथन होगा।

जय हिन्द!

.....

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 13–(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूँ:–

1. श्री असीम गोयल, विधायक
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक
3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक
4. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक

सदन की मेज पर रखा गया कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अधीन जारी की गई भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 308/एच.ए. आर–एल ए./2019, दिनांक 25 अक्तूबर, 2019 की प्रति सदन की मेज पर रखता हूँ।

सचिव द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे।

श्री सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने फरवरी–मार्च, 2017, मार्च, 2018, फरवरी, 2019 तथा अगस्त, 2019 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर *राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

फरवरी–मार्च सत्र, 2017

* पेप्सु अभिधृति और कृषि भूमि (हरियाणा संशोधन), विधेयक, 2017

मार्च सत्र, 2018

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन), विधेयक, 2018

फरवरी सत्र, 2019

हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क विधेयक, 2019

अगस्त सत्र, 2019

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2019.
2. हरियाणा गोवंश संरक्षण तथा गोसंवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2019.
3. हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019.
4. हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019.
5. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2019
6. पंजाब विद्युत (आपात–शक्ति) हरियाणा निरसन विधेयक, 2019

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान हमारे बीच में से बहुत सारे महानुभाव हमें छोड़कर चले गए हैं, मैं उन सबके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सदन की ओर से यह शोक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखता हूँ:–

Jherh lq"kek Lojkt] HkwriwoZ dsUnzh; ea=h

;g lnu HkwriwoZ dsUnzh; ea=h Jherh lq"kek Lojkt ds 6 vxLr] 2019 dks gq, nq%[kn fu/ku ij xgjk 'kksd izdV djrk gSA

Jherh lq"kek Lojkt dk tUe 14 Qjojh] 1952 dks gqvkA os o"kZ 1977 rFkk 1987 esa gfj;k.kk fo/kkulHkk dh lnL; pquh xbZa rFkk 1977&1979 rFkk 1987&1990 ds nkSjku ea=h jghaA os o"kZ 1990] 2000 rFkk 2006 esa jkT; lHkk rFkk 1996] 1998] 2009 rFkk 2014 esa yksdlHkk dh lnL; pquh xbZaA os o"kZ 1996] 1998] 2000&2004 rFkk 2014&2019 ds nkSjku dsUnzh; ea=h jghaA mUgsa dsUnzh; eaf=eaMy esa jgrs gq, lwpuk ,oa izlkj.k] nwjlapkj] LokLF; ,oa ifjokj dY;k.k] lalnh; dk;Z rFkk fons'k ea=ky; laHkkyus dk xkSjo izkIr gqvkA os o"kZ 2009 ls 2014 ds nkSjku yksd lHkk esa foi{k dh usrk Hkh jghaA os 13 vDrwcj] 1998 ls
3 fnlEcj] 1998 rd fnYyh dh eq[;ea=h jghaA mudh iztkrkfU=d ewY;ksa esa xgjh vkLFkk FkhA mUgksaus vke vkneh dh t:jrksa dks iwjk djus ds fy, fu%LokFkZ la?k"kZ fd;kA

muds fu/ku ls ns'k ,d vfr yksdfiz; jktusrk o dq'ky iz'kkld dh lsokvksa ls oafpr gks x;k gSA ;g lnu fnoaxr ds

'kksd&larIr ifjtuksa ds izfr viuh gkfnZd laosnuk izdV djrk gSA

&&&&&

Jh v#.k tsVyh] HkwriwoZ dsUnzh; ea=h

;g lnu HkwriwoZ dsUnzh; ea=h Jh v#.k tsVyh ds 24 vxLr] 2019 dks gq, nq%[kn fu/ku ij xgjk 'kksd izdV djrk gSA

Jh v#.k tsVyh dk tUe 28 fnlEcj] 1952 dks gqvkA os o"kZ 2000] 2006] 2012 rFkk 2018 esa jkT; lHkk ds fy, fuokZfpr gq;sA os o"kZ 1999&2000 ds nkSjku dsUnzh; jkT; ea=h rFkk o"kZ 2000&02] 2003&04 rFkk 2014&19 ds nkSjku dsUnzh; ea=h jgsA mUgsa dsUnzh; eaf=eaMy esa jgrs gq, foŸk] j{kk] lwpuk ,oa izlkj.k] okf.kT; ,oa m|ksx] ty ifjogu] fof/k vkSj U;k; tSls egRoiw.kZ ea=ky; laHkkyus dk xkSjo izkIr gqvkA os 3 twu] 2009 ls 26 ebZ] 2014 rd jkT; lHkk esa foi{k ds usrk Hkh jgsA os 2 twu] 2014 dks jkT; lHkk esa lnu ds usrk pqus x;sA mUgsa o"kZ 2010 esa mR—"V lakln iqjLdkj ls lEekfur fd;k x;kA os o"kZ 1989&90 ds nkSjku Hkkjr ds vfrfjDr lkWfyfLkVj tujy Hkh jgsA mUgksaus dkuwuh vkSj lelkef;d eqn~~nksa ij vusd ys[k fy[ksA os LokfHkekuh] vuq'kklufiz; vkSj Li"Voknh FksA mudh fof'k"V lsokvksa ds fy, jk"Vª mUgsa lnSo d``rKrk ds Hkko ls ;kn j[ksxkA

muds fu/ku ls ns'k ,d iz[kj jktusrk ,oa dq'ky iz'kkld dh lsokvksa ls oafpr gks x;k gSA ;g lnu fnoaxr ds 'kksd&larIr ifjtuksa ds izfr viuh gkfnZd laosnuk izdV djrk gSA

&&&&&

Jh nsoh nkl] gfj;k.kk fo/kku lHkk ds HkwriwoZ lnL;

;g lnu gfj;k.kk fo/kku lHkk ds HkwriwoZ lnL; Jh nsoh nkl ds 3 flrEcj] 2019 dks gq, nq%[kn fu/ku ij xgjk 'kksd izdV djrk gSA

mudk tUe uoEcj] 1935 esa gqvkA os o"kZ 1977] 1982 rFkk 1987 esa gfj;k.kk fo/kku lHkk ds lnL; pquss x;sA os lekt ds xjhc ,oa det+ksj oxZ ds yksxksa ds dY;k.k ,oa mRFkku ds fy, lnSo lefiZr jgsA

muds fu/ku ls jkT; ,d vuqHkoh fo/kk;d dh lsokvksa ls oafpr gks x;k gSA ;g lnu fnoaxr ds 'kksd&larIr ifjtuksa ds izfr viuh gkfnZd laosnuk izdV djrk gSA

&&&&&

gfj;k.kk ds LorU=rk lsukuh

;g lnu LorU=rk lsukuh Jh vehyky] xkao ehjiqj] ftyk jsokM+h ds 19 vDrwcj] 2019 dks gq, nq%[kn fu/ku ij xgjk 'kksd izdV djrk gSA

;g lnu fnoaxr ds 'kksd&larIr ifjtuksa ds izfr viuh gkfnZd laosnuk izdV djrk gSA

&&&&&

gfj;k.kk ds 'kghn

;g lnu izns'k ds mu ohj lSfudksa dks viuk vJqiw.kZ ueu djrk gS] ftUgksaus ekr`Hkwfe dh ,drk vkSj v[k.Mrk dh j{kk ds fy, vnE; lkgl vkSj ohjrk dk ifjp; nsrs gq, vius izk.k U;kSNkoj dj fn,A

bu ohj lSfudksa ds uke bl izdkj gSa %

1- estj ohjsanz] xkao [kSjkuh] ftyk egsUnzx<+A

2- dSIVu banzthr] vEckyk Nkouh] ftyk vEckykA

3- goynkj yhykjke] xkao csjyk] ftyk pj[kh nknjhA

4- goynkj [kq'khZn vgen] xkao jk;iqjh] ftyk uwagA

5- ykal uk;d —".k dqekj] xkao [ksM+h [kqEekj] ftyk >TtjA

6- flikgh lrh'k dqekj] xkao fdYkM+ksn] ftyk >TtjA

7- flikgh lanhi dqekj] xkao dkfy;kokl] ftyk >TtjA

8- flikgh lquhy dqekj] xkao jktqiqj] ftyk xq#xzkeA

9- flikgh j.knhi] xkao gj;kSyh] ftyk vEckykA

;g lnu bu ohjksa dh 'kgknr ij 'kr~&’kr~ ueu djrk gS vkSj buds 'kksd&larIr ifjtuksa ds izfr viuh gkfnZd laosnuk izdV djrk gSA

&&&&&

;g lnu

HkwriwoZ eq[;ea=h pkS/kjh vkse izdk'k pkSVkyk dh iRuh] **Jherh Lusg yrk th**(

fo/kk;d Jh—".k gqM~~Mk dh HkkHkh] **Jherh fo|korh th**(

fo/kk;d Jh vkse izdk'k ;kno ds pkpk] **Jh 'ksj flag th**(

iwoZ fo/kk;d Jh dsgj flag jkor ds nknk] **Jh Mkypan jkor th**(

rFkk

iwoZ fo/kk;d Jh jktnhi flag ds firk] **Jh lq[kh jke th** ds nq%[kn

fu/ku ij xgjk 'kksd izdV djrk gSA

;g lnu fnoaxrksa ds 'kksd&larIr ifjtuksa ds izfr viuh gkfnZd laosnuk izdV djrk gSA

&&&&&

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला किलोई) : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के नेता ने, जो वरिष्ठ साथी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं । मैं भी उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के 6 अगस्त, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी, 1952 को हुआ । वे वर्ष 1977 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा की सदस्य चुनी गईं तथा 1977–79 तथा 1987–90 के दौरान मंत्री रहीं । वे वर्ष 1990, 2000 तथा 2006 में राज्य सभा तथा 1996, 1998, 2009 तथा 2014 में लोकसभा की सदस्य चुनी गईं । वे वर्ष 1996, 1998, 2000–2004 तथा 2014–2019 के दौरान केन्द्रीय मंत्री रहीं । उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए सूचना एवं प्रसारण, दूरसंचार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य तथा विदेश मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ । वे वर्ष 2009 से 2014 के दौरान लोकसभा में विपक्ष की नेता भी रहीं । वे 13 अक्तूबर, 1998 से 3 दिसम्बर, 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं । उनकी प्रजातान्त्रिक मूल्यों में गहरी आस्था थी । उन्होंने आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निःस्वार्थ संघर्ष किया । मुझे भी वर्ष 1996 और 1998 में उनके साथ लोकसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । प्रजातंत्र में किसी माननीय सदस्य का जैसा व्यवहार होना चाहिए उस हिसाब से उनका व्यवहार बहुत अच्छा था । इसके लिए मैं सदैव उनकी प्रशंसा करता था ।

उनके निधन से देश एक अति लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी और अपनी तरफ से भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरूण जेटली के 24 अगस्त, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं ।

श्री अरूण जेटली का जन्म 28 दिसम्बर, 1952 को हुआ । वे वर्ष 2000, 2006, 2012 तथा 2018 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए । वे वर्ष 1999–2000 के दौरान केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा वर्ष 2000–02, 2003–04 तथा 2014–19 के

दौरान केन्द्रीय मंत्री रहे । उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए वित्त, रक्षा, सूचना एवं प्रसारण, वाणिज्य एवं उद्योग, जल परिवहन, विधि और न्याय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने का गौरव प्राप्त हुआ । वे 3 जून, 2009 से 26 मई, 2014 तक राज्य सभा में विपक्ष के नेता भी रहे । वे 2 जून, 2014 को राज्य सभा में सदन के नेता चुने गये । उन्हें वर्ष 2010 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया । वे वर्ष 1989–90 के दौरान भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे । उन्होंने कानूनी और समसामयिक मुद्दों पर अनेक लेख लिखे । वे स्वाभिमानी, अनुशासनप्रिय और स्पष्टवादी थे । उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र उन्हें सदैव कृतज्ञता के भाव से याद रखेगा । वे व्यक्तिगत तौर पर मेरे बहुत ही करीबी मित्र थे । अध्यक्ष महोदय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के दौरान हम दोनों इकट्ठे थे । मैं आगे था और वे पीछे थे । दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति में भी हम नजदीकी रहे और बाद में बहुत अच्छे मित्र रहे । वे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे ।

उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है । मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं ।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री देवी दास के 3 सितम्बर, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। उनका जन्म नवम्बर, 1935 में हुआ है। वे वर्ष 1977, 1982 तथा 1987 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे समाज के गरीब एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से स्वतन्त्रता सेनानी श्री अमीलाल, गांव मीरपुर, जिला रेवाड़ी के 19 अक्टूबर, 2019 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चन्द ही स्वतन्त्रता सेनानी बचे हुए हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता हूं, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा

के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम हैं – मेजर वीरेंद्र, गांव खैरानी, जिला महेन्द्रगढ़, कैप्टन इंद्रजीत, अम्बाला छावनी, जिला अम्बाला, हवलदार लीलाराम, गांव बेरला, जिला चरखी दादरी, हवलदार खुर्शीद अहमद, गांव रायपुरी, जिला नूंह, लांस नायक कृष्ण कुमार, गांव खेड़ी खुम्मार, जिला झज्जर, सिपाही सतीश कुमार, गांव किलड़ोद, जिला झज्जर, सिपाही संदीप कुमार, गांव कालियावास, जिला झज्ज्र, सिपाही सुनील कुमार, गांव राजुपुर, जिला गुरूग्राम, सिपाही रणदीप, गांव हरयौली, जिला अम्बाला। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से इन वीरों की शहादत पर शत्–शत् नमन करता हूं और इनके शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी श्रीमती स्नेह लता जी, विधायक श्री श्रीकृष्ण हुड्डा की भाभी श्रीमती विद्यावती जी, विधायक श्री ओम प्रकाश यादव के चाचा श्री शेर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री केहर सिंह रावत के दादा श्री डालचंद रावत जी तथा पूर्व विधायक श्री राजदीप सिंह के पिता श्री सुखी राम जी के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं खुद को और अपनी पार्टी को भी इस शोक प्रस्ताव में शामिल करता हूं। शोक संख्या 1 से लेकर 6 तक में बहुत सारे ऐसे महानुभावों का नाम है, जो हरियाणा प्रदेश से संबंध रखते थे। देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने केन्द्र सरकार/हरियाणा सरकार में अलग–अलग पदों पर रहते हुए प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। इनमें सबसे पहले श्रीमती सुषमा स्वराज जी (भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री) का नाम है। हमारा उनके साथ बहुत पुराना संबंध और नाता रहा है। वे सन् 1977 में पहली बार हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनकर आयी थीं और उस वक्त चौधरी देवी लाल जी इस विधान सभा में सदन के नेता थे। श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने उनके साथ मंत्री के रूप में राजनीतिक जीवन शुरू किया। श्रीमती सुषमा स्वराज जी के साथ हमारे राजनीतिक ही नहीं बल्कि

पारिवारिक संबंध भी थे। इनके निधन से उनके परिवार और देश/प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता आयी है। हमें भी इससे अत्यंत दुःख हुआ है।

उनके निधन से देश एक अति लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही साथ भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली जी, जिन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में भी राज्य सभा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन्होंने देश में अलग–अलग मंत्रालयों में रहकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उनसे भी हमारे पारिवारिक रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते भी रहे थे। मैं समझता हूं कि इनके चले जाने से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके बारे में यह कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि देश और प्रदेश को राजनीतिक तौर पर उनकी कमी महसूस हो रही है और हमें भी उनके जाने का अत्यंत दुःख है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के भूतपूर्व विधायक देवी दास जी के निधन से देश एक अति लोकप्रिय राजनेता व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हरियाणा प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी श्री अमीलाल जी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी थी, आज वे भी हमारे बीच में नहीं है। हरियाणा प्रदेश के वीर सैनिकों ने देश की रक्षा करते हुए अपनी शाहदत दी। इसी तरह से जो हमारी विधान सभा के सदस्य रहे थे उनके परिवार के सदस्य भी आज हमारे बीच में नहीं हैं। सदन के नेता ने और विपक्ष के नेता ने उनके परिवारजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की हैं। मैं भी अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखे हैं, उनमें स्वर्गीय भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी का नाम है। उनके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने सदन में चर्चा भी की है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पार्लियामैंट का 5 साल का जो टर्नओवर था, उसमें मुझे स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला था। अध्यक्ष महोदय, देश में विदेशी मामलों से संबंधित जब भी कोई ऐसी समस्या आई तो स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने देश हित में हमेशा तत्पर रहकर देश के नागरिकों की सेवा करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, इसी

प्रकार से स्वर्गीय श्री अरुण जेटली, केन्द्रीय सरकार में रक्षा मंत्री एंव वित्त मंत्री भी रहे थे। उन्होंने देश के लिए एक ऐसा लैंड मार्क तय किया जिसके कारण सरकार ने आज पूरे देश को जी.एस.टी. के माध्यम से टैक्सेशन को एक सर्कल में करने का काम किया। मुझे श्री अरुण जेटली जी के साथ 5 साल काम करने का सौभाग्य भी मिला था। मैं समझता हूं कि इन्होंने हमारे देश को ग्लोबली स्ट्रैग्थन करने और देश को आगे ले जाने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से स्वर्गीय चौधरी देवी दास जी भी इस महान सदन के पूर्व सदस्य रहे थे। मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य भी मिला था। उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव मेरे साथ सांझे भी किए थे। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री अमीलाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। यदि हम स्वतंत्रता सेनानियों की गिनती करते हैं तो देश और प्रदेश में ऐसे वीर बहुत कम ही होंगे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने आपको आगे रखने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा हमारे हरियाणा के शहीद हुए वीर सैनिकों की शहादत पर भी अपना नमन करता हूं और मैं भी अपनी तरफ से इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नेता ने सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं। मैं भी इस शोक प्रस्ताव के लिए अपनी भावनाएं सदन के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का राजनीतिक जीवन बहुत लम्बा रहा था और उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छे प्रखर नेता के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इस बात को पूरा भारतवर्ष जानता है। अध्यक्ष महोदय, मैं और स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी इस महान सदन में वर्ष 1987 में चुनकर आये थे। अध्यक्ष महोदय, हम दोनों ने मंत्रीमंडल में इक्ट्ठे मंत्री के रूप में काम किया और मुझे उस वक्त उनके साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला था। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी को लोकसभा में भी देखने का सौभाग्य मिला था। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वे एक ऐसी राजनेता थी, जिनकी गैरहाजिरी आज भी इस महान सदन को, लोकसभा को और राज्यसभा को महसूस हो रही है और ऐसा कोई विरला ही राजनेता होता है जिनकी तीनों सदनों में कमी महसूस की जाती हो। अध्यक्ष महोदय, जब मैं राज्यसभा का सदस्य था और मैं पार्लियामैंट के सैंट्रल हॉल में होता था तो जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी अपना भाषण सदन में देती थीं तो सभी सांसद सैंट्रल हॉल से उठकर स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी के भाषण को

सुनने के लिए सदन में चले जाते थे। उनको लगता था कि जब स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी बोल रही हैं तो कुछ अलग ही बात होगी क्योंकि उनके बोलने का ढंग कुछ अलग ही तरीके का होता था और वह अपने आप में एक अलग ही तरीके की पर्सनैल्टी रखती थीं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वर्गीय श्री अरुण जेटली की बात है तो उनको भी पूरे भारत की जनता जानती है। मैं अपने जीवन में उनकी एक बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मुझे उनसे सैंट्रल हॉल में मिलने का मौका मिला। मैंने उनके जितनी क्लैरिटी और कॉंफिडैंस आज तक किसी राजनेता में नहीं देखा क्योंकि किसी सीरियस बात को हंसी तक पहुंचाने में वे सक्षम थे। मैं समझता हूं कि वे बहुत ही विद्वान व्यक्ति के धनी थे। मैं आपके माध्यम से इस महान सदन में एक वाक्य सुनाना चाहता हूं। मैं एक बार उनसे मिलने उनके घर गया तो उनके घर के ऑफिस में श्री माधव राव सिंधिया जी की फोटो लगी हुई थी। जब मैंने स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी से इस बारे में प्रश्न किया कि आप सेंट्रल गवर्नमैंट के मिनिस्टर हो और आपने श्री माधव राव सिंधिया जी की फोटो क्यों लगा रखी है? वह फोटो आज भी उनके घर के ऑफिस में लगी है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया था कि मैं और माधव राव सिंधिया इक्ट्ठे गोल्फ खेला करते थे। जब उनकी डैथ हो गई तो श्रीमती माधव राव सिंधिया जी मेरे घर आई और यह फोटो उन्होंने ही मेरे घर में लगाई है। इतना ही नहीं मेरी तरह जो भी उनके नज़दीकी मित्र थे उन सभी के घर में उन्होंने श्री माधव राव सिंधिया जी की फोटो लगाई थी। इस प्रकार से पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनका और श्री माधव राव सिंधिया जी का रिश्ता था। उनके जो दोस्त थे वो उनके लिए किसी भी सीमा तक जाकर काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैं अपनी तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री देवी दास जी सन् 1987 में इसी हाउस के मैम्बर थे। मेरा उनके साथ तीन साल तक काम करने का अनुभव है। वे लगातार तीन बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे। बाद में वे सूरत (गुजरात) चले गये थे। उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन में बहुत ही अच्छे काम किये। मैं उनको भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके अलावा जिनका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शोक प्रस्ताव में किया है मैं उन सभी को भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मेरे हल्के झज्जर के खेतावास गांव के श्री राज कपूर, डिप्टी कमांडैंट, आई.टी.बी.पी. जोकि आई.टी. सैल, दिल्ली में नियुक्त थे,

उनका भी निधन हो गया है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि उनका नाम भी आज के शोक प्रस्तावों में शामिल कर लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो शोक–प्रस्ताव रखे है और उन पर विभिन्न पार्टियों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनायें प्रकट की हैं मैं भी अपनी भावनाएं उनके साथ जोड़ते हुए अपनी संवेदनायें प्रकट करता हूं।

मैं श्रीमती सुषमा स्वराज, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूं। वे दो बार हरियाणा विधान सभा की सदस्या चुनी गई और मंत्री भी रही। इसके अलावा वे तीन बार राज्य सभा और चार बार लोक सभा की सदस्या भी रही। उन्होंने केन्द्र सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार भी सम्भाला। वे लोक सभा में विपक्ष की नेता भी रही तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही। उन्होंने अपने पूरे जीवन में आम आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निःस्वार्थ संघर्ष किया। मुझे श्री अरूण जेटली, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री के हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक है। वे चार बार राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और राज्य सभा में विपक्ष के नेता भी रहे। उन्होंने केन्द्र सरकार में भी मंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार सम्भाला। उनको उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने अनेक कानूनी व सम सामयिक मुद्दों पर अनेकों लेख लिखे थे। मुझे श्री देवी दास, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के दुःखद निधन पर भी गहरा शोक है। वे तीन बार विधायक चुने गये और उन्होंने समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव कार्य किया। इसी तरह मुझे श्री अमी लाल, स्वतंत्रता सेनानी के हुए दुःखद निधन पर भी गहरा शोक है। इसी तरह देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षा करते हुए हरियाणा के जिन शहीदों ने अपने प्राण न्योछावर किये हैं मैं उनकी शहादत को भी नमन करता हूं। इसी तरह भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की धर्म पत्नी श्रीमती स्नेह लता जी तथा वर्तमान विधायकों और पूर्व विधायकों के जिन सम्बंधियों का दुःखद निधन हुआ है मुझे उन सभी के निधन पर भी गहरा शोक है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया ।)

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

12:00 बजे

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब एक सदस्य हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 व 266 को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 121 के अधीन नियम 231, 233, 235 व 266 के उपबंध जहां तक कि वे –

(i) लोक लेखा समिति **;**

(ii) प्राक्कलन समिति **;**

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति **;**तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ –

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 व 266 के उपबंध जहां तक कि वे –

(i) लोक लेखा समिति **;**

(ii) प्राक्कलन समिति **;**

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति **;**तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 व 266 के उपबंध जहां तक कि वे –

(i) लोक लेखा समिति **;**

(ii) प्राक्कलन समिति **;**

(iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति **;**तथा

(iv) अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए।

और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019–2020 की शेष अवधि के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे।

(प्रस्ताव पारित हुआ।)

.....

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष का अभिनन्दन

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी चन्द गहलोत, पूर्व विधायक, श्री सुभाष बराला तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन श्री के.सी. बांगड़ जी, सदन की अति विशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। यह सदन उनका हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत करता है।

.....

नियम 10 के निलम्बन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब एक सदस्य, नियम 121 के तहत नियम 10 को निलम्बित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 121 के तहत नियम 10 के प्रावधान, जो कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित हैं, को लागू होने से निलम्बित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 121 के तहत नियम 10 के प्रावधान, जो कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित हैं, को लागू होने से निलम्बित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

> कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 121 के तहत नियम 10 के प्रावधान, जो कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित हैं, को लागू होने से निलम्बित किया जाये।

(प्रस्ताव पारित हुआ।)

.....

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे/पुनः रखेंगे ।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं :–

हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप–क, लोक निर्माण (भवन तथा सडकें) विभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2019.(2019 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2)।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर पुनः रखता हूं :–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 22 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/एस.टी–2, दिनांकित 30 जून, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/एस.टी–2, दिनांकित 12 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/एस.टी–2, दिनांकित 17 जुलाई, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/एस.टी–2 दिनांकित 2

अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65./एस.टी–2, दिनांकित 2 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/एस.टी–2, दिनांकित 18 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/एस.टी–2, दिनांकित 5 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/एस.टी–2, दिनांकित 6 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/एस.टी–2, दिनांकित 19

सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/एस.टी–2, दिनांकित 22 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/एस.टी–2, दिनांकित 25 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/एस.टी–2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/एस.टी–2, दिनांकित 28 सितम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/एस.टी–2, दिनांकित 6 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 98/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 104/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 105/एस.टी–2, दिनांकित 13 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 106/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 107/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 108/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 109/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 110/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 111/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 112/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 113/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 114/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 115/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 116/एस.टी–2, दिनांकित 18 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 117/एस.टी–2, दिनांकित 24 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 118/एस.टी–2 दिनांकित 27 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 119/एस.टी–2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 120/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 121/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 122/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 123/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 124/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 125/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 126/एस.टी–2, दिनांकित 14 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 127/एस.टी–2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 128/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 129/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 130/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 131/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 132/एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 135/एस.टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2017 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 1/एस.टी–2, दिनांकित 4 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 2/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 3/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 4/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 5/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 6/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 7/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 8/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के

अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 9/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/एस.टी–2, दिनांकित 9 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/एस.टी–2, दिनांकित 11 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के

अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/एस.टी–2, दिनांकित 25 जनवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/एस.टी–2, दिनांकित 2 फरवरी, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/एस.टी–2, दिनांकित 15 मार्च, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/एस.टी–2, दिनांकित 15 मार्च, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/एस.टी–2, दिनांकित 30 मार्च, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/एस.टी–2, दिनांकित 30

मार्च, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/एस.टी–2, दिनांकित 6 अप्रैल, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/एस.टी–2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/एस.टी–2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 मई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 मई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 मई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 मई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 जून, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 जून, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 19 जून, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी–2, 29 जून, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, 6 जुलाई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी–2 दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी–2, 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2018 मेज पर पुनःरखेंगे।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अगस्त, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/जी.एस.टी –2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/जी.एस.टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 96/जी.एस.टी–2, दिनांकित 25 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 97/जी.एस.टी–2, दिनांकित 30 अक्तूबर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 99/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 नवम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 100/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 नवम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 104/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 105/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 106/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 107/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 108/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 109/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2018 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना/शुद्धिपत्र संख्या 04/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के

अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 जनवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना/शुद्धिपत्र संख्या 25/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 फरवरी, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी–2, दिनांकित 8 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के

अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी–2, दिनांकित 11 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी–2, दिनांकित 10 मई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी–2, दिनांकित 15 मई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी–2, दिनांकित 3 जून, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 जून, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 जून, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के

अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी–2, दिनांकित 18 जुलाई, 2019 ।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित कागज–पत्र सदन के पटल पर रखता हूं :–

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अगस्त, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अगस्त, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 अगस्त, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 अगस्त, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75/जी.एस.टी–2, दिनांकित 5 अगस्त, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76/जी.एस.टी–2, दिनांकित 22 अगस्त, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77/जी.एस.टी–2, दिनांकित 28 अगस्त, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 78/जी.एस.टी–2, दिनांकित 4 सितम्बर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79/जी.एस.टी–2, दिनांकित 6 सितम्बर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 80/जी.एस.टी–2, दिनांकित 9 सितम्बर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 81/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 82/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 85/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 86/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 87/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 88/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 89/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 90/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 92/जी.एस.टी–2, दिनांकित 1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 93/जी.एस.टी–2, दिनांकित

1 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 94/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अक्तूबर, 2019 ।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 95/जी.एस.टी–2, दिनांकित 24 अक्तूबर, 2019 ।

गुरू नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब विधान सभा के विशेष स्मरणोत्सव सत्र के लिए अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा से प्राप्त आमंत्रण से संबंधित सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री राणा के.पी. सिंह अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने वर्णित किया है कि श्री गुरू नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा पंजाब विधान सभा के सदन में 06 नवम्बर, 2019 को प्रातः 10:45 बजे से लेकर 1:00 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है । श्री वैंकेया नायडू, भारत के उप राष्ट्रपति और डॉ. मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे । इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा ने पंजाब विधान सभा के सभी विधायकों की तरफ से मुझे और आप सभी सदस्यों को उपरोक्त कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है । कार्यक्रम के बाद दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है, इसलिए मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप पंजाब विधान सभा के सदन में इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल होकर इसे ऐतिहासिक यादगार बनाएं । मैं अपनी और आप सब की तरफ से अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा को उपरोक्त कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए धन्यवाद का संदेश पहुंचा दूंगा । सभी विधायकों को अलग से निमंत्रण पत्र भी आज प्राप्त हुआ है जो आपको वितरित किया जा रहा है ।

.....

सदन में माननीय राज्यपाल के आगमन के संबंध में सूचित नहीं करने का मामला उठाना

श्री ईश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट ये है कि आज मैंने जो सीन देखा है वह पहली बार देखा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय जो बहुत बड़ी गरिमा के धनी हैं । जब वह सदन में आए तो उनके आने से पहले न तो सदन को

सूचित किया गया और न ही उनके आने के बारे में कोई सूचना दी गई । ऐसे गुपचुप तरीके से उनको सिंहासन तक ले आए जिससे बहुत गलत प्रभाव पड़ा है । मैं इससे पहले 6 साल राज्य सभा में भी रहा हूं लेकिन मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा । आज मैं यही बात दोहराता हूं कि यह देखकर मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा महसूस हुआ है । मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि राज्यपाल के आने से पहले सूचना न दी गई हो ।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, वैसे तो राज्यपाल महोदय के आने की सूचना कल सदन में दे दी गई थी ।

श्री ई□वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिंहासन के आने तक की सूचना और पहले दी गई सूचना का कोई संबंध नहीं है । मार्शल को चहिए था कि जैसे वह स्पीकर के आने पर सदन को संबोधित करते हैं उसी तरह से राज्यपाल महोदय के आने पर भी सदन को संबोधित किया जाना चाहिए था । मार्शल को आज भी राज्यपाल महोदय के आने की सूचना देनी चाहिए थी ।

श्री अध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, मैं यहां होता तो जरूर सूचित करता क्योंकि प्रोटोकोल के मुताबिक उनको रिसीव करने के लिए हमें वहां पर जाना होता है । वैसे कल पहले ही राज्यपाल महोदय के आने की सूचना सदन में कर दी गई थी कि कल सदन में राज्यपाल महोदय पधारने वाले हैं ।

श्री ई□वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा तो शुरू से ही चलती आ रही है तथा कोई नई नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि सदन में इसका पालन किया जाना चाहिए। मैं यह बात कहना जरूरी समझता था इसलिए मैंने कह दी है और अब मैं अपनी सीट ग्रहण करता हूं ।

———————

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विधायक श्री कंवर पाल जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–

> "कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 नवम्बर, 2019 को 10.30 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।'।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 14वीं विधान सभा में चुनकर आये सभी मैम्बर साहेबान को बधाई देता हूँ और उसके साथ ही आपको भी अध्यक्ष के पद पर चुने जाने के लिए बधाई देता हूँ। यही नहीं मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, जोकि सदन के नेता हैं, को भी बधाई देता हूँ और उसके साथ ही उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला को भी बधाई देता हूँ और प्रतिपक्ष के हमारे नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को भी इस शुभ अवसर पर बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं वह सभी बातें एक तरह से सरकार का विजन ही हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने तथा 24 घंटे बिजली देने जैसी बात कही गई है। हालांकि 24 घंटे बिजली देने की वचनबद्धता की दिशा में हमारी सरकार काफी हद तक नजदीक पहुंच चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि जो बातें उनके द्वारा सदन में कही जा रही हैं, क्या ये बातें वे अपनी आत्मा से कह रहे हैं? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः सैनी जी, माननीय सदस्य ने अभी अपनी बात कहनी शुरू की है वे सभी बातों का जवाब देंगे। अतः आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें कही गई हैं, हरियाणा की जनता उन सभी बातों पर पूर्ण विश्वास करती है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने पूर्व में काम करते हुए नई व्यवस्थायें स्थापित करने का काम किया है, मैं समझता हूँ कि वह काबिल–ए–तारीफ है। पूर्व की सरकारों में यह ढर्रा चला आ रहा था कि जिस पार्टी की सरकार होती थी केवल उसी पार्टी के लोगों को नौकरी देने का काम

किया जाता था। उसी पार्टी के लोगों के एरियॉज में डिवैल्पमैंट का काम किया जाता था। कहने का भाव यही है कि जिन लोगों ने उस पार्टी को जिताने के लिए वोट दिया होता था केवल उन्हीं लोगों के लिए काम किया जाता था और जिन्होंने उस पार्टी के पक्ष में वोट नहीं दिया होता था, उनकी कोई चिंता नहीं की जाती थी। ऐसी बातें मैंने पहले भी कई बार सुनी हैं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों के मुख्यमंत्री तक अपना भाषण देते हुए लोगों को कह दिया करते थे कि तुमने तो हमारा कैंडीडेट हरा दिया इसलिए अब अपने एरियॉज में डिवैल्पमैंट की उम्मीद कैसे कर सकते हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसे विधायकों को भी देखा है कि जोकि गांवों में जाकर संबंधित एरिया के लोगों को कहते थे कि आपके बूथ से तो वोट नहीं मिला है इसलिए मेरे से डिवैल्पमैंट की उम्मीद क्यों करते हो। अध्यक्ष महोदय, यह पहली ऐसी सरकार है जिसको प्रदेश के अढ़ाई करोड़ लोगों की चिंता है। यह पहली ऐसी सरकार है जो उन सबकी भी चिंता करती है जिन्होंने इस पार्टी को वोट नहीं दिया। चाहे किसी एरिया से हमारा विधायक जीता हो या न जीता हो, यह सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति की चिंता करती है और इसी का यह नतीजा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शायद वर्ष 1977 के बाद यह पहली ऐसी सरकार है जिसको अपने दूसरे कार्यकाल में इतना बड़ा विश्वासमत प्राप्त हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, सरकार को जिस प्रकार का विश्वासमत प्राप्त हुआ है वह तो सदन में साफ दिखाई दे रहा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में तथ्यों पर आधारित बात ही करता हूँ। अगर गीता जी मुझे बोलने में बाधित न करें तो संभवतः मैं सारी बाते स्पष्ट कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1977 से चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार को छोड़कर कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सरकार है जो रिपीट ही नहीं हुई अपितु इसे पहले से 3 प्रतिशत ज्यादा वोट भी प्राप्त हुए हैं। जनता ने पर विश्वास किया है कि सरकार ने ईमानदारी से जन कल्याणकारी काम किए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बि□ान लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोई भी जन कल्याणकारी कार्य नहीं किए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्ज चुनाव हार गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती भाकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रदेश में कोई भी विकास के काम नहीं किए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन खटक जी, प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) बहन जी, आप माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, जिन सुधारों के कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू कर रखा है उन कामों को भविष्य में भी उसी प्रकार से ही जारी रखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पहली बार सरकार बनाते ही हमने कहा था कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता बरती जाएगी और योग्यतानुसार नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएगीं। हमारी सरकार ने कहा था कि हम 'सबका–साथ सबका–विकास' की पॉलिसी में विश्वास रखेंगे। हमारी सरकार ने कहा था कि हम 'हरियाणा एक हरियाणवी एक' की आदर्श नीति पर चलेंगे। उस समय कुछ सदस्य कहते थे कि अनाड़ी लोगों के हाथ में सरकार आ गई है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। हमारी पार्टी के बारे में विपक्ष के साथी कहते थे कि यदि सरकार सभी लोगों के लिए जन कल्याणकारी काम करेगी तो अगली बार वोट कहां से लेकर आयेगी। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले अपने लोगों को खुश करे, तभी सरकार दोबारा से सत्ता में आयेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बात पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि अढाई की अढाई करोड़ जनता मेरी है और मैं प्रदेश की पूरी जनता के लिए विकास के काम करुँगा तथा प्रदेश में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिलेंगी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले नौकरी के नाम पर हरियाणा बहुत बदनाम हुआ करता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कंवर पाल जी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं या फिर सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं। यह बात भी सदन को बताई जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को केवल माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही चर्चा करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सरकार आई थी जिसने कहा था कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभी अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) जब आप लोगों की बोलने की बारी आयेगी तभी आप अपना–अपना विषय रख लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, जो बात सत्य नहीं है, यदि माननीय सदस्य वह बात सदन में कहेंगे तो प्वायंट ऑफ ऑर्डर तो रेज किया ही जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बत्तरा साहब, जब आपकी बोलने की बारी आयेगी तभी आप अपनी बात माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कह देना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ ऑर्डर तो रेज किया ही जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया के मुख्य प्रवक्ता चुनाव हार गए हैं, उसके बारे में विपक्ष कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आफताब अहमद जी, इसमें प्वायंट ऑफ ऑर्डर लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से मैंने सदन में ऐसी कोई गलत बात नहीं कही है, जिसमें माननीय सदस्यों को प्वायंट ऑफ ऑर्डर लेना पड़े। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ ऑर्डर लेना हर सदस्य का अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती भाकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ ऑर्डर तो लिया ही जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, इस विषय के लिए प्वायंट ऑफ ऑर्डर लेना ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अभी तो चर्चा शुरू ही हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य को लग रहा है कि सदन सही रास्ते पर नहीं जा रहा है या फिर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सही तरीके से चर्चा नहीं हो रही है तो ही माननीय सदस्य ने प्वायंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है और यह उसका अधिकार भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्लीज आप लोग बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में अपनी रूलिंग दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं गवर्नर एड्रैस पर ही बोल रहा हूं । अब अगर मेरी इस स्पीच को राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा नहीं माना जा रहा है तो फिर मुझे राज्यपाल अभिभाषण को ही पढ़ना पड़ेगा । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पिछली टर्म में की थी और जो सुधार शुरू किये थे सरकार उनको जारी रखेगी क्योंकि जनता ने भी उन पर मुहर लगाई है । हमारा विश्वास है कि सरकार हर विधान सभा क्षेत्र का बिना भेदभाव के विकास करेगी, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे विकास करने की बात हो उनमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकार ने विपक्ष की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर 5 सालों में जितने एश्योरैंसिज दिए हैं उतने एश्योरैंसिज किसी अन्य सरकार ने नहीं दिए होंगे । हमारी सरकार का व्यवहार इस प्रकार का रहा है कि अगर विपक्ष के किसी सदस्य ने कोई जैनुअन बात कही तो सरकार ने उसको भी स्वीकार किया था । हमारी सरकार का व्यवहार पिछली सरकारों के मुकाबले बिल्कुल अलग प्रकार का रहा है । आज भी हमारी अवधारणा यही है कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर और विपक्ष के सभी सदस्यों के अनुभव को भी साथ लेकर हरियाणा के विकास के लिए काम करेगी । हमारी सरकार इसी सोच से चल

रही है । माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने जो टार्गेट्स रखे हैं हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे । हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हांसी–बुटाना नहर, एस.वाई.एल. नहर, रेणुका–किशाऊ बांध, लखवार बांध, शिवालिक की पहाड़ियों में बांध बनाने के काम पर पूरी ईमानदारी के साथ लगी हुई है क्योंकि पानी हमारे लिए प्रायरिटी पर है । खासकर किसानों के लिए पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है । हमारी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए काफी काम किये थे उसी प्रकार से हमारी सरकार ने इस कार्यकाल के लिए भी टार्गेट्स निर्धारित किये हैं । हमें पूरा विश्वास है कि यह सरकार अपने टार्गेट्स को निश्चित तौर पर पूरा करेगी । अब मैं 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' पर बात करना चाहूंगा । जिस समय इस योजना को लागू किया गया था उस समय बहुत–से माननीय सदस्यों ने इसका यह कहकर विरोध किया था कि यह योजना किसान के खिलाफ है । मैं सदन में वर्ष 2018–19 के आंकड़ें प्रस्तुत करना चाहूंगा। वर्ष 2018–19 में इस योजना के तहत किसानों से 646 करोड़ रूपये किस्त के रूप में लिये गए जबकि बीमा कम्पनियों ने किसानों को फसल के मुआवजे के रूप में 1998 करोड़ रूपये दिए हैं । स्पष्ट है कि बीमा कम्पनियों ने किसानों को उनके द्वारा दी गई किस्त से लगभग 3 गुना राशि मुआवजे के रूप में दी है जोकि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसका अर्थ है कि यह योजना किसान के हित में है। मुझे लगता है कि विपक्ष के सदस्य सिर्फ विपक्ष में बैठे होने के कारण ही इस योजना का विरोध करते थे और किसानों को गुमराह करते थे और उसको उसके लाभों से वंचित करते थे । अब मेरा विपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि वे भी इस योजना का विरोध न करके इसके पक्ष में काम करें । इससे निश्चित रूप से जनता को लाभ होगा । इसी तरह से हमारी सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का निर्णय किया और इसके लिए विधान सभा में एक कानून लेकर आई । हमें इस लड़ाई में सबके सहयोग की जरूरत है । हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि इन मादक पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए । इसके अलावा हमारी सरकार ने किसानों को नलकूपों के कनैक्शन देने की भी मंजूरी दी जोकि बहुत लम्बे समय से रूकी हुई थी । हमारी सरकार ने उन नलकूपों पर 5 स्टार मोटर की भी व्यवस्था की है लेकिन इसका विपक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है । मेरा कहना है कि इसका विरोध करना ठीक नहीं है क्योंकि इन

मोटर्स के लगने से बिजली की बचत होगी । इनसे जो बिजली बचेगी वह किसान के नलकूपों और उद्योग–धंधों में ही काम आयेगी । सरकार ने वर्ष 2024 तक हर घर में नल से पानी पहुंचाने का वायदा किया है। मैं समझता हूं कि सरकार ने यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। अगर हमारे प्रदेश के हर घर में नल से स्वच्छ पानी पहुंचेगा तो यह बहुत बड़ा काम होगा। हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत बड़ा इलाका ऐसा है, जहां पर आज भी पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। पूरे प्रदेश में पानी पहुंचाने का सरकार का यह बहुत अच्छा टारगैट है। इसी प्रकार से सरकार ने पिछली बार गरीबों को फ्री में गैस कनैक्शंज देने का काम किया था। सरकार ने मिट्टी के तेल को बन्द करके सबसे पहले गरीबों को फ्री में गैस कनैक्शंज दिये। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर घर में गैस कनैक्शंज हैं जिससे पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हुआ है और हमारे प्रदेश की माताओं–बहनों को भी राहत मिली है। यही कारण है कि आज वे गैस पर ही खाना बनाती हैं। इसी प्रकार से 'किसान सम्मान निधि' योजना जो केन्द्र सरकार की योजना है, को हरियाणा प्रदेश में भी लागू किया गया। इस स्कीम के तहत हर साल किसानों के खाते में तीन किस्तों के माध्यम से 6,000/– रुपये जमा करवाये जाते हैं। इस योजना से मैं समझता हूं कि छोटे किसानों के लिए खाद का खर्चा सरकार ने अपनी ओर से दे दिया है। इससे किसानों की फसलों के उत्पादन की लागत काफी कम होगी और किसानों को बहुत लाभ होगा। केन्द्रीय सरकार ने 'आयुष्मान योजना' की शुरूआत की है जिसके तहत गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपये तक का इलाज सरकार मुफ्त में करवाएगी। हरियाणा सरकार ने भी निर्णय लिया है कि जिस व्यक्ति की आमदनी 1,80,000/–रुपये से कम है, उस व्यक्ति का 5 लाख रुपये तक का इलाज प्रदेश सरकार मुफ्त में करवाएगी। मैं समझता हूं कि शायद देश में हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है, जिसने इस प्रकार की केन्द्र की योजनाओं को लागू करने में अपनी ओर से एक विश्वास दिलवाया है कि हम भी उसमें अपना योगदान देंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना चलायी जिसको लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना को पूरा करने के लिए सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करता हूं।

राव चिरंजीव (रिवाड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के मोहनपुर गांव में 496 दिनों से एक नाबालिक लड़की लापता है। सरकार उसका पता लगाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ? इसके बारे में सरकार ने अब तक क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष: चिरंजीव जी, जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाए तब आप अपनी बात रखें। ये बातें आप अपने भाषण में बता देना। अगर आपको लगता है कि गलत आंकड़े पेश किये जा रहे हैं तो आप तब अपनी बात बता देना। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री कंवर पाल: अध्यक्ष महोदय , सरकार ने जब इस 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ओ', योजना की शुरूआत की तो सदन में विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई बेटी नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बेटियों के बारे में क्या पता है ? विधान सभा में उस समय अपनी बात रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात पर भावुक हुए थे। इसके बाद सरकार ने कई कॉलेजिज खोलने की घोषणाएं की और निर्णय लिया गया कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी और सरकार ने 34 कॉलेजिज खोले। अब हरियाणा प्रदेश में किसी भी बेटी को 20 किलोमीटर दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाना पड़ता। मैं उन बेटी वाले माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बेटियों के लिए क्या इस प्रकार का कोई निर्णय लिया था ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरे प्रदेश की बेटियां उन्हीं की बेटियां हैं और हमारी सरकार ने ही उनके लिए कल्याणकारी कार्य किये हैं। इसके अतिरिक्त नौकरियों की बात भी आयी थी कि नौकरियां मैरिट के आधार पर दी जा रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले संगठन में अन्तोदय का विषय देखते थे और अन्तोदय का मतलब है, सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो धारणाएं हैं, उसके अनुरूप ही हमारी सरकार काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पहली बार यह निर्णय लिया कि जिस व्यक्ति के परिवार में कोई भी व्यक्ति नौकरी पर नहीं है, उस व्यक्ति को नौकरी में 5 नम्बर की ग्रेस देने का काम किया जायेगा। इसी तरह से हरियाणा सरकार ने दूसरा यह निर्णय लिया कि जो व्यक्ति फादरलैस है उसको भी 5 नम्बर की ग्रेस देने का काम किया जायेगा। मुझे लगता है कि शायद ही पूर्व की सरकारों ने ऐसे निर्णय लिये होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि इन निर्णयों की माननीय उच्च न्यायालय ने भी तारीफ की है और कहा है

कि हरियाणा सरकार ने यह बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं। (**इस समय मेजें थपथपाई गई)** अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे आम आदमी का कल्याण जरूर होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य श्री कंवर पाल जी ने कहा कि जो व्यक्ति फादरलैस है, उस व्यक्ति को नौकरी में 5 नम्बर की ग्रेस देंगे। जहां तक मेरी जानकारी में है कि हरियाणा सरकार ने एक आधी भर्ती को छोड़कर के इस पॉलिसी को विदड्रा कर लिया है क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन थी। मेरे ख्याल से ये 5 नम्बर की ग्रेस ग्रुप–डी की भर्ती के लिए तो दिए गए थे परन्तु जो पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें किसी भी व्यक्ति को 5 नम्बर की ग्रेस नहीं दी गई थी। इसके लिए हरियाणा प्रदेश का विद्यार्थी दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गया था। अध्यक्ष महोदय, आज इस महान सदन में हरियाणा सरकार इस बात को भी क्लीयर करने का काम करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तब वे इस बात को भी स्पष्ट कर देंगे। प्लीज आप बैठ जाईये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय हाई कोर्ट में ग्रुप–डी की भर्ती के मामले में लगभग 100 रिट–पैटीशंज फाइल हो चुकी हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ग्रुप–डी की भर्ती में कोई भी मैरिट नहीं बनाई है और न ही नियमानुसार भर्ती की है जिससे मैं समझता हूं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती नियमों का वायलेशन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, जब आपको बोलने के लिए समय दिया जायेगा तब आप अपनी बात रख लेना। प्लीज आप बैठ जाईये।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों के समय में ट्रांसफर एक उद्योग बन चुका था। इस बात को लेकर सरकार ने निर्णय लिया कि ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाये। मेरे ध्यान में है कि जब मैं वर्ष 2000 में इस विधान सभा में विधायक चुनकर आया था तो मैं विधान सभा की एक कमेटी का मैम्बर था। उस कमेटी में राव दान सिंह जी, बी.एल. सैनी जी तथा और भी कई माननीय सदस्य थे, जिनके नाम मेरे ध्यान में नहीं है। मैं उस वक्त इन माननीय सदस्यों से एक बात कहा करता था कि मास्टरों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए क्योंकि यह मास्टरों के लिए बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि सभी

विधायकों का एक ही विचार था कि अगर सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी बना दी तो फिर हमारे पास कौन आयेगा और यदि हमारे पास कोई नहीं आयेगा तो हमारा महत्व ही क्या होगा? सरकार का अर्थ तो यही है कि लोग आपके पास खड़े होने चाहिएं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी वर्तमान सरकार ने इस पॉलिसी में परिवर्तन करने का काम किया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने यह भी कहा कि यह हमारी ड्यूटी बनती है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में जिक्र नहीं करना चाह रहा था परन्तु यह बात इतनी भी बुरी नहीं है कि जो मैं न कर सकूं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों में इस तरह की बातें भी कही गई कि सड़कों के मोड़ और मास्टरों की मरोड़ निकालने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने मास्टरों की मरोड़ निकालने का काम नहीं किया है। हमारी सरकार ने उस मास्टर से कहा कि आपने ही भारत के भविष्य का निर्माण करना है और आपने ही वे स्टूडैंट्स तैयार करने हैं जो इस देश का भविष्य हैं इसलिए सरकार ने उन मास्टरों से पूछा कि आप किस स्थान पर नौकरी और बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो उन मास्टरों ने सरकार को जहां–जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑप्शन दिए थे हमारी सरकार ने उन मास्टरों को वहीं पर ही पढ़ाने के लिए भेजा। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज उसी का ही परिणाम है कि आज हरियाणा प्रदेश में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आया है। प्राईवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों का 9 प्रतिशत अधिक अच्छा रिजल्ट आया है। हमारी सरकार ने उन मास्टरों का सम्मान किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारी सरकार इन मास्टरों को और अधिक सम्मान देने का काम करेगी। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का रिजल्ट निश्चित रूप से प्राईवेट स्कूलों से बेहतर होगा। हमारी सरकार मास्टरों को पूरा सम्मान देगी ताकि देश के निर्माण में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार करने का काम किया है। जहां तक प्राईवेट अस्पतालों का सवाल है तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि लोगों की मजबूरी होती थी कि किसी पेशेंट को प्राईवेट अस्पताल में ही लेकर जाना पड़ता था। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों में सरकारी डॉक्टरों की बेहद कमी थी लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम किया है। अभी हमारे पूर्व हैल्थ

मिनिस्टर साहब सदन में उपस्थित नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जितने डॉक्टर पहले थे लगभग उतने ही और डॉक्टरों की भर्ती की है। हरियाणा प्रदेश में पहले अस्पतालों में जितने बैडों की संख्या थी, उनमें और बैड बढ़ाने की व्यवस्था भी की गई है ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें दी जा सकें। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार द्वारा पी.पी.पी. मोड पर बहुत से सरकारी अस्पतालों का निर्माण करवाया गया है।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य मेरे हल्के के एक भी हॉस्पिटल का नाम बता दें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार द्वारा एक भी सरकारी अस्पताल का निर्माण करवाया गया हो।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को इनके प्रश्न के जवाब में यह बताना चाहूंगा कि यमुनानगर में पहले 100 बैड का अस्पताल था जिसको अब 200 बैड का बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से छछरौली में 6 बैड का अस्पताल था जहां पर अब 30 बैड का अस्पताल शुरू हो चुका है। ऐसे ही खिजराबाद में भी 6 बैड का अस्पताल था जहां पर अब 30 बैड का अस्पताल बनना शुरू हो चुका है। बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जो बन चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें कार्य प्रगति पर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। अगर आपको कुछ कहना है तो जब आपको बोलने के लिए समय दिया जायेगा उस समय अपनी बात कह लेना। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आप सभी कृपया करके अपनी–अपनी सीट्स पर बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाये उस समय कह लें। (शोर एवं व्यवधान) कंवर पाल सिंह जी, आप कृपया करके कंटीन्यू करें।

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना नामक एक बहुत ही अच्छी और आकर्षक योजना शुरू की है। इस योजना से 75 हज़ार किसानों को लाभ हुआ है और उनके ऋण के 220 करोड़ रूपये माफ हुए हैं। यह सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर किसी भी किसान ने कर्ज़ का एकमुश्त पैसा लौटाया है तो उसके ब्याज और पैनल्टी को माफ करने का काम सरकार ने किया है। प्रदेश की जनता के हित के

लिए सरकार ने ऐसे बहुत से काम किये हैं। ऐसे ही सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना को शुरू किया गया। पहले उसमें आलू, टमाटर, गोभी और प्याज शामिल थे। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अमरूद, गाजर और मटर को भी उसमें शामिल किया जायेगा ताकि जो लोग सब्जी और फल का काम एक साथ करते हैं उनको इस योजना के तहत विशेष लाभ पहुंचाया जा सके। सरकार यह चाहती है कि अगर इन सभी का रेट बहुत ज्यादा डाउन हो जाये तो इनके उत्पादक को कम से कम उसकी उत्पादन लागत तो प्राप्त हो ही जाये। इस प्रकार से सरकार ने फल और सब्जी उत्पादक किसानों के लिए यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की घोषणाएं सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में की हैं उनसे आने वाले समय में प्रदेश वासियों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जहां तक पॉल्यूशन का सम्बन्ध है इसमें अगर हम सभी साथ मिलकर के काम करेंगे तो वह हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पराली जलाने की बात है, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक बात है कि पॉल्यूशन के और भी बहुत से कारण हैं अर्थात् पराली जलाना ही पॉल्यूशन का एकमात्र कारण नहीं है। पॉल्यूशन का कारण फैक्ट्रीज़ भी हैं और वाहन भी हैं लेकिन अगर सभी यह कहने लगें कि पहले पॉल्यूशन के दूसरे कारणों को बंद किया जाये उसके बाद हम बंद करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। इस खींचतान के चलते इस समस्या का कभी भी स्थायी समाधान नहीं हो सकेगा। अगर हम इस समस्या के समाधान के लिए सभी मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर से इसके बहुत ही अच्छे परिणाम निकलकर सामने आयेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है इसको सर्वसम्मति से पास कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला) (अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं इस सदन का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। श्री कंवर पाल जी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं इस सदन में 43 साल के बाद आया हूं। मैं इससे पहले वर्ष 1977 में विधायक था। मैं इस सदन में सीनियर सदस्य हूं। मेरी कुछ अपनी फीलिंग्स हैं जिनके बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उस

जमाने में और आज के जमाने में बहुत ज्यादा फर्क है। उस समय लोग जो वायदा करते थे वह वचन के रूप में होता था और जनता भी सराहनीय काम उनके वायदों के अनुसार ही कहती थी। इस समय समाज में समरस्ता, भाईचारा, प्यार तथा नैतिक मूल्यों की कमी होती जा रही है जिसको बहाल करने की सख्त जरूरत है। यही कारण है कि समाज ने 1970 से पहले चौधरी देवी लाल जैसे जननायक नेता दिये और यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी उनकी रहनुमाई में काम करने का मौका मिला जिन्होंने बुढापा पैन्शन लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। आज हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उसका अनुसरण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार ने बुजुर्गों का मान बढ़ाया है तथा महिलाओं का सम्मान किया है। इसके साथ ही साथ सरकार किसानों, भूमिहीन मजदूरों तथा दलितों की दशा सुधारने का कार्य कर रही है जिसकी मैं सराहना करता हूं। यह प्रस्ताव ग्रामीण राज्य से लेकर राम राज्य तक का सपना साकार करने का अभिभाषण है। जमीनों के इंतकाल, खसरा, गिरदावरी तथा जमाबंदी आदि समस्त राजस्व रिकॉर्ड की नकल या और कोई भी चीज हो आज एक छत के नीचे उपलब्ध हैं। अगर आज हम इंतकाल करवाने जाते हैं या खसरा नम्बर पता करने जाते हैं या जमाबंदी की नकल लेने जाते हैं तो ये सभी चीजें एक ही जगह पर कम्प्यूटर पर उपलब्ध हैं जो किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अब मैं गैस कनैक्शंज के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। पहले गैस के कनैक्शंज बड़े लोगों को मिलते थे लेकिन गैस कनैक्शंज की सबसे ज्यादा जरूरत गरीब लोगों को होती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं और मलिन बस्तियों में रहते हैं इसीलिए अब सरकार ने गरीबों को गैस कनैक्शंज जारी करके उनका मान बढ़ाया है तथा यह एक बहुत भलाई का काम हुआ है। अध्यक्ष महोदय, टॉयलेट के बारे में गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था लेकिन आज गरीबों, विशेषकर दलित जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, दलित बस्तियों में रहते हैं उनके लिए टॉयलेट बनवा कर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके कारण ही पहले वहां पर जो गंदगी का फ्लो रहता था वह स्वच्छता का रूप ले चुका है। इसके लिए सरकार ने स्वच्छ भारत का नारा दिया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि आज हर आदमी चाहे वह किसी भी ग्रुप या धर्म का हो अगर उसे कहीं कोई कागज का टुकड़ा भी मिलता है तो उसको उठाने में कोई संकोच नहीं करता है तथा 10 बार यह सोचता है कि इसको कहीं फेंकने की जगह है या नहीं है। अगर किसी के पास किसी फल

या मूंगफली के छिलके हैं तो पहले उसको हम ऐसे ही फेंक देते थे लेकिन आज हर आदमी उसको फेंकने के लिए नैतिकता के आधार पर उपयुक्त जगह देखता है और इस सबका श्रेय सरकार को जाता है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अब मैं महिला महाविद्यालय के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं। पहले महिला महाविद्यालय बहुत दूर–दूर होते थे तथा उनकी संख्या भी बहुत कम होती थी जिसके कारण हमारी बेटियां दसवीं या 12वीं पास करके घर बैठ जाती थी क्योंकि जमाने के हिसाब से कॉलेज ज्यादा दूर होने के कारण लोग बेटियों को नहीं भेजते थे। आज उस स्थिति में परिवर्तन आया है। मेरे पास सही आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं लेकिन शायद 34 नये कॉलेज सरकार के द्वारा खोले गये हैं। इससे देहात की लड़कियों को बहुत फायदा हुआ है। शहर की लड़कियां तो पढ़ लेती थी लेकिन देहात की लड़कियां कॉलेज जाने में असमर्थ रहती थी। अध्यक्ष महोदय, सरकार का लक्ष्य 2 लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार योग्य बनाने का है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निम्न आय वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूं। जब मैं राज्यसभा में था तो 18–12–2012 को मैंने एक प्रश्न रखा था और उस समय श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब भी दिया था। प्रश्न यह था कि हमारे देहात में गरीब और दलित बस्तियों में जो हमारी बेटियां निवास करती हैं जब वे किशोरावस्था में आती हैं तो माहवारी शुरू हो जाती है। उस समय वे कपड़े का इस्तेमाल करती हैं इसलिए उन 10वीं, 12वीं और कॉलेज की लड़कियों को सेनेटरी पैड दिये जायें। आज हमारी सरकार ने छठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हर मास 6 सेनेटरी पैड का एक पैकेट उपलब्ध करवा कर मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया है तथा आज मेरा सपना साकार हुआ है इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने लड़कियों के लिए यह प्रश्न उठाया तो उस समय यह भी पूछा गया कि इसका समाधान क्या होगा ? आज भी मैं सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो हायर सैकेण्डरी स्कूल, कॉलेज, होस्पिटल्ज या कोई पब्लिक प्लेस है वहां हफ्ते या दस दिन की ट्रेनिंग रखी जाए जिसके तहत हमारी बहू–बेटियों को सचेत किया जाए कि मासिक धर्म के समय वे किसी गन्दे कपड़े का प्रयोग न करें क्योंकि इससे महामारी भी फैलती है और इससे यूरिन की समस्या भी

पैदा होती है । आज मैं सरकार की इस बात की सराहना करता हूं कि सरकार ने स्कूल्ज में छठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हर मास 6 सेनेटरी पैड का एक पैकेट मुफ्त में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है जोकि एक बहुत बड़ी बात है । आज हर बेटी को 6 सेनेटरी पैड का पैकेट मुफ्त में दिया जाता है । सर, मेरा दूसरा प्वायंट यह है कि जैसा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि अनुसूचित जाति का बैकलॉग एक बहुत बड़ी समस्या है । यह समस्या आज से नहीं बल्कि बहुत अर्से से चली आ रही है । यह बैकलॉग अभी तक पूरा नहीं हुआ है और ज्यों की त्यों ही खड़ा है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने इस बैकलॉग को पूरा करने की वचनबद्धत्ता दिखाई है कि हम इस बैकलोग को पूरा करके एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। अनुसूचित जातियों के लिए इससे बढ़कर सराहनीय बात क्या हो सकती है ? मैं भी इसकी सराहना करता हूं । सर, अनुसूचित जाति के संबंध में मैं सरकार के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के अन्दर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है । उसी प्रकार स्टेट में भी एक कमीशन बनाया जाए और वह कमीशन सबसे पहले अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम करने का काम करे क्योंकि अभी भी गांवों में बलात्कार, मर्डर, आगजनी व बहिष्कार जैसे अपराधों में कोई फर्क नहीं पड़ा है बल्कि दलितों के साथ न्याय में भी बुरी तरह से भेदभाव किया जाता है । इसका समाधान तब होगा जब या तो सरकार इसके लिए कोई विशेष विंग बनाए या सरकार कोई कमीशन बना दे लेकिन कमीशन बनाने का फायदा तब होगा जब उसको उसी तरह की ज्यूडिशरी पावर्ज दी जाएंगी जिस प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दी जाती हैं । ऐसे केसों में किसी ओफिसर को सम्मन किया जाता है तो वह ओफिसर आकर भी नहीं देखता है कि किसी ने समनिंग की है या नहीं की है। जबकि नैशनल कमीशन को यह पावर है कि अगर कोई ऑफिसर नहीं आता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी किए जा सकते हैं । जब तक स्टेट कमीशन नहीं बनेगा तब तक दलित वर्ग के साथ यह भेदभाव होता ही चला जाएगा क्योंकि जो जबर आदमी अपने आप को महान समझते हैं वह आज भी दलित वर्ग को दबाव में रखना चाहते है। इस प्रकार से मैं चाहूंगा कि स्टेट कमीशन बनाया जाए और उसको पूरी पावर्ज दी जाएं। आज हमारे प्रदेश में क्राईम रेट तो बढ़ रहा है लेकिन दलित वर्ग के लोगों के केस कोर्ट में तब जाते हैं जब गांवों में अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है या

बहिष्कार होता है, कोई मर्डर होता है या जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है तो कोर्ट से एक भयानक चीज निकलकर आती है कि कोई भी एक सरकारी वकील उस केस को गहराई व गम्भीरता से नहीं लेता है । जिससे तंग आकर या तो गवाह साथ छोड़ जाते हैं या फिर जिस दलित आदमी का केस है वह खुद ही हार कर बैठ जाता है क्योंकि उसके पास इतनी समर्थता नहीं होती है कि वह केस को लम्बा चला सके । इस तरह से क्राईम रेट बढ़ रहा है और दलित वर्ग के केसिज में 100 में से 10 प्रतिशत केस ही फैसले तक पहुंचते हैं और बाकी के केसिज में अपराधी छूट जाते हैं । यह बड़ी गम्भीर समस्या है । सर, हमारे हरियाणा में नशा मुक्ति के लिए मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्यवाही करने का प्रावधान भी अभिभाषण में किया गया है जोकि बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है । आज का युवा नशे में लिप्त होकर अपने रास्ते से भटक चुका है और अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है । उनके मां–बाप तिल–तिल मर कर जी रहे हैं। नशे की समस्या बहुत ही गम्भीर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब के बार्डर के साथ लगते मेरे गुहला हल्के में तो यह समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सैकिंड कर रहे हैं लेकिन उन्होंने तो अपनी डिमांड रखनी ही शुरू कर दी है। ऐसे थोड़े ही होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से नशे की समस्या माननीय सदस्य के एरिया में बढ़ती जा रही है, उसके लिए वे यह क्यों नहीं कहते कि यह सरकार की फेलियर है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने से बाधित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय खान साहब को बताना चाहूंगा कि मैं नशे जैसी गम्भीर समस्या पर अपनी बात रख रहा हूँ। खान साहब के हल्के में नशे की समस्या है या नहीं है यह तो वे जाने लेकिन चूंकि प्रदेश में नशे की समस्या बहुत ही विकराल रूप धारण करती जा रही है और उसकी पुष्टि के लिए यदि मैंने अपने हल्के का एग्जैम्पल दिया है तो क्या गलत किया है? अतः मेरा निवेदन है कि खान साहब को मेरी बात जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम नशे की समस्या से मुक्ति दिलायेंगे, मैं समझता हूँ कि यह हरियाणा प्रदेश के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे बड़ा सराहनीय कदम कोई दूसरा नहीं हो सकता है। नशा हमारे युवाओं में एक घातक

बीमारी की तरह फैल चुका है और इसी के मद्देनज़र मैं भी इस बात के पक्ष में हूँ कि नशे पर पाबंदी लगाते हुए हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो नशा मुक्ति के संबंध में बात कही गई है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इसकी सराहना भी करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोहड़ अर्थात तालाबों का भी जिक्र किया गया है। हमारे देहातों में जितने भी तालाब हैं उनमें कहीं भी पानी का निकासी का प्रावधान नहीं किया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोहड़ों के पानी की स्वच्छता संबंधी बात तो कही गई है लेकिन जोहड़ों के पानी की निकासी की कोई बात, इस अभिभाषण में नहीं कही गई है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरी अपनी निजी राय है और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जोहड़ों के पानी की स्वच्छता की बात सबके हित की बात है इसलिए गांवों में जितने भी तालाब या जोहड़ हैं, उनमें जो पानी रूका हुआ है, उस पानी से बदबू आती है। इस बदबूदार पानी में कीड़े पड़े हुए हैं जिसकी वजह से यह पानी जहरीला बन गया है और जहरीले पानी की वजह से अनेक भयानक बीमारियां फैलती जा रही हैं। मेरा आज सदन के माध्यम से माननीय सदन के नेता से अनुरोध है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाये और साथ ही सदन से अनुरोध करता हूँ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पास किया जाये। बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–

> "कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 नवम्बर, 2019 को 10.30 बजे प्रातः सदन में देने की कृपा की है।'।"

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गढ़ी–सांपला–किलोई): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्रदेश में शांतिप्रिय ढंग से चुनाव संपन्न हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले हरियाणा के जागरूक मतदाताओं व समस्त हरियाणा प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। इसके साथ–साथ मैं प्रदेश के सभी कर्मचारियों तथा पुलिस कर्मियों को भी हार्दिक बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इन चुनावों को शांतिप्रिय ढंग से कराने मे अपना बड़ा भारी अमूल्य योगदान दिया और भाईचारे को मजबूत करने का काम किया। निःसंदेह यह सभी प्रशंसा के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नई सरकार बनी है

लेकिन मैं आज इस अवसर पर कोई आलोचनात्मक बात नहीं करूंगा और न ही इस बात की चर्चा करूंगा कि कौन क्या कहता था या कौन कहां बैठा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चर्चा नहीं करूंगा कि सरकार के पूर्व के पांच साल के कार्यकाल में क्या–क्या विफलतायें रही हैं क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे को इस बारे में चर्चा करने की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश की जनता ने जो नतीजा दिया है वह अपने आप में अपनी बात बयान कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जो आज की समस्यायें हैं, मैं केवल उन पर चर्चा करना चाहूंगा। अभी हमारे पूर्व स्पीकर रहे श्री कंवर पाल जी अपनी बात रख रहे थे और बहुत ही बढ़िया ढंग से अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री साहेबान को कहना चाहूंगा कि जब मंत्री पद का बंटवारा हो तो कंवर पाल जी को शिक्षा का महकमा दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, कंवर पाल जी ने अपनी बात तो कही लेकिन अपनी बात कहते ही वे सदन से बाहर चले गए हैं। अगर वे यहां होते तो उनको, उनके द्वारा कही गई बातों का जवाब भी मिल जाता। अध्यक्ष महोदय, माननीय कंवर पाल जी ने 2–4 बातें कही हैं। मैं उन बातों का जवाब जरूर देना चाहता हूँ लेकिन कोई आलोचना नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़े जोर–शोर से नौकरियों में पारदर्शिता बरतने की बात कहकर वाहवाही लूटने की बात कही है। मेरे पास यह अखबार की कटिंग है जिसमें हैडिंग में लिखा है कि cash for jobs. अखबारों में भी हैडलाईन्ज के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि प्रदेश में पैसे के द्वारा नौकरियां खरीदी जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, बात यही खत्म नहीं होती। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को 24 गांवों का एक प्रस्ताव भेजा था लेकिन उसको भी गायब कर दिया गया। सदन में गांव बढ़ोली से विधायक राकेश यहां सदन में मौजूद हैं, वह भी इस बारे में बता सकते हैं। इस प्रस्ताव का कोई आज तक कोई अता–पता नहीं है। यही नहीं पिछले पांच साल के इस सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री का नजदीकी बताकर नौकरी के नाम पर सवा दो करोड़ रूपये लूटने का काम किया गया और उसका प्रकरण का आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के कितने ही उदाहरण मैं सदन में प्रस्तुत कर सकता हूँ। एक मामले में तो माननीय हाई कोर्ट ने यहां तक कहा है कि Selection can not be done without functioning well. Hon'ble High Court asked Haryana Government why not you give probe to the CBI. सी.बी.आई. को मामला क्यों नहीं दिया गया? अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार

हरियाणा स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन की आई.टी. विंग से सरकारी नौकरी लगवाने का गोरख धंधा सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में किया गया। मेरे पास यह अखबार की कतरने हैं जोकि सब कुछ बयान कर देने के लिए काफी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सब डिटेल की बातें हैं। सदन में नौकरियों में पारदर्शिता की बात कही जा रही है, मैं पूछना चाहूंगा कि पारदर्शिता कहां दिखाई गई है? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ग्रुप–डी की नौकरियों में एम.ए., पी.एच.डी. तथा एम.कॉम. योग्यता प्राप्त युवाओं को भर्ती कर लिया और आज इन बेचारों से पानी पिलाने का काम लिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि एक दिन मैं भिवानी रैस्ट हाउस गया। वहां पर एक लड़की जोकि एम.ए. पास थी पानी पिलाने आई। हमें बहुत शर्म आई और हमने पानी नहीं पिया। अध्यक्ष महोदय, उच्च योग्यता प्राप्त युवाओं को ग्रुप–डी की पोस्ट्स पर लगाकर एक तरह से उनके भविष्य के साथ मजाक करने का काम किया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही से गरीब परिवारों के 10वीं 12वीं योग्यता प्राप्त वे युवा जो मजबूरीवश आगे नहीं पढ़ सके, उनको नौकरी से वंचित कर दिया गया है और जिन उच्च योग्यता प्राप्त युवाओं को ग्रुप–डी की पोस्ट्स पर लगाया गया है, ऐसा करके उन युवाओं को अपमानित करने का काम यह सरकार कर रही है। यह तो सरकार को भी पता है कि कितने बच्चों ने ग्रुप–डी की नौकरी ज्वाईन नहीं की है। सरकार को अपनी पॉलिसी में सुधार करना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की एक बिजली विभाग की भर्ती में 80 पद एस.डी.ओ. के थे, जिसमें से केवल 2 ही पदों पर हरियाणा प्रदेश के बच्चे नियुक्त हुए थे और 78 पदों पर हरियाणा प्रदेश से बाहर के बच्चे नियुक्त हुए थे। अध्यक्ष महोदय, ऑफिसर्ज के पदों पर लगने की बारी आई तो हरियाणा प्रदेश से बाहर के बच्चे लगते हैं और पानी पिलाने वाले जैसे पदों पर हरियाणा के बच्चे नियुक्त होते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार को इस विषय पर गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। माननीय पूर्व अध्यक्ष ने आज दूसरी बात हैल्थ के बारे कहा था, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि Haryana ranks at the bottom in terms of average health expenditure (2012-2017) among seven States. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा नया अस्पताल बनाया है?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय ..... । (शोर एवं व्यवधान) आप लोगों को मेरा जवाब सुनने में क्या तकलीफ हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

आवाजें : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता जवाब दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को मेरा जवाब सुनने में क्या तकलीफ हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, I am not yielding to him. (शोर एवं व्यवधान) I am not yielding to him. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब को यह भी पता होना चाहिए कि नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में सारे देश में नं0 1 पर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह किसने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में हरियाणा नं0 1 पर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हैल्थ के संबंध में हुड्डा साहब को यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आने से सरकारी अस्पतालों में ओ.पी.डी. पहले से 30 प्रतिशत बढ़ी है। (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब को यह भी पता होना चाहिए कि हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद शिशु मृत्यु दर पहले 41 प्रतिशत थी जो अब 30 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, आज मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 101 हो गई है। अध्यक्ष महोदय, पता नहीं हुड्डा साहब कहां से आंकड़ें निकाल कर लाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, जब आपकी बोलने की बारी आयेगी तभी आप हुड्डा साहब की बातों का जवाब दे देना । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आज मैं सरकार की किसी भी बात पर चर्चा नहीं करूँगा, वैसे तो मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है। विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि अबकी बार 75 पार। कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा करती थी कि अबकी बार यमुना पार। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज दोनों पार्टियां यार बन गई हैं। मैं आज इस बात पर भी कोई चर्चा नहीं करूँगा। आज प्रदेश के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हुई है कि मण्डियों में धान की खरीद नहीं हो रही है और न ही कपास की खरीद हो रही है। आज किसान बर्बादी की तरफ जा रहा है। गन्ना का शुगर मिलों में लगाने का समय नहीं आया और न ही मण्डियों में बाजरा भी बिक रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय

जनता पार्टी ने पिछले विधान सभा चुनावी घोषणा पत्र में 154 वायदे किए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 258 चुनावी वायदे किए हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): हुड्डा साहब, अब तो हमारे चुनावी वायदों में जननायक जनता पार्टी के चुनावी वायदे भी शामिल हो गए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के 154 वायदों में से एक भी चुनावी वायदा पूरा नहीं किया है। एक चुनावी वायदा तो यह किया गया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। मैं हरियाणा प्रदेश के सभी गांवों में गया हूँ और मुझे कोई भी ऐसा गांव नहीं मिला जिसमें 24 घंटे बिजली आती हो। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार के लगभग 96 प्रतिशत चुनावी वायदे पूरे हो गए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं पिपली मण्डी में गया था। एक किसान ने अपना आलू 9 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचा, जिसकी रसीद मेरे पास है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2022 में उसका रेट 18 पैसे कर देगी। क्या इस तरह से ही चुनावी वायदे के मुताबिक वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी होगी? अध्यक्ष महोदय, जब सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का फार्मूला लागू करेगी तभी किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। आज हम कहां से कहां पहुँच गए हैं। आज हरियाणा में बेरोजगारी

13:00 बजे

दर पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में अनएम्पलॉयमैंट का राष्ट्रीय औसत 8.5 प्रतिशत है जबकि हरियाणा प्रदेश का अनएम्पलॉयमैंट औसत 28 प्रतिशत है । हमारे प्रदेश के युवाओं की यह समस्या है और सरकार को इस समस्या का समाधान करना चाहिए । आज पॉल्यूशन और पर्यावरण के नाम पर केवल किसान को दोष दिया जा रहा है । मेरा कहना है कि किसान पर दोष लगाने और चालान करने से काम नहीं चलेगा बल्कि सरकार को प्रदूषण की समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को उसकी फसल का ठीक एम.एस.पी. क्यों नहीं दिया जाता ? कितने सालों से कहा जा रहा है कि किसान को फसल का एम.एस.पी. देंगे, बोनस देंगे ? जिसने देश का पेट पाला हो उसे वायु प्रदूषित करने का दोषी कहा जा रहा है जबकि वायु प्रदूषित होने के तो और भी बहुत–से कारण हैं । आज सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर

इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है । सरकार को तो किसान को राहत देने वाले काम करने चाहिए । पराली के बहुत–से अल्टरनेटिव्ज हैं जैसे – पराली से बिजली और खाद भी बनाई जा सकती है । सरकार ने कैबिनेट की पहली मीटिंग में निर्णय किया और समाचारों की हैडलाइन में छपा कि सरकार डीकम्पोजर पर 50 परसैंट सब्सिडी देगी । एक एकड़ भूमि में एक बोतल डीकम्पोजर लगता है और इस एक बोतल डीकम्पोजर की कीमत 20 रूपये है । इस प्रकार से सरकार ने एक एकड़ भूमि पर 10 रूपये की सब्सिडी दी है । (विघ्न) मैं इन बातों की ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन इन छोटी–छोटी सब्सिडीज पर भी आप कहेंगे कि हम किसानों को इतना लाभ दे रहे हैं तो यह ठीक नहीं है । सरकार यह नहीं बता रही कि खाद की कीमत 800 रूपये प्रति बैग से बढ़कर 1400 रूपये प्रति बैग तक पहुंच गई है । इसके अलावा सरकार द्वारा फसलों का एम.एस.पी. भी सिर्फ 3–4 प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आज सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं बल्कि हम विधान सभा का यह सत्र खत्म होते ही हरियाणा की अनाज मंडियों में जाएंगे और वहां की व्यवस्था देखेंगे । मैं चाहूंगा कि इस विधान सभा में जो नवनिर्वाचित सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं आप उनको मेरे बोलने का समय दे दें । सरकार जिस तरह से पराली जलाने के विषय पर सिर्फ किसान को वायू प्रदूषण का दोष दे रही है इससे काम चलने वाला नहीं है । सरकार को इस समस्या का समाधान निकालने की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए । अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इन समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान दे और स्वयं अपनी सूखी प्रशंसा न करे । सरकार ने पिछले 5 सालों में जो काम किये हैं उनके बारे में ही यहां बताया जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल अभिभाषण के मुख्यतः 2 पहलू होते हैं – पहला सरकार की उपलब्धियां और दूसरा सरकार का विजन कि हमें आगे क्या करना है। इस अभिभाषण में न तो सरकार ने अपनी पिछली उपलब्धियां बताई हैं और न ही अपना आगे का विजन बताया है। मेरा कहना है कि सरकार ने जल्दबाजी में अभिभाषण तैयार करवाकर राज्यपाल महोदय के पास भिजवा दिया और उनसे दस्तखत करवा लिये । हम सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे बल्कि प्रदेश के हितों के लिए डटकर लड़ेंगे । अगर सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे । अध्यक्ष महोदय, अब मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी पार्टी के जो नये सदस्य चुनकर आये हैं उन सभी को

बोलने का थोड़ा–थोड़ा समय जरूर दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस अभिभाषण में सबसे पहले जो दर्शाया गया है उसमें खासकर देश के माननीय प्रधान मंत्री जी का नाम लेकर कहा गया है कि हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर देंगे। यानि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कही गयी है। अभी मेरे से पहले विपक्ष के नेता ने भी इस बात का जिक्र किया है। सरकार द्वारा बाजरा, कपास और धान की खरीद नहीं की जा रही है। किसानों की धान की फसल मंडियो में बर्बादी हो रही है। हालत ऐसी है कि सरकार ने किसानों की धान की फसल खरीदने की बजाय सरकारी खरीद ही बन्द कर दी है जिसके कारण उनको धान की फसल कम भाव पर बेचनी पड़ रही है। इससे पहले सरकार ने किसानों की जो धान की फसल खरीदी थी, उसमें नमी के नाम से लगभग 150–200 रुपये प्रति क्विंटल कम दिये गये हैं। यह काम आज से नहीं हो रहा है बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है, तब से चल रहा है। यानि सरकार पिछले 5 वर्षों से इसी तरह खरीददारी करती रही। हमने इसी विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर यह बात कही थी कि जिस एजेंसी को धान की खरीददारी करने के लिए लगाया है, वह नमी के नाम से किसानों की फसलों के वास्तविक भाव में से 150–200 रुपये कम दे रही है। हमने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि क्या वे पैसे सरकार के खाते में जा रहे हैं या मिल मालिकों के खाते में जा रहे हैं या जो एजेंसी खरीददारी कर रही है, उसके खाते में जा रहे हैं? सरकार इस बात को टालती रही और आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। किसानों को जो जे फार्म दिया गया था, उसके ऊपर फसल के भाव दर्शाये गये हैं। किसानों को उनकी फसल के पैसे उसी हिसाब से चैक के माध्यम से दिये गये हैं, परन्तु इसमें किसानों के जो 150–200 रुपये नमी के नाम पर प्रति क्विंटल से हिसाब काटे गये हैं, उन पैसों को उसी में जोड़कर कहा गया है कि ये पैसे किसानों को नकद दे दिये हैं। जबकि उनमें से किसान के पास कोई पैसा नहीं गया। यह छोटा सा घोटाला नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह हजारों–करोड़ों रूपये का घोटाला है। इस प्रकार से किसानों को

मंडियों में लूटा जा रहा है। इसके साथ ही साथ बासमती धान की 1121 वैरायटी की किसान उम्मीद करता है कि उसको इस फसल के अच्छे भाव मिलेंगे। अबकी बार सरकार द्वारा धान की खरीद न करने से बासमती धान की 1121 और मुछल की वैरायटी भी पिटी हुई है क्योंकि बाजार में इनके भाव कम हैं। एक ओर जहां सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात कह रही है वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों की फसल खरीदने की बजाय परचेज को ही बन्द कर रही है और किसान अपनी फसल सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर है। सरकार किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने की बात कह रही है। सरकार द्वारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साईंटिस्ट के अलावा राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केन्द्रों पर जाकर कहा जा रहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों का उत्पादन बढ़ाना होगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए नये बीज तैयार किए जाएं। जबकि किसानों की फसल खरीदने की बात आती है तो उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। सरसों का ही उदाहरण ले लें तो एक तरफ तो यह प्रयास रहता है कि किसानों के खेतों में प्रति एकड़ 10–12–15 क्विंटल तक सरसों की पैदावार हो और दूसरी तरफ सरकार कैप लगाकर कहती है कि हम प्रति एकड़ 8 क्विंटल से ज्यादा सरसों नहीं खरीदेंगे। अबकी बार तो मंडियों में किसानों की ऐसी हालत हुई कि जब वह सरसों बेचने के लिए मंडी में गया और उस के पास 50 किलो सरसों बच गई तो सरकार द्वारा उसको नहीं खरीदा गया। अध्यक्ष महोदय, वह किसान उस 50 किलो सरसों को घर पर ले जाकर कहां रखेगा ? यह भी कैप लगा दिया गया कि सरकार 25 क्विंटल से ज्यादा किसी भी किसान की सरसों नहीं खरीदेगी। जो एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के मुताबिक एक किसान 32 एकड़ तक जमीन रख सकता है। अगर मैंने अपने खेत में 20 एकड़ में सरसों की फसल की बिजाई कर दी और उसमें 10 क्विंटल के हिसाब से पैदावार होगी तो मैं उस सरसों को कहां बेचकर आउंगा ? अगर मैं उस फसल को खुली बोली पर बेचूंगा तो 1,000–1,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कम दाम मिलेंगे। सरकार एक तरफ तो किसानों की आय दोगुना करने की बात करती है और दूसरी तरफ किसानों को उनकी फसल को कम रेट पर बेचने के लिए मजबूर कर रही है। सत्ता में आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी के लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। ताकि इससे किसानों को गेहूं के दाम 2000–2100 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा मिलें। सत्ता में आने से पूर्व यह

सरकार भी कहती थी कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां गई? माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं किया गया है। अगर प्रदेश में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं होगी तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे पूर्व एग्रीकल्चर मंत्री जी ने अपने भाषणों में यह कहा था कि किसान की फसल का जो लागत मूल्य होगा, हमारी सरकार उससे 50 प्रतिशत अधिक देने का काम करेगी। अध्यक्ष महोदय, किसान की फसल का 50 प्रतिशत अधिक देना तो दूर की बात रही, किसानों को सरकार आज तक उसकी लागत मूल्य भी नहीं दे सकी है। किसानों को उनकी फसलों का पैसा पूरा नहीं मिल रहा है। जहां तक नरमा और कपास की बात है तो इस बार इसका 5000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव है और उसकी चुगाई का खर्चा 1200 रुपये प्रति क्विंटल है। जब किसान अपनी फसल बाजार में बेचने जायेगा तो उसको 3800 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा न कि 5000 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जबकि सरकार ने 5500 रुपये प्रति क्विंटल रेट तय किया हुआ है और सरकार नरमा और कपास को सरकारी रेट पर खरीद भी नहीं रही है। आज अगर किसान 3800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजार में अपनी फसल बेचने जायेगा तो उसको अपनी जेब में से पैसा देकर आना पड़ेगा न कि वह जेब में पैसा डालकर के आयेगा। इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता था कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी और यह बात किस तरह से माननीय राज्यपाल महोदय को लिखकर दे दी गई और कैसे उनको अभिभाषण पढ़ने के लिए मजबूर किया गया? इसी वजह से ही माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण को बीच में ही छोड़ दिया। माननीय राज्यपाल महोदय भी समझते थे कि इसमें जो लिखा हुआ है वह केवल और केवल हरियाणा प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा करने के अलावा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें यह सारी चीजें पंसद नहीं थी और उन्होंने भी समझ लिया कि यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, इसलिए उन्होंने भी इस अभिभाषण का आखिरी पेज पढ़ना ही मुनासिब समझा। अध्यक्ष महोदय, यह कोई एक बार नहीं बल्कि पिछले गवर्नर साहब भी इसी तरह अभिभाषण पढ़कर चले गये थे। बड़ी हैरानी की बात है कि कैसे हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और कैसे इस महान सदन में इस तरह की बातें माननीय राज्यपाल

महोदय से कहलवाई जा रही है। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री कंवर पाल जी सदन में उपस्थित नहीं है। वे भी इस महान सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को लेकर बड़ी–बड़ी बातें कहकर चले गये। उन्होंने हरियाणा प्रदेश में नौकरियों के मामले में पारदर्शिता की बात कही। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पारदर्शिता की बात है तो मैं इस महान सदन में इस बात का जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश के किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र में जाते थे और वहां उनकी खुद की पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं जीता होता था या जब कभी चुनाव प्रचार के समय में जाते थे या चुनाव के बाद में जाते थे तो वहां कहते थे कि आपने हमें क्या दिया है, जो हम आपको कुछ देकर जायें? अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में हुड्डा साहब बैठे हैं, जो इस बात का सबूत है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं, वे भी इस बात का सबूत है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में ऐलनाबाद विधान सभा क्षेत्र में बाई इलेक्शन था और मैंने खुद वहां से बाई इलेक्शन लड़ा था। उस समय हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब हुड्डा साहब मेरे विधान सभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान ऐलनाबाद की जनता से मिले तो वहां की जनता ने इनसे कहा कि हमारे यहां पर कोई कॉलेज नहीं है और हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए 50–60 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है और हम राजस्थान के बॉर्डर पर बैठे हैं, इसलिए बच्चों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हुड्डा साहब ने वहां की जनता को अपनी शर्तें रखी कि पहले यहां से मेरी पार्टी का विधायक बनाकर विधान सभा भेजो फिर मैं कॉलेज बनवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बात का इनको वहां पर खामियाजा भुगतना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कैंडीडेट हार गया था और मैं जीता था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी पिछले दिनों जन आर्शीवाद यात्रा के दौरान ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में गये थे। इन्होंने वहां की जनता के सामने 7–8 प्वॉयंट रखे थे। अध्यक्ष महोदय, वहां एक बहुत बड़ा जमाल गांव है और वह राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता है। वहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी दिक्कत और किल्लत है जिसकी वजह से वहां के स्थानीय लोग राजस्थान से 700–800 रुपये के रेट के हिसाब से पानी का कैंटर मंगवाते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आर्शीवाद यात्रा वहां पहुंची तो गांव के लोगों ने इक्ट्ठे होकर कहा कि हमारे यहां पर पीने के पानी की बहुत दिक्कत और किल्लत है, इसका सरकार कोई

न कोई समाधान अवश्य करें। उनकी बात सुनने के बजाये इन्होंने उनको यह कहा कि जो लोग सफेद कपड़े और खंडका बांधे रखते थे। मैंने उनको खूंटी पर टांग दिया है। गांव के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम तो पीने के पानी की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि यहां पर बिना मतलब की राजनीति मत करो। फिर गांव के लोगों ने कहा कि हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के लोगों को कहा कि पहले यहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडीडेट को विधान सभा जिताकर भेजो, फिर मैं पानी के बारे में सोचूंगा। अगर सरकार में बैठे लोग स्वयं इस प्रकार की बात कह रहे हैं और विशेषकर मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रकार की बात प्रदेश के किसी विधान सभा क्षेत्र में जाकर कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वे पूरे प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव कर रहे हैं। जहां तक सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता का सम्बन्ध है तो उसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ यहां बताया जा चुका है कि हरियाणा प्रदेश में सरकारी नौकरियों में किस तरह की पारदर्शिता हुई है। जो जननायक जनता पार्टी है वह भी आज सरकार में शामिल है। जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान भर्तियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़े–बड़े आरोप लगाये गए थे। मैं यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जननायक जनता पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार पर लगाये गये आरोपों का ही जवाब दे दें तो हमें उसके बाद कुछ ज्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो जननायक जनता पार्टी ने कहा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के बारे में बता दें। जो सवाल जननायक जनता पार्टी ने खड़े किये थे सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी उनका ही जवाब दे दें। जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बारी–बारी से प्रैस कांफ्रैंस करके यह बात कही थी कि किस प्रकार से हर सरकारी भर्ती के अंदर ऐसे लोगों का चयन किया जाता था जो हमारे प्रदेश के निवासी ही नहीं थे। प्रत्येक सरकारी भर्ती में उम्मीदवारों को बाहर से लाया जाता रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का भी जिक्र आया था। यहां तक भी कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जब "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का जिक्र कर रहे थे तो वो बहुत भावुक हो गये थे। कंवर पाल जी भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के ऊपर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी चिरंजीव राव जी "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के सम्बन्ध में कुछ पूछना

चाह रहे थे लेकिन उनको बिठा दिया गया। ये पहली बार चुनकर इस सदन में आये हैं। इनको आपने कहा कि आप इस मामले में प्वायंट ऑफ आर्डर लेकर कुछ नहीं पूछ सकते। मेरा यह कहना है कि यह एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसके बारे में चिरंजीव राव जी पूछना चाह रहे थे। बावल के अंदर अनुसूचित जाति के एक गरीब परिवार की स्कूल गोईंग बेटी का अपहरण उसी के गांव के चार लोगों ने किया। आज उसका अपहरण हुए लगभग 496 दिन हो गये हैं लेकिन सरकार आज तक भी उस लड़की के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार बताये कि इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर कोई दूसरी एजेंसी जिम्मेदार है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप कृपया करके किसी के बारे में पर्सनल कमैंट्स न करें। (शोर एवं व्यवधान) अभय सिंह जी, आप कंटीन्यू करें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, उस समय सरकार का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करने के लिए श्री बनवारी लाल जी, तत्कालीन मंत्री के घर के बाहर अनुसूचित जाति के हज़ारों लोगों ने धरना दिया था। (विघ्न) इन्होंने अनेक बार ये आश्वासन दिये और अनेकों बार यह बात भी कही कि जो लोग भी इस मामले में गुनहगार हैं हम उनको 100 फीसदी पकड़ने का काम करेंगे लेकिन आज तक भी सरकार द्वारा उन गुनहगारों को नहीं पकड़ा गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" की बात कही गई है। यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा प्रदेश की बेटियों के लिए अनेकों विद्यालयों और महाविद्यालयों का निर्माण करवाया गया है। इस मामले में आज भी ऐसी हालत है कि गांव की लड़कियां, जो गांवों से शहरों में पढ़ने के लिए जाती हैं उनके शहर आने–जाने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी साधन मुहैया नहीं करवाये गये हैं जिस कारण आज भी लड़कियों को मज़बूरन 50–50 किलोमीटर तक गांव से अपने पैसे से वाहन का इंतजाम करके शहर तक पढ़ने जाना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश में आज अगर कोई सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो वे महिलायें और बेटियां हैं। दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में सरकार के पास पूरे के पूरे आंकड़े अवेलेबल होंगे। इस मामले में सबसे ज्यादा अपराध जनवरी, 2019 से लेकर के सितम्बर, 2019 तक हुए हैं। ये आंकड़ें मैं आपको

बताना चाहता हूं। इन पिछले नौ महीनों में हमारे प्रदेश के अंदर 884 हत्यायें हुई हैं, बलात्कार के केसिज 1286 हैं और गैंग रेप के केसिज 141 हैं। इसी प्रकार से अपहरण के केसिज 2767 हैं, डकैती के 116 केसिज हैं और दलितों के विरूद्ध अपराध के मामलों की संख्या 640 है। जब आप अगली संख्या के बारे में सुनेंगे तब आपको एहसास होगा कि हमारे प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं? अगली जानकारी मैं यह देना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के विरूद्ध जो अपराधों की संख्या है वह 14175 हैं। हरियाणा सरकार ने इस मामले में सारे के सारे रिकार्ड्स को बीट कर दिया है। इसके अलावा प्रदेश में चोरी की 18129 घटनायें हुई हैं। यह मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं कहा है, यह आपकी केन्द्र सरकार के आंकड़े हैं जिसके आधार पर मैंने आपके सामने ये बातें बता दी हैं। इसी प्रकार से सरकार जहां बेटियों की सुरक्षा की बात करती है तो मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध आज की सरकार में हुये हैं। इसी तरह से सरकार ने 24 घंटे बिजली देने की बात की थी लेकिन आज 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है आज लोगों को 8–8 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। साथ ही साथ जहां तक किसानों को ट्यूबवैल के कनैक्शन्ज देने की बात है तो सरकार यह भी बताये कि कितने किसानों को सरकार की तरफ से ट्यूबवैल्स के कनैक्शन्ज जारी किये गये हैं तथा कितने कनैक्शन्ज पैंडिंग हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं लेकिन कोई जवाब देने वाला यहां पर उपस्थित नहीं है। आज किसानों के ट्यूबवैल्स के कनैक्शन्ज पैंडिंग हैं और सरकार ने स्वयं माना था मेरे ख्याल से 36 हजार ट्यूबवैल्स के कनैक्शन्ज पैंडिंग थे। इसके अतिरिक्त सरकार ने एक और काम किया है कि जहां पर 12 फुट से 15 फुट तक वाटर लेवल है उस एरिया को भी डार्कजोन घोषित कर दिया है, वहां पर किसान ट्यूबवैल नहीं लगा सकता है। मेरे अपने जिले में रानियां में कई ऐसे गांव हैं जहां पर 12 से 15 फुट पर पानी है और सरकार ने उनको डार्कजोन घोषित कर दिया है। इसी प्रकार से सरकार ने ट्यूबवैल कनैक्शन्ज देने के साथ ही साथ शर्तें भी लगा दी हैं। सरकार का कहना है कि अगर आप ट्यूबवैल का कनैक्शन लेना चाहते हैं तो आपको यह ऐफिडेविट देना होगा कि आप उस ट्यूबवैल के पानी से धान की फसल पैदा नहीं करेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि किसान खेत में कौन सी फसल पैदा करेगा इसका निर्णय सरकार लेगी और उसी के अनुसार किसान अपनी खेती करने का काम करेगा।

श्री अध्यक्षः अभय जी, आप अपनी बात को जल्दी समाप्त कीजिए। मैं चाहता हूं कि जो नये सदस्य चुन कर आये हैं उनको अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय मिल सके।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही चाहता हूं कि नये सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले ताकि वे अपनी बात सदन में अच्छे ढंग से रख सकें। मैं दो–चार बातें आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात सरकार ने की थी कि हम बेरोजगारों को 6 हजार और 9 हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन सरकार ने वह 6 हजार और 9 हजार बेरोजगारी भत्ता देने की स्कीम बंद कर दी है। सरकार के साथ जो दूसरी साझीदार पार्टी है उसने भी बेरोजगारों को 11 हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही पूछना चाहता हूं कि उन बेरोजगारों को 11 हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता कब से देना शुरू करेंगे, कितने दिन के बाद यह मिलना शुरू हो जायेगा? इसी प्रकार से पानी की रिचार्जिंग की बात सरकार की तरफ से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गई है। उसमें लिखा हुआ है कि हम पानी को कैसे बचायेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि जल–संरक्षण के लिए पूरे प्रदेश में हम रैली निकालेंगे लेकिन रैली नहीं निकाली गई क्योंकि अगर जल–संरक्षण रैली निकाली जाती तो लोग मुख्यमंत्री जी से पूछते कि एस.वाई.एल. नहर के पानी का क्या हुआ, तथा दादूपुर नलवी नहर का क्या हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, जिस समय एस.वाई.एल. और दादूपुर नलवी नहर के बारे में सरकार की तरफ से इस सदन में जवाब दिया जा रहा था उस समय माननीय सदस्य सदन से वॉक–आउट कर गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः महीपाल जी, आप बैठ जाइये। मैंने इनको जो समय दिया है उसमें इनको न टोका जाए। ये चाहे अपनी बात को बार–बार कहें या एक बार कहें यह इनका अधिकार है।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो सवाल सदन में उठा रहा हूं उनका जवाब क्या कोई एम.एल.ए. देगा?

श्री अध्यक्षः नहीं, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे।

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, तो फिर ये एम.एल.ए. क्यों बोल रहे हैं?

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी जवाब सुनते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः घनश्याम जी, आप बैठिये। अभय सिंह जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बहुत जरूरी इशू की चर्चा करना चाहता हूं कि सरकार ने जो जल संरक्षण की बात कही है, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जब चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे तब दादूपुर नलवी नहर का एक प्रोजैक्ट शुरू हुआ था । उस प्रोजैक्ट को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार में उस समय हुआ जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और उस प्रोजैक्ट पर करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये खर्च भी किया गया था । उस दादूपुर नलवी नहर से केवल तीन जिलों कुरूक्षेत्र, अम्बाला और यमुनानगर के लोगों को पानी मिलना था क्योंकि यहां किसान केवल ट्यूबवैल पर डिपैंड है तथा नहर का पानी नहीं जाता । ढाई एकड़ के करीब जमीन उस नहर के पानी से रिचार्ज होनी थी लेकिन सरकार ने उस स्कीम को बन्द कर दिया है । दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पानी को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए । मुख्यमंत्री जी, इसके लिए आप जो नई स्कीम लेकर आए हैं वह बहुत ही हैरान करने वाली है । आप जब उस स्कीम को पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि गवर्नर के अभिभाषण में यह किस तरह की स्कीम लिख कर दे दी गई है । उस स्कीम में यह लिखा गया है कि छत के ऊपर पानी इक्ट्ठा करें । हमने जमीन में तो पानी चलता देखा है लेकिन छत के ऊपर जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है । इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या होगी ? सरकार को गवर्नर महोदय से इस अभिभाषण को पढ़वाने से पहले करैक्शन करवानी चाहिए थी । मेरा कहना है कि महामहिम को तो अभिभाषण ठीक से लिख कर दिया जाना चाहिए था । इसी अभिभाषण में आगे लिखा हुआ है कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि हम बच्चों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे । इसमें यह लिखा हुआ है कि हम दो लाख बच्चों को इस योग्य बनाएंगे कि कल को वे कहीं नौकरी कर सकें । एक तरफ तो आप बच्चों को योग्य बनाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में करीब

चार लाख बच्चों का गलत तरीके से दाखिला किया गया है अर्थात चार लाख के करीब बच्चों का दाखिला फर्जी हुआ है और इन चार लाख बच्चों की दाखिला फीस को प्राईवेट स्कूलों को चलाने वाले लोग खा गए। उसमें सरकार ने क्या किया उसके बारे में भी बता दें। एक तरफ तो सरकार बेरोजगारी को खत्म करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ सरकार के चेहेते गरीब आदमी का पैसा हड़पने का काम कर रहे हैं । प्रदेश की इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद लेकिन इसके साथ ही सरकार आज जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आई है मैं उसका विरोध करता हूं ।

सदस्यों के फोटोग्राफ के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि हरियाणा विधान सभा के समिति कक्ष, जोकि सचिव, हरियाणा विधान सभा के कक्ष के साथ है में जन सम्पर्क विभाग हरियाणा द्वारा सभी विधायकों की फोटो खींची जा रही है इसलिए आप सभी एक–एक करके समय निकालकर समिति कक्ष में फोटो खिचवां लें । यह प्रक्रिया आज शाम 5:00 बजे तक ही रहेगी ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और अहम इशू प्रदूषण को लेकर है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मुख्यमंत्री जी अभी उसका जवाब देंगे । यह विषय पहले आ चुका है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसान को जो 10 प्रतिशत सब्सिडी देकर 20 रुपये का कैमिकल देने की बात कही गई है । इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के साईंटिस्टस की रिपोर्ट के मुताबिक यह बात कही गई है कि अगर इस दवाई का छिड़काव पैडी की फसल को स्टबल को खाद बनाने में किया जाएगा तो इस दवाई के छिड़काव के बाद भी उस को खाद के रूप में तबदील होने में दो महीने लगते हैं । यह कोई थोड़ा समय नहीं है । अगर दो महीने तक किसान की जमीन खाली रहेगी तो किसान अपनी अगली फसल नहीं पका पाएगा ।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा पर अगर कुछ और सदस्य बोलना चाहते हैं तो अपना नाम बताकर बोल सकते हैं ।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के संदर्भ में हरियाणा को देश का नंबर–1 अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा करके हरियाणा की नई सरकार ने मात्र एक लाइन में अगले 5 साल के लिए अपना विजन तय कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यह सरकार चाहती है कि पूरे राज्य में लोगों का जीवन खुशहाल हो, लोगों को सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य और सुलभ न्याय की सुविधायें मिलें। (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मोबाइल में लिखी बातों को पढ़कर बोल रहे हैं। सदन में इस प्रकार मोबाइल में लिखी बातों को पढ़कर बोलना कदापि उचित नहीं माना जा सकता? (विघ्न)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मोबाइल में लिखी बातों को पढ़कर बोलने के कार्य के द्वारा एक तरह से डिजिटलाइजेशन को ही बढ़ावा देने का काम रहे हैं। माननीय श्रीमती गीता भुक्कल जी प्रदेश की शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। अतः यदि कोई नया सदस्य डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपनी बात रख रहा है तो सदन के अनुभवी सदस्य होने के नाते उनको उस नए सदस्य को बोलने के लिए बढ़ावा देने का ही काम करना चाहिए? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गीता जी, आप प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य सदन के नए सदस्य हैं। अगली बार वे लिखकर अपनी बात रख लेंगे।

श्री नरेन्द्र गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का एक नया सदस्य हूँ और पहली बार इस सदन में बोल रहा हूँ। जब माननीय हुड्डा साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अगले 5 साल के लिए सरकार का कोई विजन नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि पिछले पांच साल की मनोहर सरकार के प्रयासों की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अखिल भारतीय रैंकिग में हरियाणा राज्य देश में 14 वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और इसका नतीजा यह सामने आया है कि हरियाणा में रोजगार बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार इस सदन का सदस्य बनकर आया हूँ। सदन में जिन लोगों ने अपनी बात रखी, उसके लिए उन्होंने जो प्वॉयंट्स लिख हुए थे, उन प्वॉयंट्स को पढ़कर अपनी बात रखी थी लेकिन मैंने यह प्वॉयंट्स अपनी मोबाइल

में लिखे हुए थे, इसलिए मैंने उन प्वॉयंट्स को देखकर बोलना शुरू किया था। इसमें कौन सी गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों में बिजली व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अनेक पारदर्शी कदम उठाये हैं और इस बार के महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से यह साफ कर दिया गया है कि सरकार प्रशासनिक सुधारों को अपने मुख्य एजेंडे में रखेगी। अध्यक्ष महोदय, जनता ने सरकार को जवाबदेही और पारदर्शी शासन देने के लिए चुना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह स्पष्ट है कि हमारी सरकार जवाबदेही और उत्तरदायी बनकर शिकायत निवारण प्रणाली को और मजबूत करने का काम करेगी। हरियाणा एक–हरियाणवी एक की अवधारणा पर काम करते हुए शांति–सदभाव और आपसी भाइचारे की कड़ियों को और मजबूत करने की दिशा में काम किया जायेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रत्येक वाक्य में संकल्पों को पूरा करने की वचनबद्धता दिखाई पड़ती है। अब ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी मैं इस सदन में माननीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से बोलता रहूंगा। धन्यवाद।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यदि विधान सभाओं के ट्रेडीशन की बात करें तो पायेंगे कि जो गवर्नर एड्रैस होता है, वह एक तरह से सरकार का विजन डॉक्यूमैंट ही होता है। वर्तमान में जो यह साढ़े ग्यारह पेज का गवर्नर एड्रैस तैयार किया गया है, मैं समझता हूँ कि पहली बार हरियाणा की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को साढ़े ग्यारह पेज में ही सीमित कर दिया गया हो। वास्तव में यह अभिभाषण जल्दी– जल्दी में तैयार किया हुआ अभिभाषण है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप खुद बतायें कि क्या यह अभिभाषण छोटा है या बड़ा है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सरकार को बतानी चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह बात तो आपको बतानी चाहिए व सरकार को बतानी चाहिए लेकिन जहां तक मेरे नॉलेज की बात है गवर्नर एड्रैस का मायना यह है कि गवर्नर एड्रैस से पूरे सदन व पूरे प्रदेश को एक जानकारी मिलती है कि सरकार प्रदेश हित में भविष्य में क्या–क्या काम करना चाहती है। गवर्नर एड्रैस किसी भी सरकार का एक विजन डॉक्यूमैंट होता है परन्तु गठबंधन सरकार का जो यह विजन डॉक्यूमैंट तैयार किया गया है, मेरे हिसाब से इसको भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के चुनावी वायदों के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के 260 चुनावी वायदे हैं और जनजानयक जनता पार्टी के 160 के करीब चुनावी वायदे हैं इन दोनों को अगर जोड़ दे तो यह कुल 420 प्वॉयंट्स बनते हैं। 420 मैनिफैस्टो प्वॉयंट्स के आधार पर गवर्नर एड्रैस तो तैयार कर दिया लेकिन गवर्नर एड्रैस में यह कहीं भी मैंशन नहीं है कि भविष्य में सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, सरकार का क्या विजन होगा तथा प्रदेश को किस दिशा में ले जाने का काम यह सरकार करेगी। अध्यक्ष महोदय, गठबंधन सरकार की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। सदन में हमारे साथी व हमारे अजीज डिप्टी सी.एम. बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि गवर्नर एड्रैस को तैयार करते समय गठबंधन पार्टी की कोई सलाह नहीं ली गई और यह साफ तौर से इस विजन डॉक्यूमैंट में झलकता भी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी प्वायंट यह है कि सरकार कहती थी 'सबका–साथ सबका–विकास' और 'हरियाणा एक–हरियाणवी एक' लेकिन वर्ष 2016 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बेरी हल्के में गए थे और लोगों की मांग के अनुसार घोषणा करके आए थे कि बेरी में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवायेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी स्कूल के एक फंक्शन में कहा था कि हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा बेरी हल्के के विधायक हुआ करते थे और उनके नाम से बेरी हल्के में राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवायेंगे और इस बारे में उन्होंने ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आश्वासन भी दिया था। 'सबका–साथ सबका–विकास' सरकार का खोखला नारा रहा है और सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बेरी हल्के की उस राजकीय कन्या महाविद्यालय बनवाने की मांग को पूरा किया जाए। एक विधायक चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो उसे अपने हल्के की सारी समस्याओं और मांगों का पता होता है। उसको यह भी पता होता है कि उसके हल्के में कौन–कौन सी नई सड़कें बनवानी

हैं, कौन–कौन सी सड़कें खराब हैं और कौन–कौन से डिवैल्पमैंट के काम करवाने हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि हर माननीय सदस्य को भी कैबिनेट के मिनिस्टर की तरह अपने हल्के में विकास के कामों के लिए 5 करोड़ रुपये की स्वैच्छिक ग्रांट दी जानी चाहिए ताकि हरियाणा के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 'सबका–साथ सबका–विकास' का नारा सही साबित हो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सरकारी खजाने का प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समानुपात में अच्छी तरह से उपयोग हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अभिमन्यु इस बार विधान सभा के सदस्य नहीं है, इसलिए मेरा आखिरी सुझाव यह है कि जाट आंदोलन के कारण बहुत से कॉलेज के युवक उनकी कोठी को आग लगाने के अपराध में जेलों में बंद हैं और आज उनके परिवार बर्बादी की कगार पर पहुँच गए हैं। जो बच्चे आगे चलकर अपने परिवारों की मदद करते आज वे बच्चे जेलों में बंद हैं। आज 14वीं विधान सभा की सरकार का पहला सत्र है और सरकार को अपने पहले सत्र में एक जैस्चर दिखाना चाहिए और उन बच्चों को माफीनामा देकर जेलों से छुड़वाना चाहिए। सरकार इस तरह की प्रथा न शुरू करें कि कोई भी अपने मौलिक हकों की लड़ाई सड़कों पर उतरकर न लड़ सके। अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं है, इसलिए माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। यह बहुत ही गंभीर मामला है, यदि सरकार इस मामले पर बहुत बड़ा जैस्चर अगर दिखायेगी तो सरकार की फराखदिली का मैसेज पूरे हरियाणा में जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि आप नव निर्वाचित सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा बोलने का समय दें। अंत में मैं प्रदूषण के बारे में जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि I am concerned with this thing पराली के नाम पर किसान को घोर बदनाम करने की गहरी साजिश है। ऑनरेबल स्पीकर सर, यह किसान के खिलाफ एक गहरी साजिश है और अगर इसका पता लगाने के लिए रिसर्च की जाए तो सही तथ्य सामने आ जाएंगे । एक बड़े गांव में लगभग 3 हजार परिवार रहते हैं । उन सभी परिवारों में पहले उपलों पर दूध की हाण्डी चढ़ती थी, उपलों पर ही भैंसों का बाक्खर और बिनौले रंधते थे, उन्हीं पर पूरे परिवार की 3–3 बार रोटी भी बनती थी, रात को जानवरों को मक्खी–मच्छरों से बचाने के लिए जानवरों द्वारा छोड़ी गई हरी घास में आग लगाते थे और वह सारी रात सुलगती रहती थी और धानों की पराली भी जलाई जाती थी इत्यादि । इन सारे कामों में खूब धुँआ निकलता था

लेकिन आज गांवों में ये सारे काम लगभग गैस से हो रहे हैं । अतः स्पष्ट है कि गांव और किसान के लैवल पर तो प्रदूषण घटा है । अब प्रदूषण बढ़ा क्यों है यह एक रिसर्च का विषय है । सरकार को पता लगाना चाहिए कि देश में कितने वाहन बढ़े हैं और कितना इंडस्ट्रीलाइजेशन हुआ है । स्पीकर सर, अपने बच्चों का पेट खाली रखकर देश का पेट पालने वाले किसान को बदनाम करने की साजिश हो रही है । स्मॉग वाले केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी किसान को बदनाम करने वाला फैसला दिया । मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भी सहमत नहीं हूं । यह एक बहुत ही सीरियस मैटर है । जो वर्ग देश का पेट पालता है और जिसका बेटा बर्फीली चट्टानों पर जाकर देश की रक्षा करता है और 'जय जवान, जय किसान' का नारा जिस वर्ग से फलीभूत होता है उसको इस देश में बदनाम किया जा रहा है । इस विषय पर मेरा आपको सजैशन है कि विधान सभा की एक कमेटी बनाई जाए जो पता करेगी कि एयर पॉल्यूशन बढ़ने के क्या कारण हैं, कितने साल में कितने वाहन बढ़े हैं, कितनी इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं इत्यादि । आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन में मुझे बोलने के लिए पहली बार समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत–सी बातें कही हैं । मैं उसमें से स्वास्थ्य के विषय पर बोलना चाहूंगा । माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2015 में मनेठी में एक 'एम्स' बनाने की घोषणा की थी और इस 'एम्स' को माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वर्ष 2018–19 में स्वीकृति भी दी थी । अब कहा जा रहा है कि इसको फॉरेंसिक क्लीयरैंस नहीं मिली है । मैं सरकार से जवाब चाहता हूं कि मनेठी में 'एम्स' बनेगा या नहीं ? मेरे विधानसभा क्षेत्र में सांडवास नाम का एक गांव है । उस गांव में लगभग 5 करोड़ रूपये की लागत से एक पोलिटैक्निक बनाया गया था लेकिन आज उसमें न तो कोई डॉक्टर उपलब्ध है और न ही कोई मशीन उपलब्ध है । अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को उसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैं अब किसानों के बारे में बात करना चाहूंगा । पिछले दिनों मैं अनाज मण्डी में गया था । मैंने वहां पर देखा कि वहां पर न तो धान की खरीद हो रही है और न ही कपास की खरीद हो रही है । अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए । मैं इस सरकार के 'बेटी बचाओ, बेटी

पढ़ाओ' के नारे को पिछले 5 सालों से लगातार सुन रहा हूं । पिछली सरकार में मंत्री रहे डॉ. बनवारी लाल के घर के बाहर मोहनपुर गांव के लोग पिछले 496 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं । (विघ्न)

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई नहीं बैठा है ।

श्री चिरंजीव राव : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए । इस सरकार द्वारा रेवाड़ी को आवारा पशुमुक्त होने की घोषणा की गई थी । मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वहां जाएंगे तो आपको वहां पर आवारा पशु आम ही नजर आ जाएंगे । मेरा कहना है कि सरकार को रेवाड़ी के आवारा पशुमुक्त होने की घोषणा करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या रेवाड़ी वाकई आवारा पशुमुक्त हो गया है या नहीं । इस सदन में पॉल्यूशन की बात उठी थी । मेरा कहना है कि हरियाणा में प्रदूषण से अगर कोई क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वह अहीरवाल क्षेत्र है । मेरा अनुरोध है कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय जवाब दें और इन समस्याओं को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं । इसके अलावा हमारे प्रदेश में ड्रग्स का सेवन बहुत तेजी से फैल रहा है । इस समस्या को रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं ।

.....

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन दोपहर के खाने के लिए 45 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

*13:45 बजे

(तत्पश्चात् सभा 45 मिनट के लिए *स्थगित हुई तथा 2:30 बजे रि–असैम्बल्ड हुई।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ होगी।

श्री असीम गोयल (अम्बाला भाहर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। आज मैं इस महान सदन में पुनः निर्वाचित होने पर अम्बाला शहर की स्वाभिमानी जनता का आपके माध्यम से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्रारूप हम सबके सामने है। हमारी सरकार ने विगत 5 सालों में हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए क्या–क्या विकास कार्य करवाये और आगे आने वाले 5 सालों में क्या–क्या जन–कल्याणकारी कार्य करेगी, उसके बारे में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जानकारी दी गई है। यह सही बात है कि जो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, वह सरकार के काम का आइना होता है। सरकार जनता को किस प्रकार की सुविधाएं देना चाहती है, उस सारे कामकाज का लेखा–जोखा इस अभिभाषण में होता है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश में व्यक्ति अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति और अपने समाज के प्रति जागरूक हुआ है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वह ''स्वच्छ भारत'' की बात हो, चाहे ''प्लास्टिक फ्री इंडिया'' की बात हो और चाहे ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' की बात हो। इन सभी सामाजिक बातों को अगर आंदोलन के रूप में किसी ने खड़ा किया है तो निःसंदेह हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया है। उसके लिए मैं माननीय मनोहर लाल जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पूर्व हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने और विपक्ष के साथियों ने भी इस अभिभाषण पर चर्चा की। यह जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हैं वे एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी बात इस महान सदन में हरियाणा की स्वाभिमानी जनता के सामने रखेंगे और यह भी स्वाभाविक है कि जो विपक्ष के सदस्य होते हैं, वे अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं कोई छोटी गलती भी हो जाती है तो उस छोटी सी गलती को भी हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने बढ़ा चढ़ाकर रखते हैं। कल इस महान सदन में विपक्ष के माननीय नेता ने कहा था कि विपक्ष का रोल केवल टीका टिप्पणी करने तक या नकारात्मक बातों तक सीमित न रहकर एक सकारात्मक विपक्ष का रोल निभाने का भी होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन में कहना चाहता हूं कि आज जैसे ही हमारे साथी श्री कंवर पाल जी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने

शायद दो तीन लाइनें ही अभिभाषण से संबंधित कही थी परन्तु विपक्ष की तरफ से टीका टिप्पणी होनी प्रारम्भ हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश की जनता सब जानती है और जनता ने काबिलियत के आधार पर सभी साथियों का स्थान निर्धारित किया है। हमें जनता ने पांच साल के लिए उसी स्थान पर सकारात्मक पक्ष के रूप में बैठने का जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को विपक्ष को मन से स्वीकार करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के सभी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता ने हमें जैसा आदेश दिया है, हम वहीं बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक वर्ष 2005 की बात है तो कांग्रेस पार्टी को वर्ष 2005 में 67 सीटें मिली थी और वर्ष 2009 में 40 सीटें ही मिल पाई थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने वर्ष 2009 में हजकां पार्टी के सभी सदस्यों को पांच साल तक दल–बदल विरोधी कानून मामले में फैसला लम्बित रखने का काम किया। जिसके कारण हजकां पार्टी को कोई इन्साफ भी नहीं मिला। इससे साफ पता चलता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था और इस बात को हरियाणा प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है। हमें तो जनता ने आशीर्वाद के रूप में इस बार 3 प्रतिशत अधिक जनमत देकर दोबारा से पांच साल के लिए जनसेवा करने के लिए चुना है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पुरानी सरकारों ने हमें तो बी.एस.पी. से बाहर ही नहीं आने दिया था। बी.एस.पी. से मेरा अभिप्रायः बहुजन समाज पार्टी से नहीं है बल्कि बी.एस.पी. से मेरा अभिप्रायः बिजली, सड़क और पानी से है। पुरानी सरकारों ने बड़ी बुरी तरह से हमें इस बी.एस.पी. के चक्रव्यूह में लपेटकर रखा था। आज हमारे विपक्ष के कई साथी यह कह रहे थे कि हमें प्रदेश में कहीं पर भी 24 घंटे बिजली देखने को नहीं मिली। अगर किसी साथी को यह देखना है तो वह अम्बाला जिले के किसी भी गांव और किसी भी शहर में चला जाये उसको सभी जगह 24 घंटे बिजली की उपलब्ध्ता मिल जायेगी। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। (शोर एवं व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मुलाना से विधायक श्री वरूण चौधरी जी अम्बाला शहर में मेरे ही सैक्टर में रहते हैं आप इनके जैनरेटर और इंवर्टर को चैक करवा लें आपको पता चल जायेगा कि वे

कितने दिनों से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी श्री वरूण चौधरी जी को यह कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं और मुझे वे दिन भी याद हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के राज में हर रोज़ दिवाली होती थी। उसके ऊपर हमने अवश्य कुठाराघात किया है। वह दीवाली कैसे होती थी अब मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। गर्मियों के मौसम में लोगों द्वारा शाम को छत के ऊपर अपना बिस्तर लगा दिया जाता था और टेबल फैन का स्विच ऑन करके छोड़ दिया जाता था यह सोच कर कि रात में जब भी लाईट आयेगी तो वह टेबल फैन चल जायेगा। जब कभी–कभी लाईट आती थी तो उस समय पूरे के पूरे गांव में और पूरे के पूरे मौहल्ले में दिवाली जैसा ही माहौल होता था। इस प्रकार से हमारी सरकार ने ऐसी दीवाली को गांव के निवासियों से छीना है क्योंकि अब उनको पता ही नहीं चलता कि लाईट कभी जाती भी है या नहीं? (शोर एवं व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पॉवर प्लांट्स पूर्व सरकारों द्वारा बंद किये गये थे हमारी सरकार द्वारा उन्हीं पॉवर प्लांट्स को ही सुचारू रूप से चलाकर प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का काम किया गया है। मैं पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की हरियाणा सरकार के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश के लोगों को 24 घंटे बिजली देने के जो बड़े–बड़े दावे किये थे उस समय ऐसे क्या कारण थे कि हरियाणा प्रदेश के अधिकतर गांवों में तो बिजली देखने को भी नहीं आती थी। हमारी सरकार ने कोई अतिरिक्त पॉवर प्लांट भी नहीं लगाया लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में पूरे हरियाणा प्रदेश के आधे से अधिक गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करवाई जा रही है। कांग्रेस के माननीय साथियों को अपनी नीति और नियत को साफ करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा से ही ब्लैक मार्किटिंग की जननी रही है। चाहे तेल की बात हो, टेलीफोन की बात हो और चाहे खाद की बात हो इन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में ब्लैक मार्किटिंग की है। इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के कर्ताधर्ता किसानों के बड़े हितैषी होने के बड़े–बड़े दावे करते नहीं थकते हैं। इनकी असलियत का लोगों को बाद में तब पता चलता है जब इनके द्वारा किये गये विभिन्न प्रकार के दावे 100 प्रतिशत खोखले साबित हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के कर्ताधर्ता अपनी सरकार के समय में खाद की बहुत बड़े लैवल पर ब्लैक मार्किटिंग किया करते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : असीम जी, आप थोड़ा सा शॉर्ट करें ताकि बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलने के लिए समय दिया जा सके। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यों से मेरा विशेष अनुरोध है कि कोई भी माननीय सदस्य बीच में न बोले। असीम जी, आप कृपया करके कंटीन्यू करें।

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, हमारे गांव नन्यौला में अनाज मण्डी पंजाब के बॉर्डर के ऊपर स्थित है। माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा साहब की सरकार के समय में पंजाब की धान की फसल की आवक को हरियाणा बंद करने के लिए जब बैरीकेड्स लगाये गये थे तो उन्हें हटाने के लिए बात करने हेतु हमने हुड्डा साहब से समय मांगा। यहां पर हुड्डा साहब से बात करने के लिए 400 से 500 की संख्या में राईस मिलरर्ज और आढ़ती भाई आये हुए थे। हुड्डा साहब ने उनको चार घंटे इंतजार करवाने के बाद एक मिनट में दो टूक जवाब दे दिया कि तुम सभी किसानों का शोषण करने वाले लोग हो यहां से भाग जाओ वरना लाठीचार्ज़ करवा दूंगा। ऐसे हालात तत्कालीन हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के अंदर पैदा किये थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है क्योंकि श्री असीम जी द्वारा मेरा नाम लेकर टिप्पणी की गई है। मैं आपके माध्यम से इनको यही कहना चाहता हूं कि इनको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि मेरी सरकार के समय में किसी के भी ऊपर कभी भी कोई लाठीचार्ज़ नहीं हुआ था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, अगर कोई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने लाता है तो उससे इनको परेशानी होती है। अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का एक मज़बूत नैटवर्क खड़ा किया गया है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में रेलवे लाईन्स पर बड़ी संख्या में आर.ओ.बीज. और आर.यू.बीज. का भी निर्माण भी करवाया गया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से श्री असीम गोयल जी से यह भी कहना है कि वे सदन में ज्यादा झूठी ब्यानबाजी न करें क्योंकि इसके बावजूद भी इनको हरियाणा सरकार में मंत्री पद नहीं दिया जायेगा।

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2020 तक हरियाणा को फाटक फ्री करके एक मजबूत स्ट्रक्चर के नाते आर.ओ.बी. और आर.यू. बी. बनाए जायेंगे। इसी प्रकार से अगर पानी की बात की जाये तो जननायक के

नाते जिस प्रकार से जल–युद्ध का प्रचार करके और कुदाल, कस्सी तथा गैती लेकर एस.वाई.एल. खोदने की बात जो लोग करते थे वे इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। एस.वाई.एल. के मुद्दे को माननीय उच्चतम न्यायालय में मजबूती से रखने का काम श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है और अब उसका फैसला हमारे हक में आया हुआ है। इसी तरह से अगर पंचायती राज की बात की जाये तो शहरों में और गांवों में एक नये तरह का विकास करने का काम हमारी सरकार ने किया है। पहली सरकारों का एक ही मिशन होता था ग्रांट पर कमीशन। सरपंच को बुला कर सीधे पूछ लिया जाता था कि भाई हम आपको इतनी ग्रांट देंगे तो आप कितना कमीशन देंगे। अब जो पढ़ी–लिखी पंचायतें आई हैं उसके कारण कोई अधिकारी अब उनसे गलत तरीके से साइन नहीं करवा सकता तथा कोई अधिकारी उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकता है। इस प्रकार से हमारी सरकार ने पढ़ी–लिखी पंचायतें बना कर देश में एक नई मिशाल पेश की है। अब मैं इसके अतिरिक्त अंतोदय की बात करना चाहता हूं। अंतोदय योजना के तहत समाज की पिछली पंक्ति में जो सबसे पीछे बैठा व्यक्ति है जब तक उसको लाभ न मिले तब तक सरकार चलाना बेमानी है इस बात को सोचते हुये मुख्यमंत्री जी ने परिवार समृद्धि योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत जिस भी परिवार की सालाना आमदनी 1,80,000/– रुपये से कम है या उसके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है तो उसको हर साल 6 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अब मैं खेल और खिलाड़ियों के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। खेल और खिलाड़ियों का सही सम्मान हमारी सरकार ने किया है। इस बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक विद्वान ने अपने शिष्यों से पूछा कि इस दुनिया में सबसे अनमोल जल कौन सा है। किसी ने कहा कि गंगाजल सबसे अच्छा जल है, किसी ने कहा कि माता–पिता के चरणों को छुआ हुआ जल सबसे अच्छा होता है तो किसी ने कहा मंदिर में जो जल जलहरी में चढ़ाया जाता है वह जल सबसे अनमोल होता है। तब गुरूजी ने कहा कि ये सभी पावन जल हैं क्योंकि न तो माता–पिता अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं और न मंदिर में भगवान भेदभाव करते हैं और गंगा मैया तो सभी के लिए अपना अंक हमेशा खुला रखती हैं। ये सभी जल तो पवित्र जल होते हैं तो बताओ अनमोल जल कौन सा है? तब शिष्यों ने कहा कि गुरूजी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसलिए आप ही बताइये कि सबसे अनमोल जल कौन सा होता है। तब गुरूजी ने बताया कि जब कोई गृहिणी

भोजन कक्ष में निरलेप भाव से अपने पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती है उस समय जो पसीना बहता है उसको सबसे अनमोल जल माना जाता है। इसी प्रकार से जब रंगमंच पर कोई कलाकार अपने अभिनय की प्रस्तुति देने के लिए जो पसीना बहाता है तथा खेल के क्षेत्र में खेलने के लिए खेल की भावना के साथ तथा अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जब कोई खिलाड़ी पसीना बहाता है उसको अनमोल जल माना जाता है। इसी जल को अनमोल जल मानकर श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि नये चुन कर आये सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा समय मिले इसलिए ज्यादा समय न लेते हुये मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यदि की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 4.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 4.00 बजे तक के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

श्री रणधीर सिंह गोलन (पुण्डरी): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम माननीय महामहिम के अभिभाषण पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। सदन में माननीय विधायक श्री कंवर पाल जी ने किसानों के हित के बारे में सदन में जो विषय रखा है, मैं भी उस विषय पर सदन में अपनी बात रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले पांच साल के कार्यकाल में जिस प्रकार से कोआपरेटिव बैंक, अपैक्स बैंक तथा लैंड डिवैल्पमैंट बैंक में किसानों के कर्ज की ब्याज की राशि माफ करने का काम किया गया गया है, वह वास्तव में काबिले–ए–गौर है और सरकार का यह कार्य एक तरह से किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि सरकार द्वारा किसान हित के इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में

भी चलाये जाते रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूं और मैं किसानों की हर समस्या के बारे में भलीभांति जानता हूँ। कोई भी किसान ऐसा नहीं है जोकि कर्जमंद न हो और ऐसी अवस्था में सरकार ने गरीब किसानों के कर्ज की ब्याज की राशि को माफ करके बहुत ही अनूठा कार्य करके दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने किसानों के कर्ज के ब्याज की राशि को माफ करने का सराहनीय कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी ने भी देश के सभी छोटे–बड़े किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6 हजार रूपये की राशि देने का जो अनूठा कार्य किया है, वह भी वास्तव में एक सराहनीय तथा बहुत बड़ा कदम है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पिछले पांच साल के कार्यकाल में सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा पर काम करते हुए प्रदेश का बहुत विकास किया है। यही नहीं प्रदेश में मैरिट के आधार पर नौकरियां देने का जो कार्य किया गया है वह भी वास्तव में बहुत ही सरहानीय कदम है। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो मैं इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि सरकार ने अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 700–800 युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का कार्य किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक डीग गांव है जोकि एक बैरागी बहुल समाज का गांव है। इस गांव में कम से कम 140–150 बेरोजगार युवाओं की विभिन्न डिपार्टमैंट्स में नौकरियां मिली हैं। चाहे पुलिस डिपार्टमैंट में भर्ती की बात हो, चाहे एजूकेशन डिपार्टमैंट में लैक्चरर की भर्ती की बात हो या चाहे ग्रुप डी मे ही भर्ती की ही बात क्यों न हो, कहने का भाव यही है कि हर क्षेत्र में हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। अगर मेरी बात को सच नहीं मानते तो सदन का कोई भी सदस्य स्वयं जाकर या अपने स्रोत के माध्यम से मेरी बात की सच्चाई पता कर सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बि□ान लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर इतने बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किए गए है तो फिर यह सरकार हारी क्यों? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह गोलनः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी नहीं है। अगर हारी होती तो आज हम सत्ता में नहीं होते। खैर हारना–जीतना एक अलग विषय है और मैं अब एक बार फिर से विषय पर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीयत और पॉलिसी बिल्कुल साफ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, सदन में हमारे नये सदस्य भी चुनकर आये हैं। अतः जो सदन के पुराने सदस्य हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे नये सदस्य बोलना शुरू करें तो उनको बीच में डिस्टर्ब न किया जाये। अगर बीच में टोका–टाकी नहीं होगी तो इससे सदन के नये सदस्यों को एक तरह से बोलने के लिए प्रोत्साहन ही मिलेगा ।

श्री रणधीर सिंह गोलन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन के सभी 90 के 90 सदस्यों को अपना भाई मानता हूँ और समझता हूँ कि अगर कोई सदस्य मुझे बोलने में डिस्टर्ब करेगा तो निःसंदेह इस तरह की कार्यवाही से भी मेरे जैसे नये सदस्यों को कुछ सीखने को ही मिलेगा। अतः अब मैं फिर से विषय पर आता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में पारदर्शिता स्थापित करने का कार्य किया है। मैं यह बात बढ़ा–चढ़ाकर नहीं कर रहा हूँ बल्कि जो वास्तविकता है केवल उसी को सबके सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि कोई भी सरकार जो अच्छा काम करती है, उन कार्यों की हर हाल में सराहना की जानी चाहिए और इसी परिपेक्ष्य में मैं सर्वदल के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार की स्वच्छ अवधारणा पर काम करते हुए सरकार द्वारा प्रदेश के विकास की दिशा में जो भी अच्छे कार्य किए जायें, उन कार्यों की साफ दिल के साथ सरहाना की जानी चाहिए और एक प्रकार से यह सभी सदस्यों का कर्त्तव्य भी बनता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अच्छा लगा जब माननीय हुड्डा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि सरकार द्वार प्रदेश के हित में तथा प्रदेश के विकास में जो भी सराहनीय कार्य किए जायेंगे, उन सभी के लिए वह सरकार का साथ देंगे मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार की भावना सदन के हर सदस्य की होनी चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप मुझे इसी प्रकार सदन में बोलने का मौका देंगे। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत ।

श्री अमित सिहाग (डबवाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूंगा और हमारे सभी जितने भी विधायक नव निर्वाचित होकर आए हैं उनको भी और नई सरकार को भी मैं बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूंगा । आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में जो बात रखी गई है उसमें किसान की आमदनी को दुगुना करने की

बात रखी गई है। हम यह वायदा करते हैं कि सरकार किसान की फसल का एक–एक दाना समर्थन मूल्य पर लेने का काम करेगी । वहीं मैं बताना चाहूंगा कि जिस सोच के आधार पर जनता ने जो जनादेश दिया है वह आपके बीच में है । जबकि आप 75 पार की बात करते थे । जहां कांग्रेस पार्टी को लोग यह कहते थे कि कांग्रेस पार्टी 5 से 6 सीटें लेकर आएगी आज वह कांग्रेस पार्टी 31 सीटें लेकर आई है । सही मायने में खासकर किसानों ने अपना जनादेश दिया है क्योंकि आज की तारीख में किसान बदहाली की कगार पर है । अब जबकि किसान की बात हो रही है तो मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि किसान के लिए सिंचाई किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के समय महीने में 16–16 दिन नहरें चला करती थी लेकिन आज जिस प्रकार की नहरी व्यवस्था का हाल हो चुका है, वह हम सबके सामने है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के पिछले पांच साल के कार्यकाल में हमारे किसान भाई ट्यूबवैल कनैक्शंज के लिए दर दर की ठोकरें खाते रहे। किसानों के साथ किए जा रहे इस अन्याय के संबंध में ऐलनाबाद से विधायक श्री अभय सिंह चौटाला जी जोकि मेरे बड़े भाई की तरह हैं, ने भी बिलकुल धरातल से जुड़ी एक आवाज उठाई थी लेकिन शायद चुनाव के शोर गुल व 75 पार के जुनून में सरकार इस आवाज को सुन नहीं पाई। अध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल कनैक्शंज का मुद्दा न केवल मेरे क्षेत्र में बल्कि पूरे सिरसा जिलें में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। ट्यूबवैल कनैक्शंज के लिए सरकार ने पिछले एक साल से जनता को गुमराह करते हुए बारी–बारी अनेकों वायदे किए और उनसे पैसे भरवाने का काम किया लेकिन बाद में ट्यूबवैल क्नैक्शंज के लिए एक कंपनी विशेष की फाइव स्टार रेटिंग वाली मोटर को अनिवार्य बनाकर न केवल किसान बल्कि प्रदेश के छोटे मोटर–व्यापारी के पेट पर भी लात मारने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आपको सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा पर काम करने वाली सरकार कहती है और यह भी कहती है कि यदि किसी हल्के में भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनकर नहीं आया है तो भी उस हल्के में विकास कार्य करवाये जायेंगे। परन्तु हकीकत कुछ और ही है। मैं इसका साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। हुड्डा साहब के शासन काल में मेरे डबवाली हल्के में कालुआना खरीफ चैनल को सभी प्रकार की कागजी औपचारिकताओं को पूरा करके मंजूर करवाया गया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल में इस चैनल

को महज रद्द करवाने का ही कार्य किया है। अगर यह चैनल बन जाता तो आज मेरे हल्के के न जाने कितने ही किसानों की जमीन को सिंचित किया जा सकता था। यह भेदभाव की राजनीति नहीं तो और क्या है? अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तत्परता से फसलों की खरीद की बात कही गई है लेकिन आज जीरी की जो बुरी हालत हो चुकी है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब के शासन काल में जीरी के संबंध में एक नारा लगा करता था कि हुड्डा तेरे राज में–जीरी गई जहाज में। (विघ्न)

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय साथी शायद कुछ गलत कह गए हैं। उस समय यह नारा लगा करता था कि हुड्डा तेरे राज में–जीरी गई ब्याज में में। (हंसी एवं विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राज में ही जीरी ब्याज में गई है बल्कि हमारे राज में तो जीरी जहाज में ही जाती थी।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, आज जीरी की ऐसी हालत हो गई है कि किसान 15–15 दिन से अपनी फसल लेकर सड़कों पर बैठा हुआ है और जो रेट कांग्रेस के समय जीरी का 4500 रूपये प्रति क्विंटल हुआ करता था वह रेट आज कम होकर 2000 रूपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम स्तर तक जा पहुंचा है। इसी तरह नरमे की हालत देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों को नरमे की फसल के सही रेट नहीं दिए जा रहे हैं। बात यही खत्म नहीं हो जाती। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के डबवाली में कॉटन प्रचेज के लिए एक सी.सी.आई. सैंटर हुआ करता था लेकिन उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कार्यवाही के द्वारा किसान को अपनी फसल, व्यापारी को कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे जहां एक तरफ किसानी बर्बाद हो रही है तो वही दूसरी तरफ प्रदेश की जवानी भी बर्बाद हो रही है क्योंकि हमारा हलका पंजाब के साथ लगता है और सब जानते हैं कि पंजाब में नशे की गम्भीर समस्या है जिसका असर मेरे हल्के पर भी पड़ता है। चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिरसा जिले में होकर आए थे और उन्होंने अपनी आंखों से यहां के हालात देखें होंगे और मैं समझता हूँ कि उनके संज्ञान में भी यह समस्या जरूर होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में चिट्टे की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है और बाकायदा तौर पर यह माननीय

मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में भी है। हमारे साथ लगते पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उसने भी चिट्टे की रोकथाम पर सख्ताई की हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा डबवाली हल्का त्रिवेणी में पड़ता है। एक तरफ पंजाब का बॉर्डर लगता है तो दूसरी तरफ राजस्थान का बॉर्डर लगता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पीछे कालांवाली हल्के के विधायक बैठे हुए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि आज की तारीख में पूरे सिरसा जिले में चिट्टे की समस्या बनी हुई है। इस बात को हमें राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मुझे ऐसे गांवों में जाना पड़ा था जहां पर एक सप्ताह के अंदर तीन–तीन मौतें चिट्टे के कारण हुई थी। चिट्टे के सेवन के कारण युवा से लेकर 50 वर्ष के आदमी तक की मौत मैंने स्वयं देखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार को इस समस्या का समाधान राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए। चुनाव के दिनों जब माननीय मुख्यमंत्री जी कालांवाली हल्के में गए और वहां पर भाजपा के एक नुमांइदे ने पार्टी की टिकट की मांग की थी, इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि मैंने उस आदमी की चुनाव की टिकट काट दी है क्योंकि उसका परिवार ड्रग माफिया में लिप्त है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बहुत ही अच्छा काम किया। मगर चुनाव की टिकट काटने से कुछ नहीं होगा। अगर यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है तो उसकी रोकथाम के लिए कानून के माध्यम से ड्रग माफिया को जेल भेजने की जिम्मेवारी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है केवल चुनावी टिकट काटने से उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होगी। आज प्रदेश में सरकार द्वारा कारगर कदम नहीं उठाने के कारण किसानी और जवानी दोनों बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। सरकार को 'सबका–साथ सबका–विकास' और 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' आदि नारों को छोड़कर आज वास्तविक रुप से 'किसानी बचाओ जवानी बचाओ' नारे के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को सभी सदस्यों को साथ लेकर धरातल पर जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरे डबवाली हल्के में एक सी.सी.आई. सैंटर खोला जाये और कालुआना खरीफ चैनल को रद्द कर दिया गया है उसे बहाल किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री दीपक मंगला (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिना किसी भेदभाव, पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर हरियाणा प्रदेश के युवकों को सरकारी नौकरियां दी हैं। इस बात के लिए हरियाणा प्रदेश का गौरव पूरे भारत वर्ष में बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में पलवल जिले में से एक भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, फिर भी हमारी सरकार ने पलवल जिले में श्री विश्वकर्मा स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछली सरकारों ने बेरोजगार युवकों के लिए कोई भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान पलवल जिले में श्री विश्वकर्मा स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी के माध्यम से बड़ी उपलब्धि निकलकर सामने आई है। आने वाले समय में इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करके रोजगार मेले आयोजित करके रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा पलवल विधान सभा क्षेत्र एन.सी.आर. में आता है और उसमें जल की भारी समस्या है। हमारी सरकार का प्रयास रहा है कि जहां–जहां पर पानी की किल्लत है वहां–वहां पर पानी को इक्ट्ठा किया जाये ताकि इस विकराल समस्या से छुटकारा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों में जल संग्रह के लिए सभी पार्टियों के सदस्य चाहे मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर इस भारी समस्या का समाधान हो सकता है। अब मैं सदन में जी.एस.टी. के विषय पर बात करना चाहूंगा । आज व्यापारियों द्वारा काफी जी.एस.टी. जमा किया जा रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें सरलीकरण और सुधार करने की आवश्यकता है। जी.एस.टी. भारत में एक अच्छी कर प्रणाली है । इससे हमारी सरकार के आय के साधन बढ़ रहे हैं जिससे विकास के कार्य किये जाएंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार विधायक चुनकर आया हूं और आपने मुझे सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । जय हिन्द ।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) : अध्यक्ष महोदय, अगर इलैक्शंज से पहले ओपिनियन पोल न आया होता तो सदन में हमारा सीटिंग प्लान कुछ और ही होता । माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी । यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई लेकिन आज के दिन किसान की आय नहीं बल्कि उसका खर्च अवश्य दोगुना हो चुका है । जिन किसान साथियों ने अपने हकों की आवाज उठाई सरकार ने उन पर केस दर्ज कर दिए । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार ने जिन किसानों पर केस दर्ज कर रखे हैं वे जल्द से जल्द वापिस लिए जाएं । मैं मानता हूं कि फसल का बीमा होना चाहिए लेकिन वह किसान के हित में होना चाहिए । बड़े दुःख की बात है कि ब्लॉक लेवल पर किसी भी फसल बीमा कम्पनी का ऑफिस नहीं है । अगर ब्लॉक लेवल पर ऑफिस होगा तो किसान अपनी फसल का नुकसान होने पर वहां जाकर यह कह सकेगा कि मेरी फसल का नुकसान हुआ है और आप उसकी भरपाई कीजिए । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन कम्पनियों के ब्लॉक लेवल पर जल्द से जल्द ऑफिसिज खुलवाएं । इसके अलावा सरकार ने उद्योगों के विषय में कहा कि हम 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' लिस्ट में अपनी रैंकिंग सुधारेंगे, सरकार ने उद्योग–धंधों के नाम पर विश्व–भ्रमण किया और अनेक एम.ओ.यूज. साइन किये थे । इस पर मेरा कहना है कि इन सभी विषयों पर सरकार को एक श्वेत–पत्र जारी करना चाहिए कि इनके पश्चात कितने नये उद्योग–धंधे प्रदेश में स्थापित हुए हैं क्योंकि इन्हीं से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलना था । एक अच्छी बात कही गई कि आरक्षित सरकारी नौकरियों का बैकलॉग जल्द से जल्द भरा जाएगा और इसकी एक समय सीमा अवश्य तय की जाए कि इस दिन तक बैकलॉग भर दिया जाएगा । हमारे प्रदेश के भविष्य (विद्यार्थियों) का एक बहुत बड़ा तबका सरकारी स्कूलों में पढ़ता है । उन सरकारी स्कूलों में आज भी शिक्षकों की बहुत कमी है । मेरा कहना है कि इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए । इसके अलावा अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभी तक इस साल की एक्सटैंशन नहीं दी गई है । इस वजह से हजारों बच्चों का भविष्य खतरे में है क्योंकि बहुत–से बच्चों को बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं । एक्सटैंशन के लिए जिस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया जाता है वह पोर्टल अभी तक खोला नहीं गया है । आम आदमी की सवारी सरकारी बसें होती हैं । वर्ष 2014 में जितनी सरकारी बसें चला करती थी उसकी तुलना में वर्ष 2019 में इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है जबकि प्रदेश की

जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है । बसों की कमी की वजह से सरकारी बसों के बहुत–से रूट्स बंद हो चुके हैं । सरकारी बसों के गांवों में जो नाइट हॉल्ट्स हुआ करते थे वे भी बहुत–से बंद हो चुके हैं । नाइट हॉल्ट्स की वजह से शहरों में पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चे और कर्मचारी इन बसों में बैठकर सुबह–सुबह शहर चले जाया करते थे । अतः मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि गांवों में जो नाइट हॉल्ट्स बंद हो चुके हैं उनको पुनः बहाल किया जाए । अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनैक्शंज देने की बात की गयी थी । यह बड़ी खुशी की बात है कि गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनैक्शंज दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि यह भी बताया जाए कि उनमें से दोबारा कितने उपभोक्ताओं ने गैस सिलैंडर रीफिल करवाये हैं। यानि गरीब परिवार को एक बार गैस कनैक्शंज देने के बाद कितने उपभोक्ता दोबारा गैस सिलैंडर रीफिल करवा पाये। इसके अतिरिक्त ओल्ड एज पैंशन स्कीम की बात है। हमारे बुजुर्ग चाहते हैं कि उन्हें सरकार द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार ओल्ड एज पैंशन मिले और कर्मचारियों की पुरानी पैंशन स्कीम बहाल हो। इन विषयों पर भी सरकार ध्यान दे और इनको तुरंत लागू करे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जगदीश नायर (होडल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय गर्वनर महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए अपना वक्तव्य दूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा कि आप अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को भी बधाई दूंगा कि वे दोबारा से नयी सरकार बनाकर सदन में बैठे हैं। इसके अतिरिक्त सदन के सभी माननीय सदस्यों को भी बधाई दूंगा। चूंकि वे भी अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों से चुनकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण में किसानों की बात कही गयी है। इस सरकार ने किसानों की भलाई के लिए जो काम किये हैं, ऐसे काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किये। अभी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य शोर मचा रहे थे तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था क्योंकि मैंने इनकी सरकारों का काम भी

देखा है। विपक्ष के माननीय सदस्य केवल किसानों के नाम पर बोलते ही हैं परन्तु उनके लिए कुछ नहीं किया। जब प्रदेश में इनकी सरकार थी तो गेहूं की खरीद शुरू करवाने के लिए धरने दिये जाते थे। मैं स्वयं भी मेरे होडल हल्के में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठा था तब जाकर वहां पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की गयी थी। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकार में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवाने के लिए अनशन/धरने दिये जाते थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार में सी.एल.यू. के नाम पर जमीन घोटाले किये जाते थे। गुरूग्राम के किंगडम ड्रीम जमीन घोटाले का मामला मैंने ही उठाया था और उससे संबंधित कागज़ात मेरे पास हैं। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य अपनी सरकार के समय किये गये घोटालों को याद कर लें। हमारी सरकार ने किसानों को जो सहूलियतें दी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार वही सहूलियतें किसानों को पहले ही दे देती तो आज किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जानी चाहिए थी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ही जिम्मेदार है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री 'फसल बीमा योजना' के तहत किसानों को 1998 करोड़ रुपये के क्लेम दिये और 646/– करोड़ रुपये बीमा किश्त के रूप में किसानों को राहत दी है। इससे किसानों को काफी लाभ हुआ है। सरकार द्वारा प्रधान मंत्री 'किसान सम्मान निधि' योजना के तहत 6,000/–रुपये सलाना देने के लिए लगभग 14 लाख से अधिक किसानों के खाते खोले गये। इससे लगभग 14 लाख से अधिक किसानों को लाभ हो रहा है और यह सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात प्रधान मंत्री मान धन योजना के बारे में है इसमें जो किसान 60 साल का हो जाएगा, उसको सरकार की तरफ से 3,000/–रुपये मासिक पैंशन दी जाएगी। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस तरह की योजनाओं के बारे में कभी सोचा था ? अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार पहले से यह काम करती तो अब तक किसानों की मासिक पैंशन 6,000/– रुपये हो जाती, परन्तु इन्होंने इसकी शुरूआत ही नहीं की। आज 3,90,000 किसान इस प्रधान मंत्री मान धन योजना के तहत पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त भूमि का रिकार्ड डिजीटलाइज्ड किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, पहले कांग्रेस की सरकार में जमीन के घोटाले होते थे जिसमें तहसीलदार, पटवारी तथा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी बिना पैसे के काम नहीं करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक

पारदर्शी सरकार दी है और एक अच्छा सिस्टम बना दिया है जिसके द्वारा कोई भी कम्पयूटर से अपनी भूमि का रिकार्ड निकलवा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि रजिस्ट्री करने के नाम पर 2 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है।

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पैसे लेने का काम इनकी सरकार के समय में होता था। इसलिए ये अभी तक उन बातों को नहीं भूले हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्या के संज्ञान में ऐसा कोई मामला है तो वे माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दें। इसके अतिरिक्त पानी के विषय पर बहुत बातें कही जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सन् 1996 में पहली बार एम.एल.ए. का चुनाव जीतकर आया था और उस समय मेरी उम्र 25 वर्ष थी। इस एस.वाई.एल. नहर का मामला तब से लम्बित चलता आ रहा है और प्रत्येक सरकार कहती थी कि वे हरियाणा प्रदेश के लिए एस.वाई.एल. नहर का पानी लेकर आएंगे परन्तु उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एस.वाई.एल. नहर बनाने का काम तकरीबन पूरा करवा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार की तरफ से एस.वाई.एल. नहर बनाने के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगायी गयी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बता रहा हूं। माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि एस.वाई.एल. नहर के पानी को रावी–ब्यास नहर में डालकर पूरे हरियाणा प्रदेश की भूमि को सिंचित किया जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह बता दें कि एस.वाई. एल. नहर बनाने के लिए कहां–कहां पर निर्माण कार्य चल रहा है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढांडाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगदीश नायरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में पूरे हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था को ठप्प कर दिया गया था। हमारी सरकार द्वारा सभी ड्रेनों की सफाई करवायी जा चुकी है और उनको पक्का भी करवाया गया है। किसानों के लिए नहर की टेल तक पानी पहुंचाने के लिए हमारी पार्टी की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि हम तीन बड़े डैम बनायेंगे और उन डैमों का पानी हरियाणा की नदियों में डालने का काम करेंगे ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान अपनी खेती को सिंचित करने का काम कर सके। यह हमारी सरकार की योजना है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में खेल की बात कही गई है। मेरा अपना मत तो यही है कि खेलों के मामले में पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश पहला और भाग्यशाली प्रदेश है। जिसमें खिलाड़ियों ने खेल जगत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में वर्ष 2018 में राष्ट्र मंडल खेल हुए थे। उसमें 66 पदकों में से 22 पदक हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने हासिल किए थे और मैं समझता हूं कि यह सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों के कारण ही संभव हुआ है। अध्यक्ष महोदय, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में वर्ष 2018 में एशियाड खेल हुए थे, उसमें 69 पदकों में से 17 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए थे। मैं समझता हूं कि खेल जगत में सरकार की एक अच्छी व्यवस्था है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य शोर मचाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस सरकार खिलाड़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाती तो आज हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में हम तो केवल टेलीविजनों के माध्यम से एक ही नारा सुना करते थे कि हरियाणा नम्बर वन और इसके अलावा कई बार यह भी सुनने में आता था कि जीरी गई जहाज में। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस तरह के झूठे प्रचार करके हरियाणा प्रदेश की जनता और सदन को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश में विकास के सभी काम धरातल पर हो रहे हैं। जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो हमारी पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल जी सदन में बैठी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की

जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने उस समय शिक्षा का बेड़ा ही गर्क कर दिया था। यहीं नहीं शिक्षा की डिग्रियां बिका करती थी। हरियाणा प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल ही ठप्प हो गई थी। हरियाणा के साथ लगते हुए प्रदेश हरियाणा प्रदेश में ही शिक्षा लेना पसन्द नहीं करते थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शिक्षा का ढांचा बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था कि अब उस शिक्षा के बिगड़े हुए ढांचे को माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी धीरे–धीरे सुधारने का काम करना पड़ रहा है। आज मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे बच्चे पढ़ लिखकर के योग्य और अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की सरकार कभी नहीं चाहती थी कि हरियाणा का युवा शिक्षित और योग्य बने। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में नई परम्परा को जन्म दिया है। आज मैं समझता हूं कि हरियाणा का युवा शिक्षित है और अपने दम पर नौकरियां हासिल कर रहा है। हरियाणा प्रदेश में इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था ही खराब कर दी थी। अध्यक्ष महोदय, आज हमें आजाद हुए 70 साल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक देश में राज किया है। ये 50 साल तक कहते आये थे कि हम गरीब का हाथ पकड़कर उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि इन्होंने गरीब लोगों का नाश करने के सिवाय कुछ नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी गरीब का वोट लेकर गरीब का नाम भूल जाती थी और जिस कारण से गरीब और गरीबी में पिसता चला गया। अध्यक्ष महोदय, अगर आज किसी गरीब व्यक्ति को किसी ने कुछ दिया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दिया है। अगर मैं यह कहूं कि गरीबों का आज कुछ सुधार हुआ है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की रहनुमाई में ही हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नायर साहब, आप प्लीज जल्दी से वाईंडअप कर लीजिए।

श्री जगदी□ा नायर : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हैल्थ से संबंधित बात कही गई है। जिसमें हैल्थ फॉर ऑल विजन के नाम से एक योजना बनाई है। इस योजना के माध्यम से पंचकूला जिले में 270 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कार्य में तेजी लाई जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पंचकूला जिले में 250 बैड का एक अस्पताल बनाने जा रही है। हमारी सरकार ने पलवल जिले में एक अस्पताल के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाकर दी है। अगर ये लोग होडल में जाकर देखेंगे तो इनको वहां पर भी एक

बड़ा अस्पताल बना हुआ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये लोग कभी के.एम.पी. या जी.टी. रोड से वृंदावन घूमने के लिए जाते होंगे तो पहले वहां पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता था अब केवल मात्र 3 घंटे का ही समय लगता है और इस बात को ये लोग भलीभांति जानते भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहूंगा कि कभी के.जी.पी. (वैस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस हाईवे) से जाकर जरूर देखें। फरीदाबाद और पलवल जिले के माननीय सदस्य सदन में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इस बारे में इनसे पूछ सकते हैं। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि यह विकास नहीं है तो और क्या है? अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की तरफ से रेलवे लाइनों पर पुल बनाने का काम किया जा रहा है। हमारे हरियाणा प्रदेश में मैट्रो का विस्तार हो गया है। आज हमारी सरकार ने दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से बहादुरगढ़ और दिल्ली से गुरूग्राम को मैट्रो से जोड़ दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इसका श्रेय किसको जाता है? कांग्रेस पार्टी के लोग तो पिछले 10 वर्षों में सी.एल.यू. और जमीन घोटालों में लगी रही थी। अध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग हरियाणा प्रदेश का विकास करना चाहते तो आज हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, हमारे कई माननीय सदस्य नये चुनकर आये हैं, उनको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं सदन का अधिक समय खराब न करके अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार इन लोगों की जमीन घोटालों की फाईल जल्दी से जल्दी निकाले ताकि इन लोगों को पता चल सके कि इन्होंने क्या–क्या घोटाले किए हैं? अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री धर्म सिंह छोक्कर (समालखा): अध्यक्ष महोदय, आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। हमारे जितने भी नव–निर्वाचित सदस्य इस विधान सभा में चुनकर आये हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी से क्यों न हो, मैं अपनी तरफ से उनको भी बहुत–बहुत बधाई देता हूं। आज मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सत्ता पक्ष या विपक्ष के माननीय सदस्यों से सरकार की बातों को सुना और उस पर मंथन भी किया। अध्यक्ष जी, मैं तथ्यों पर आधारित बात करता हूं। मैं यह समझता हूं कि हवाई बातें करने में सदन का समय बर्बाद होता है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि मेरा जो समालखा विधान सभा क्षेत्र है वह यमुना नदी के साथ लगता है। वहां पर चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्रित्व काल में रहीमपुर खेड़ी गांव में हमारी सरकार के प्रयासों से बिजली पहुंचाई गई थी। यमुना नदी के साथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में सात हज़ार बीघे कृषि योग्य भूमि का रकबा लगता है। उस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डार्क जोन घोषित करके एग्रीकल्चर सैक्टर में ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज देने बंद कर दिये हैं जिससे किसानों को बड़ी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि यमुना नदी के पास होने के कारण वहां पर भूतिगत जल का स्तर महज 15 से 20 फुट के अंदर है। यह एक बहुत ही गम्भीर चिंता का विषय है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि एक कमेटी के माध्यम से वहां पर उस क्षेत्र को डार्क जोन के पैरामीटर्स के हिसाब से एग्जामिन करवा लिया जाये अगर वहां पर 15 से 20 फुट पर भूमिगत जल की उपलब्धता पाई जाये तो उस क्षेत्र को डार्क जोन क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाये और वहां के किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज जल्दी से जल्दी प्रदान किये जायें क्योंकि इससे वहां का किसान बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे समालखा विधान सभा क्षेत्र में गन्ने की बहुत ज्यादा पैदावार होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांव डाहर में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली सरकार के समय में ही शुगर मिल की स्थापना की योजना तैयार की गई थी और वहां पर शुगर मिल की स्थापना के लिए आधारशिला भी रखी गई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री महीपाल ढाण्डा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि ये अपने कहे के अनुसार तथ्यों पर आधारित बात ही करें और झूठ बोलकर सदन को बरगलाने का काम न करें।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : स्पीकर सर, मैं किसी भी माननीय साथी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता लेकिन माननीय महीपाल जी मेरे पड़ौसी हल्के से हैं। ये अपने वे दिन भूल गये जब ये मुझे कहते थे कि धर्म सिंह जी आपने पांच साल में इतने विकास कार्य करवाये हैं कि जब हम गांवों में वोट मांगने जाते हैं तो गांवों के लोग तो हमें डले मार कर भगा देते हैं। ये इनके खुद के शब्द हैं। अध्यक्ष जी, मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि मैं तथ्यों पर आधारित बात बता रहा हूं।

श्री महीपाल ढ़ाण्ड़ा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह पूछना चाहूंगा कि जब इन्होंने विधायक रहते हुए इतने विकास कार्य समालखा विधान सभा क्षेत्र में करवाये थे तो फिर भी ये 2014 के विधान सभा चुनाव में हार क्यों गये थे?

श्री अध्यक्ष : धर्म सिंह जी, आप महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर ही चर्चा करें।

श्री धर्म सिंह छोक्कर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि शुगर मिल तो जब बनेगी तब बनेगी, तो समय ही बतायेगा लेकिन हमारे प्रदेश के किसानों का इकबालपुर (शामली) मिल की तरफ लगभग 20 करोड़ रुपया बकाया है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करके वह पैसा रिलीज करवाया जाये। इसके लिए मैं प्रभावित किसानों की लिस्ट आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दूंगा। महीपाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्दी से जल्दी पानीपत जिले के गांव डाहर में शुगर मिल की स्थापना की कार्यवाही शुरू करेगी अगर ऐसा हो जाता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी और इसके लिए सभी सदस्य सरकार की सराहना करेंगे। इसमें बहस की कोई भी बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि मुझे बोलते हुए बीच में डिस्टर्ब न किया जाये। सर, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समालखा में 100 बैड का हॉस्पिटल बन कर तैयार हो गया है। आप सरप्राइज चैकिंग करवा लीजिए रात को उसमें कुत्ते सोते हैं तथा पशु घूमते हैं। जब 22 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बन कर तैयार हो गई और माननीय

मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया तो उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है यह देखने वाली बात है। हॉस्पिटल अभी भी सी.एच.सी. की पुरानी बिल्डिंग में ही चल रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुये श्री कंवरपाल जी ने कहा था कि हमने पूरे हरियाणा का समान विकास किया है। अगर समान विकास किया होता तो समालखा से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारता नहीं। अगर मैं पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान के विकास कार्यों की बात करूं तो वहां पर कुछ नहीं हुआ है। मैं तथ्यों पर आधारित बात करता हूं। पिछले 5 साल में वहां पर कोई कॉलेज बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, कोई स्टेडियम बना हो या कोई ब्रिज बना हो तो बताया जाये। पिछले 5 साल में समालखा में एक पुलिया भी बनी हो तो आप लिख कर बता दें अगले सैशन में मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

.....

हरियाणा के भूतपूर्व विधायकों का अभिनन्दन

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) अध्यक्ष महोदय, श्री फूल सिंह खेड़ी, पूर्व विधायक तथा श्री रामकुमार कटवाल, पूर्व विधायक सदन की कार्यवाही देखने के लिए विशिष्ठ दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन तथा स्वागत करता हूं।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

श्री सोमबीर (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इस महान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। यह एक सामाजिक बुराई है और मेरी आपके माध्यम से सभी भाइयों से गुजारिश है कि इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सामाजिक पंचायतों को महत्व दिया जाये तथा उनका पूरा सहयोग लिया जाये।

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए जाने पर आपको बधाई देता हूं और इसके लिए मैं पूरे सदन का भी अभिनन्दन करता हूं। जहां तक माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बात है तो इस बारे में नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही थी कि इसमें न तो विजन है और न

ही इसका कोई आइना है। अब नेता प्रतिपक्ष अपनी सीट पर उपस्थित नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि उनको अपना विजन खोल कर देखने की जरूरत है। इस अभिभाषण में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कनैक्टिविटी का विजन है। हरियाणा में कनैक्टिविटी पिछले 50 साल में क्या थी और हमारी सरकार ने कनैक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा दिया है। अगर मैं हिसार का उदाहरण लूं तो आप देखेंगे कि हिसार से दिल्ली, हिसार से कैथल, हिसार से डबवाली तथा हिसार से राजगढ़, ये सभी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। हिसार से दिल्ली का रास्ता पहले 5 घंटे का होता था लेकिन अब अढ़ाई घंटे लगते हैं। इसी प्रकार से जब हम हिसार से चण्डीगढ़ आते हैं तो कैथल का बाईपास तथा पेहवा का बाईपास बनने से समय की बचत हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि सड़कों की कनैक्टिविटी हरियाणा में पिछले 5 साल में जितनी हुई है उतनी पिछले 45 सालों से भी नहीं हुई थी। इसी तरह से रेलवे कनैक्टिविटी की बात करें तो हिसार से दिल्ली के 5–6 घण्टे लगते हैं । पहले जो गाड़ी यहां आती थी वह रिवाड़ी खड़ी होती थी वहां उसका इंजन कटकर दूसरी तरफ लगता था लेकिन अब वह गाड़ी भिवानी में खड़ी होती है और जिसका इंजन कटकर दूसरी तरफ लगता है । हमारी सरकार ने रोहतक वाया महम से हांसी को जोड़ने के लिए जो गाड़ी चलाने का काम किया है जिससे हिसार की दिल्ली से कनैक्टिविटी रहेगी । वहां पर शताब्दी गाड़ी चलाई जाएगी । (शोर एवं व्यवधान) आप सुनने का मादा रखिये । मैं विजन की बात कर रहा हूं । मैं कनैक्टिविटी की बात कर रहा हूं, चाहे वह शहर की हो या किसी भी प्रदेश की । इसी तरह से मैं एक कनैक्टिीविटी की बात और करता हूं । पिछले 45 साल में पहले की सरकारों ने क्या किया ? क्या कभी कहीं कोई हवाई अड्डा बनवाया था । आज हमारी सरकार द्वारा हिसार में 7300 एकड़ जमीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा । यह हवाई अड्डा इतना बड़ा बनाया जाएगा जोकि हिन्दुस्तान में ही नहीं एशिया में भी नहीं होगा। यह विजन की बात नहीं है तो और क्या है? यह हवाई अड्डा तीन चरणों में बनेगा । इसके पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और वह पूरा भी होगा । अब वहां 10 हजार फिट की पट्टी बनेगी जोकि ई.सी.(एन्वायर्नमैंट कलीयरेंस) के लिए गई हुई है । मैं कहता हूं कि 45 सालों में पिछली सरकारों ने इसके बारे में क्या कभी सोचा था ? इसी के साथ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', भ्रूण हत्या, सामाजिक दुष्कर्म के संबंध में

मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय में पुरूष–महिलाओं का लिंग अनुपात 814 था लेकिन आज हमारी सरकार के समय में यह लिंग अनुपात बढ़कर 920 हो गया है । यह कहां से हुआ है ? इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', आह्वान किया था जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिरे चढ़ाया है । इसी के साथ पूरे 22 जिलों में महिला थाने खोले गए हैं जबकि कंग्रेस सरकार के समय में कहीं कोई महिला थाना नहीं खोला गया था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं लेकिन सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को थोड़ा छोटा कीजिए ।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं तो विजन की बात रहा हूं । मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कुछ सदस्य बोल रहे थे कि स्वास्थ्य में सरकार ने क्या किया है ? मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में सीटी–स्कैन मशीनें लगवाई गई हैं और डायलिसिस की सुविधा भी दी गई है । इसी तरह से हर जिले में मैडिकल कॉलेज खोले गये हैं। इससे बढ़कर स्वास्थ्य में क्या विकास होगा ? (शोर एवं व्यवधान) मैं विजन की बात कर रहा हूं क्योंकि पांच साल में हर जगह तो मेडिकल कॉलेज खोले नहीं जा सकते हैं।

श्रीमती भाकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी से कहना चाहूंगी कि वे मुख्यमंत्री जी से कहलवा दें कि सरकार ने कौन सा मैडिकल कॉलेज खोला है । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, 'स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत' के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा को **ओ.डी.एफ.** (ओपन डैफैकेशन फ्री/खुले में शौचमुक्त) किया है । अगर मैं राष्ट्रवाद की बात करूं तो बोर्डर पर जहां पहले हमारे जवानों का सिर काटकर ले जाते थे । उसमें चाहे हम उरी के हमले की बात करें, बालाकोट की बात करें, चांद पर जाने की बात करें, धारा 370 तोड़ने की बात करें । इस तरह से हम ऐसी कितनी ही बातें करें जो हमारी सरकार के विजन हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके कहने से अपनी बात को खत्म करते हुए अपना स्थान लेता हूं । धन्यवाद।

श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कुछ कहना चाहता हूं । वैसे तो भाई अभय सिंह जी ने भी काफी कुछ बताया है लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक किसानों की बात है उसमें किसानों की आमदनी तो शायद वर्ष 2022 तक दोगुनी होगी लेकिन आज किसानों की जो सबसे ज्यादा समस्या है वह आवारा पशुओं की है, जो रात को किसानों की फसल खराब करते हैं, जिसके कारण किसान भाई रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। ये आवारा पशु सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों को भी दुर्घटना का शिकार बना देते हैं । अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि किसानों को इस समस्या से तुरन्त मुक्ति दिलवाई जाए । दूसरा सरसों की फसल के संबंध में जो कैप वगैरह की बात कही गई है । इसमें मैं सरकार के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो जो हकीकत है उस पर बोलना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, सरसों की फसल के संबंध में कैप की बात तो अभय सिंह चौटाला जी ने कह दी है लेकिन उन्होंने एक बात छोड़ दी और वह यह है कि सरसों की फसल को मंडी में बेचने के लिए किसान को महज एक दिन समय मिलता है और बाई चांस यदि किसान उस दिन कहीं चला जाये या उस दिन उसकी फसल न निकले तो किसान को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा आज सदन के माध्यम से अनुरोध है कि यह जो सरसों की खरीद संबंधी 'दिन' की कंडीशन लगाई गई है इसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाये ताकि किसान किसी भी दिन मंडी में जाकर अपनी सरसों की फसल बेच सके। अब मैं दूसरे विषय पर बात करूंगा। आज सदन में माननीय कंवर पाल जी ने कहा कि सरकारी स्कूलों का नतीजा प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है लेकिन मैं अब हमारे अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की समस्या की तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में 3200 के करीब अस्थाई मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। इन स्कूलों ने सरकार की हिदायतों के अनुसार धारा 134–ए के अधीन गरीब बच्चों को अपने यहां दाखिला देने का भी काम किया है। वर्तमान में इन स्कूलों में लगभग अढ़ाई लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिनांक 29.10.2019 तक बोर्ड के फार्म भरने थे जोकि किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से अभी तक नहीं भरवाये जा सके हैं जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन स्कूलों के बच्चों के फार्म को भरवाने के तुरंत प्रभाव से आर्डर दिए जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके

अतिरिक्त मेरा सरकार से यह भी निवेदन है कि प्रदेश की सभी प्रकार की नौकरियों में हरियाणा प्रदेश के निवासियों को तरजीह दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के कंडीडेट को हराकर बरवाला हलके से चुनकर इस सदन में आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री सबका साथ–सबका विकास की अवधारणा पर काम करने वाले व्यक्ति है। मुझे अखबारों के माध्यम से पता चला है कि मेरे हलके बरवाला में 500 करोड़ रूपया विकास कार्यों पर खर्च किया गया है। इस जानकारी को पाकर मुझे बहुत हैरानी हुई क्योकि आज बरवाला शहर में पीने के पानी के लिए कोई वाटर वर्क्स तक नहीं है। यहां पर प्रति दिन प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की आवश्यकता है जिसके अगेंस्ट महज 90 लीटर पानी ही उपलब्ध हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में जरूर ध्यान दिया जाये और पता लगाया जाये कि यह 500 करोड़ रूपये कहां खर्च किए गए हैं। अब मैं हैल्थ के विषय पर अपनी बात रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे गांव का नाम लाडवा है जिसमें एक सी.एच.सी. हुआ करती थी लेकिन इसकी बिल्डिंग कमजोर होने की वजह से इसे मंगाली गांव में शिफ्ट कर दिया गया लेकिन गांव लाडवा की इस सी.एच.सी. की बिल्डिंग को बनाने का नाम नहीं किया अतः अनुरोध है कि गांव लाडवा में सी.एच.सी. की बिल्डिंग बनाकर, सी.एच.सी. को वहां पर शिफ्ट किया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक अन्य विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे बरवाला शहर में सात साल पहले मार्केटिंग बोर्ड की जमीन पर एक कॉलेज बना था। जितनी जमीन पर यह कॉलेज बना महज उतनी ही जमीन कॉलेज के नाम ट्रांसफर हुई लेकिन मुख्य मार्ग से कालेज तक का जो 5 एकड़ का रास्ता है, वह जमीन कॉलेज के नाम ट्रांसफर नहीं हुई। जिस कारण से यह रास्ता कच्चा पड़ा है और विद्यार्थियों को इस कच्चे रास्ते से होकर कॉलेज में आना–जाना पड़ता है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है इस जमीन को कॉलेज के नाम ट्रांसफर करवाकर, इस रास्ते को पक्का करने का काम जल्द से जल्द किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सदन में केवल ज्वलंत मुद्दों पर ही अपनी बात रखी है क्योंकि मुझे पता है कि सीवरेज, लाईट्स व अन्य दूसरी समस्यायों सदन में उठती रहेंगी और उन पर काम होते रहेंगे लेकिन मेरे हलके में जो वर्तमान में ज्वलंत मुद्दे है मैने केवल उन्हीं मुद्दों पर बात उठाना ज्यादा बेहतर समझा है और उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की दिशा में कार्य करेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

पंजाब विधान सभा के सदस्य का अभिनंदन

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय आज सदन में श्री अमरजीत सिंह संदोआ, विधायक, पंजाब विधान सभा, अति विशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं, मैं सदन की तरफ से उन का अभिनन्दन करता हूँ।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री कुलदीप वत्स (बादली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं श्री मनोहर लाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री और श्री दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश का उप–मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार ने नारा दिया था कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' लेकिन मैं इस संबंध में झज्जर हल्के के सही तथ्यों की जानकारी लेकर सदन में आया हूं। झज्जर में 140 विद्यार्थी एम.बी.बी.एस. कर रहे हैं लेकिन तकरीबन दो महीने से वे अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। झज्जर जिला से जो पहले मंत्री हुआ करते थे उन्होंने उन बच्चों के साथ और उनके रिश्तेदारों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया था। जिसके कारण आज उन बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जिसमें 40–50 के करीब तो लड़कियां हैं और 100 के करीब लड़कें हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि सबसे पहले इन बच्चों की मांगों का समाधान किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी बादली विधान सभा क्षेत्र में लगभग 1500 करोड़ रुपये विकास के कार्यों पर खर्च किए गए हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि असल में वह पैसा विकास के नाम पर लगा है या नहीं लगा है? बादली विधान सभा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है। इस बात को लेकर समय–समय पर वहां के लोगों ने पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के सामने भी मांग उठाई थी, लेकिन आज तक उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। सुबाना गांव का बाईपास जो पहले मंजूर था लेकिन आज तक नहीं बन पाया है। पटौदा गांव में स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है वह भी आज तक नहीं बन पाई है। एम्स अस्पताल की कंस्ट्रक्शन बीच में ही बंद कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, एम्स अस्पताल की कंस्ट्रक्शन को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। बादली हल्के के

जितने भी विकास के कार्य रूके हुए हैं उन सबको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये। अध्यक्ष महोदय, बादली में चार साल पहले सब–डिवीजन बना था, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ लेकिन आज तक बादली विधान सभा क्षेत्र के अंदर न तो एस.डी.एम. ऑफिस है, न तहसील है, न बी.डी.पी.ओ. ऑफिस है और न ही डी.एस.पी. ऑफिस है। इसके कारण हमारे बादली विधान सभा क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार सभी विभागों के ऑफिसिज़ जरूर बनाएं। अध्यक्ष महोदय, इस समय उप–मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी सदन में उपस्थित है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्होंने चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही थी कि परिवहन विभाग में किलोमीटर स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उसकी सी.बी.आई. जांच होनी चाहिए। क्या माननीय उप–मुख्यमंत्री जी अभी भी अपनी बात पर कायम है और इस मैटर की सी.बी.आई. जांच करवायेंगे? यह बात भी सदन को बताई जाये। श्री दुष्यंत चौटाला जी अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं के बारे में, किसानों आदि के बारे में अनेकों घोषणाएं की हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी इनसे पर्सनली रिक्वैस्ट है कि ये अपने चुनावी घोषणा पत्र के वायदे को जल्दी से जल्दी पूरा करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिन्द।

श्री राके□ा दौलताबाद (बाद□ाहपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, बादशाहपुर सीट में गुरूग्राम नगर निगम का 70 प्रतिशत हिस्सा आता है। गुरूग्राम स्टार्ट–अप का शहर है जो दुनिया बदलने के लिए हर साल नये प्रोड्क्ट्स और नई सर्विसिज दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं गुरूग्राम स्टार्ट–अप की एनर्जी को सरकारी सिस्टम में भी लाना चाहता हूँ। उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना बेहद जरूरी है। आज आई.ए.एस., आई.पी.एस. और यहां सदन में उपस्थित 90 विधायकों के किसे के भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। यदि हम सरकारी स्कूलों में टीचरों की ड्यूटी पॉलियो ड्रॉप अभियान, जनगणना के लिए, चुनाव के लिए तथा लिंग अनुपात की रेशो की जनगणना के लिए लगाते रहेंगे और यदि सरकारी स्कूलों में प्रॉपर सात घंटे बिजली नहीं रहेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, जब तक गरीब

बच्चों को विजुलाईजेशन और एनिमेशन के जरिए शिक्षा नहीं मिलेगी जैसे बाकी देशों में हो रहा है तब तक शिक्षा का सुधार नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आई.सी. एस.ई. और सी.बी.एस.ई. के स्कूल्ज उस पैटर्न को लेकर आ रहे हैं। जैसे हमारे बच्चे वीडियो गेम्ज़ में रूचि रखते हैं उसी प्रकार से हमारे बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने की रूचि नहीं रखेंगे तब तक हमारा एजूकेशन सिस्टम ठप्प होता चला जायेगा। इस प्रकार से भविष्य में गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होते जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे गुरूग्राम में 35 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में 40 हजार के करीब आबादी है। हर वार्ड में एक म्यूनिसिपल क्लीनिक होना चाहिए। ग्रुरूग्राम रेवेन्यू के मामले में हरियाणा में सबसे आगे है। गुरूग्राम नगर निगम का कमिश्नर चण्डीगढ़ बैठता है। गुरूग्राम के उपायुक्त के पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अतिरिक्त चार्ज भी है। अध्यक्ष महोदय, गुरूग्राम काफी बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर का चार्ज अलग होना चाहिए और गुरूग्राम नगर निगम का कमिश्नर गुरूग्राम में ही बैठना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारा गुरूग्राम कांउसिलर्ज के हिसाब से चलता है, इसलिए एक साल में चार बार कांउसिलर्ज की ट्रेनिंग का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि कोई भी विकास के कामों में कोई करप्शन वगैरह न हो सके। अध्यक्ष महोदय, बार–बार सड़कों पर जनता का पैसा खर्च करने की बजाए सरकार को चाहिए कि गुरूग्राम के तमाम बड़े ऑफिसर्ज के साथ प्लानिंग न बनाकर जनता के बीच बैठकर अच्छी तरह से टैंडर की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जिससे गुरूग्राम की सड़कें बार–बार न टूटे। अध्यक्ष महोदय, बारिश के दौरान गुरूग्राम के अंदर सड़कों के दोनों तरफ एस.टी.पी. की पाइपलाइन डाली जाए ताकि सारे शहर की डस्ट सड़कों पर न फैले। मैं तो यह कहता हूँ कि एस.टी.पी. के पानी से छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि डस्ट नीचे बैठ जाये और गुरूग्राम पॉल्यूशन फ्री हो सके। सदन में इस समय माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन से यह रिक्वैस्ट करना चाहूँगा कि आज देश व हरियाणा प्रदेश में कैंसर जैसी घातक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हमें आर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए। इस बात को लेकर हमारा प्रदेश बिल्कुल भी सचेत नहीं है। मुझे यह भी पता है कि डिवैल्पड कंट्री के अंदर जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके ऊपर से तो हवाई जहाज भी नहीं उड़ाते हैं। लेकिन हमारे देश और प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अभी तक तो कोई सोच भी नहीं रहा है। इस प्रकार से आर्गेनिक फार्मिंग हमारे देश

और प्रदेश की जरूरत बन गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि जो निर्दलीय विधायकों का सिटिंग प्लान पीछे किया हुआ है उन विधायकों के पास किसी भी पार्टी काडर का वोट नहीं था फिर भी भारी मतों से जनता ने जिताकर विधान सभा पहुँचाया है। मेरा विधान सभा क्षेत्र गुरूग्राम सबसे बड़ा है। वर्ष 1966 से जब से हरियाणा बना है मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर विधान सभा पहुँचा हूँ, इसलिए मेरा सदन को उतना ही ध्यान रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों को मेरे से काफी उम्मीदें हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री नीरज भार्मा (फरीदाबाद, एन.आई.टी.) : अध्यक्ष महादेय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं फरीदाबाद (एन.आई.टी.) क्षेत्र के लोगों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे चुनकर विधान सभा पहुँचाया है। मेरे पास इस समय आज की तारीख के कुछ फोटोग्राफस हैं, जिन्हें मैं सदन में उपस्थित माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय व अध्यक्ष महोदय आपके पास पहुँचा दूंगा। आज पूर्व अध्यक्ष श्री कंवर पाल जी 'सबका–साथ सबका–विकास' पर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के चर्चा के दौरान चर्चा कर रहे थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां मैं रहता हूँ वह एक महत्वपूर्ण जवाहर कॉलोनी है। जहां पर पहले श्री राजेश नागर जी, विधायक भी 4–5 साल से उस महत्वपूर्ण कॉलोनी में रहा करते थे लेकिन बाद में तिगांव जाकर रहने लगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी काफी समय हमारी जवाहर कॉलोनी में गुजरा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सीवर जाम के कुछ फोटोग्राफ्स हैं वह मेरे विधायक बनने के बाद के हैं। क्या यही सरकार का 'सबका–साथ सबका–विकास' है? यह तो वही कहावत चरितार्थ होती है 'न होता अगर जल, तो जग जाता जल'। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधायक बनने से पहले सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ राजनीति पार्टी के सदस्यों ने सोच रखा है कि पूरे फरीदाबाद लोक सभा क्षेत्र से केवल एक ही कांग्रेस पार्टी का विधायक है, इसलिए उसके पास कोई भी जनता न जाये। फरीदाबाद, एन.आई.टी. की सड़क पर एक सरकारी स्कूल है, जिसमें 5600 बच्चे पढ़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कल्पना नहीं कर सकते कि बारिश के दिनों में जब वे बच्चे पानी में से निकलते होंगे तो घर पहुँचने पर उनके पैरों में कितनी खुजली होती होगी। इसके पीछे ई.एस.आई.सी.

की डिस्पैंसरी है जहां पर 1500 मरीजों की ओ.पी.डी. होती है और इसके बगल में ही बुजुर्गों के लिए थेरैपी सैंटर है उसमें भी 500 के करीब बुजुर्ग आते–जाते हैं। क्या नीरज शर्मा ही उस जवाहर कॉलोनी में अकेला रहता है? मेरा तो घर को भी तोड़ दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मेरे विधायक बनने के कारण जनता को इतनी तकलीफ मत दो। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा बार–बार यह नारा दिया जाता है कि 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' लेकिन हमारे यहां जो एन.आई.टी. फरीदाबाद की सड़क पर सरकारी स्कूल है, उस स्कूल को जोड़ने वाली सड़क की इतनी बुरी हालत है कि बरसात के दिनों में इस सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है। सड़क पर खड़े इस पानी में से क्या कोई बहन–बेटी इज्जत के साथ चल सकती है? अगर इस सड़क पर पानी में से कोई भी बहन–बेटी चलेगी तो उसको अपने कपड़ों को ऊपर उठाकर चलना पड़ेगा। ऐसा करने से हमारी बहन–बेटियों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। सरकार को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरे विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अंकित है कि सरकार दो लाख नए रोजगार का सृजन करेंगी। मुझे यह पढ़कर बहुत खुशी हुई। इस संदर्भ में मैं आज इस महान सदन के माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों चाहें वे सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हों चाहे विपक्ष की तरफ बैठे हुए हों, से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम सबकी यह सोच होनी चाहिए कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहे गए एक–एक शब्द का पालन जरूर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दो लाख नए रोजगार का सृजन हो या न हो लेकिन कम से कम जो पहले से उद्योगों में प्राईवेट रोजगार में लगे हुए लोग हैं, उनको हटाने का काम तो कदापि नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात उद्योग क्षेत्र से संबंधित सदन को बताना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 4 महीने के दौरान कम से कम 20 हजार युवक बेरोजगार हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में तीसरी बात हैल्थ एवं वैलनेस सैंटर के बारे में की गयी है जिसमें कहा गया था कि सरकार आने वाले समय में 2 हजार नये हैल्थ एवं वैलनेस सैंटर खोलेगी। अभी पलवल हल्के से हमारे माननीय सदस्य श्री दीपक मंगला जी ने कहा कि कौशल विकास यूनिवर्सिटी चालू हो गयी है। इसके बारे में मुझे पता नहीं है, अगर वह यूनिवर्सिटी चालू हो गयी है तो उसके लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा।

श्री दीपक मंगलाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा कौशल विकास यूनिवर्सिटी चालू की जा चुकी है और वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जॉब भी मिली हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि पहले वे मेरी पूरी बात सुन लें। मैं कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं कह रहा हूं। अगर कौशल विकास यूनिवर्सिटी चालू हो गयी है तो मुझे बहुत खुशी है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से छोटी सी डिमांड है। वर्ष 2014 में हुडा के 55 सैक्टर में पॉलिक्लिनिक की एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी थी। इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए संबंधित ऑफिसर्ज से भी बातचीत हो चुकी थी, परन्तु उस समय आदर्श आचार संहिता लगने के कारण उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। सरकार द्वारा संबंधित बिल्डिंग को कौशल विकास यूनिवर्सिटी के नाम ट्रांसफर कर दिया और वहां पर यूनिवर्सिटी बन गयी है, यह बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उस ऑफिस को वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दें क्योंकि हमारे इलाके में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। वहां पर केवल एक ई.एस.आई. (इंप्लौयीज स्टेट इंश्योरैंस) की डिस्पैंसरी है और आप सभी जानते हैं कि उसमें सिर्फ वही लोग इलाज करवा सकते हैं जो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र के हॉस्पिटल को चालू करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हम जो भी बात सदन में रख रहे हैं, उसका ठोस आश्वासन मिले कि संबंधित कार्य 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने या 2 महीने में पूरे करवाये जाएंगें। इसके अतिरिक्त तीसरी बात पानी की समस्या से संबंधित है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में पानी की कमी की समस्या का जिक्र किया है। माननीय सदस्य श्री मूल चन्द शर्मा जी और माननीय सदस्या श्रीमती सीमा त्रिखा जी की कांस्टीच्युएंसी की सीमा भी मेरे हल्के के साथ लगती है। मेरे हल्के में गरीब मजदूरों की बस्ती है। वे न्यूनतम वेतन पर कार्य करते हैं जिसमें उनको 8,000 से 10,000/– रुपये ही मासिक वेतन मिलता है। वहां पर हर घर में डेली 50 से 60 रुपये का पीने का पानी खरीदना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप पांच साल के कार्यकाल में एक समय ऐसा ला दें जिसमें मेरे क्षेत्र की गरीब जनता पैसों से पानी न खरीदे और उनको सरकार की तरफ स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाए। अभी

एक माननीय सदस्य ने बी.एस.पी. यानि बिजली, सीवरेज और पानी की बात कही थी। मैं भी यही चाहता हूं कि सरकार कम से कम बिजली, सीवरेज और पानी की व्यवस्था तो करवा दे। बाकी और चीजें तो बहुत बड़ी हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर बहस नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ यही चाहूंगा कि मेरे हल्के के लोगों के लिए हुडा के 55 सैक्टर का हॉस्पिटल चालू हो।

श्री अध्यक्षः नीरज जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री नीरज शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहकर अपनी बात पूरी कर दूंगा। मैं मेरे हल्के की पानी की समस्या का हल बता रहा हूं। पहले मेरे हल्के के पाली गांव से लेकर सिरोही गांव तक बहुत माइनिंग हुई, जिसके कारण वहां पर इतनी गहरी–गहरी खाई हो गयी हैं जिनमें बदकिस्मती से हर साल बच्चे डूबकर मर जाते हैं। इन माइनिंग की खाइयों में मिनरल वॉटर है, इसलिए उसको शुद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जिससे वह पानी (फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़) तीनों विधान सभा क्षेत्रों में आ जाए तो हमारे क्षेत्र में 10 साल तक पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय रैनी वैल की योजना शुरू की गयी थी, परन्तु प्रदूषण के कारण संबंधित कुओं का पानी जहरीला हो गया है। इस कारण वहां पर पीने के लायक पानी नहीं है। हर घर में आर.ओ. लगा हुआ है परन्तु उससे भी 25 प्रतिशत पानी का ही पीने के लिए यूज होता है और 75 प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है। हम आर.ओ. वाले पानी को री– यूज नहीं कर पाते। अगर संबंधित पानी हमारे इलाके में आ गया तो हम भी सुखी और हमारे फरीदाबाद जिले की जनता भी सुखी हो जाएगी। जय हिन्द, जय भारत।

श्री शीश पाल सिंह (कालांवाली) (अ.जा.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उस अंश का उल्लेख करना चाहूंगा जिसको माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी ने भी रखा है। यह एक ऐसी समस्या है जो पूरे हरियाणा राज्य की है लेकिन इसको व्यापक रूप से हम देखेंगे तो यह समस्या मूलरूप से सिरसा जिले और पंजाब राज्य के साथ–साथ लगते इलाके की ही है। यह सबसे बड़ी समस्या नशे की है। तीन साल पहले पंजाब राज्य को उड़ता पंजाब कहा जाने लगा था परन्तु आज स्थिति बदल चुकी है और आज उड़ता हरियाणा

बनता जा रहा है। इसके साथ बरबाद कालांवाली हल्का भी होता जा रहा है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे और उन्होंने अपनी चुनावी सभा में भी इस बात की चर्चा की थी। मैं भी उसी क्षेत्र से चुनकर आया हूं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वहां पर खतरनाक तरीके से नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ रहा है जिसका आंकड़ा वर्ष 2014 तक 1405 मरीज था, परन्तु अब वर्ष 2018 में बढ़कर यह आंकड़ा 18551 मरीज हो गया है। जिस अनुपात से नशा करने वालों का ग्राफ बढ़ रहा है वह हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। सिरसा जिले के अस्पताल में प्रतिदिन 100 से भी अधिक नशे के मरीज आते हैं। अब तो यह आंकड़ा हमारे जिले में काफी बढ़ गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में पहले जो युवा नशा करता था, उसकी औसत आयु 25 से 30 वर्ष आंकी गई थी परन्तु अब हमारे यहां पर जो युवा चिट्टे का नशा कर रहे हैं उनकी औसत आयु 15 से 20 वर्ष के बीच में आंकी गई है। मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ऐसा बच्चा क्या तो स्कूल में जायेगा और क्या वह पढाई करेगा? मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार उस बच्चे का किस प्रकार से विकास करेगी? हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से नशे में लिप्त व्यक्तियों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। मैं इस समस्या के ऊपर आपको एक–दो बातें कालांवाली, बडागुडा, रोड़ी, डबवाली और गुहला–चीका के बारे में बताना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में नशाखोरी बढ़ने का क्या कारण रहा है? इसके बढ़ने का एक मात्र कारण यह रहा है कि पंजाब प्रांत में नशे का खात्मा हो चुका है, जब पंजाब से सप्लायर भागता है तो वह हरियाणा की तरफ ही भागता है परन्तु हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के बॉर्डर पर पिछले 5 साल में इनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऐसे में मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि बड़े मुद्दों को सरकार अपने संज्ञान में ले और इन पर कार्रवाई करने का काम भी करे। अभी मैंने माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा कि हमारी सरकार यह लड़ाई प्रबल ढंग से लड़ेगी परन्तु मुझे पिछले 5 साल के दौरान ऐसी कहीं कोई प्रबलता दिखाई नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश में ये आंकड़े जिस प्रतिशतता से बढ़े हैं, उन आंकड़ों को मैंने आपके सामने रख दिया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989 में हमारे पुनर्वास के निर्माण के लिए नशा मुक्ति केन्द्र होते थे और केन्द्र सरकार की तरफ

से 12 नशा मुक्ति केन्द्र बनाये गये थे, जोकि अब घटकर मात्र 4 ही रह गये हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि इन नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या घटी है। एक अंतिम समस्या जो कालांवाली की है वह यह है कि माननीय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के शासन काल में सब–डिवीजन बनाने लिए अगस्त माह में एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी। अब उसमें एस.डी.एम. भी बैठने लग गया है परन्तु पिछले 5 साल के दौरान सब–डिवीजन के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार सबका साथ–सबका विकास की बात करती है लेकिन मैं समझता हूं कि यह बात भी सरकार की अधूरी रह गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इन बातों पर जरूर ध्यान दे। आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा स्टेट में इस असैम्बली में सबसे कम आयु का विधायक हूं और इस महान सदन में बोलने के लिए एक जिम्मेदारी के साथ खड़ा हुआ हूं। मुझ से पूर्व वक्ताओं ने अपने–अपने क्षेत्र की बात की है तो आज मुझे एक चीज जरूर देखने को मिली कि सभी माननीय सदस्यों ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के 12 पेजों की तो बात की परन्तु उन 12 पेजों पर हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी स्पोर्टस फील्ड की जो अहमियत है, मैं समझता हूं कि इस विषय से संबंधित सदन के किसी भी माननीय सदस्य ने चर्चा नहीं की। अध्यक्ष महोदय, हमारे बीच में कुछ ही महीनों के बाद ओलम्पिक गेम्स टोक्यो–2020 आने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश वह प्रदेश है जिसने एक तिहाई पदकों को लाने का काम किया है चाहे वह ओलम्पिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर वे एशियन गेम्स हों। मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात को टच भी किया है। हमारी सरकार भी स्पोर्टस को लेकर पूरा प्रयास करेगी कि हमारे प्रदेश का कोई भी खिलाड़ी ओलम्पिक्स में पार्टिस्पेट करता है तो सरकार की ओर से उसे सभी सुविधाएं दी जा सकें। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारे पास श्री संदीप सिंह पूर्व ओलम्पियन और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, युवा राव चिंरजीव, श्री अमित सिहाग और श्री वरुण चौधरी जी भी हैं। हमारे युवा सदस्य एक साथ मिलकर के उन प्लेयर्स की टैक्नीकल रूप से सहायता करेंगे अगर उन खिलाड़ियों

को किसी और तरह की सहायता मुहैया करवानी पड़ी तो हमारी सरकार उन प्लेयर्स को सहायता जरूर देगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि इन प्लेयर्स को लेकर इन युवा सदस्यों के भी इस महान सदन में सुझाव आने चाहिए थे। हरियाणा प्रदेश की तरफ से इस देश का नेतृत्व करने वाले खिलाड़ियों का हम अपनी तरफ से पूरा सहयोग भी देंगे और आगे आने वाले ओलम्पिक्स में मैडल टेली में जहां हम एक तिहाई थे वहां हम आधे में अपने प्रदेश का नेतृत्व करने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं तो अपने माननीय साथी गुप्ता जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब ये अपना मोबाईल लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे तो सामने वाले बैंच से कुछ साथी यह बोले कि सदन में मोबाईल अलाउड नहीं है। मैं आपको भी इस जिम्मेदारी की बधाई देता हूं और जिस प्रकार से आज डिजीटलाईजेशन का जमाना है इसलिए हमें मोबाईल को अलाउड करना चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि हमें सैक्रेटेरियट के काम को भी डिजीटल करना पड़ेगा। जब पांच साल के दौरान मुझे लोक सभा में काम करने का मौका मिला तो वहां पर बहुत सी ऐसी चीज़े थी। प्रश्नकाल के दौरान जब हम प्रश्न डालते थे तो वह सब डिजिटलाईज़ था। आखिरी के साल में कोई भी सांसद पेपर पर लिखकर क्वैश्चन नहीं देता था बल्कि सभी कुछ डिजिटलाईज़ था और सभी क्वैश्चन्ज भी ऑन लाईन ही डाले जाने शुरू हो गये थे। आप इस चेयर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठे हैं इसलिए आपको इस प्रथा को हरियाणा विधान सभा में भी जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को जल्दी से जल्दी डिजिटलाईजेशन की ओर लेकर जायेंगे। अगर किसी को न्यूज़ कटिंग दिखानी हो तो आज के दिन तो सभी के पास टैब हैं और बड़े–बड़े मोबाईल हैं, इन सबके अंदर उसको दिखाया जा सकता है। इसके लिए हमें गुप्ता जी की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने हरियाणा विधान सभा की इस बैठक में इस प्रथा की शुरूआत की है कि उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर डिजीटलाईजेशन के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम किया है। कई साथियों ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन के जो वायदे थे वे उन्हें महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को नहीं मिले। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि अभी यह गठबन्धन सरकार बने जुम्मा–जुम्मा 8 से 9 दिन ही हुए हैं। इस समय के दौरान हमारा यह प्रयास रहा है कि हम प्रत्येक विषय पर साथ मिलकर आगे बढ़ें। मैं तो यह चाहता था कि

कोई साथी खड़ा होकर सरकार का इसके लिए धन्यवाद करता कि सरकार ने यह निर्णय लिया कि भविष्य में सभी प्रकार के एग्जामिनेशन सैंटर्स 300 किलोमीटर दूर नहीं होंगे बल्कि वे 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही होंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और पूरे प्रदेश को यह विश्वास दिलाता हूं कि इस सदन के अंदर भी हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो दोनों पार्टियों का है उसको जल्दी से जल्दी लागू करवाया जायेगा। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी ने बड़े अच्छे तरीके से गिनवाया कि हमारी कुल 420 घोषणाएं हैं। मैं आप सभी के साथ यह बात सांझा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की लगभग 72 ऐसी घोषणाएं हैं जिनके अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उनकी इम्पलीमैंटेशन में थोड़ी बहुत बजट की वैरीएशन हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप विश्वास रखिएगा हम अपने–अपने घोषणा पत्रों को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन भी करेंगे और उस कमेटी के मार्गदर्शन में कॉमन मिनीमम प्रोग्राम को मज़बूती के साथ आगे ले जाने का काम भी करेंगे। हम प्रत्येक कदम पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ायेंगे। हमारे एक साथी कुलदीप वत्स जी कह रहे थे कि हम युवाओं के लिए लड़ते थे। मैं उनको इस सदन के माध्यम से उप मुख्यमंत्री के तौर पर विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के रोजगार में 75 परसैंट हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के लिए निर्धारित करने के लिए विधान सभा के अगले सैशन में बिल लाने का हमारी सरकार का प्रयास रहेगा। अब प्रदेश के किसानों की बात आती है । बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने यहां पर बारी–बारी से धान की परचेज़ की बात उठाई है। गठबन्धन सरकार के गठन के बाद से ही पहले दिन से हमारा यह प्रयास रहा है कि हम प्रदेश के किसानों की धान की फसल का एक–एक दाना परचेज करेंगे। यह फैसला माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में लिया गया था। अगर किसी साथी के यहां आज भी धान की परचेजिंग में कोई दिक्कत है तो उसकी सूचना तुरन्त हमें दें। जहां तक धान की परचेज़ की बात है मैं उस बारे में यह कहना चाहूंगा कि हम किसान की धान का एक–एक दाना परचेज़ करने का दम भी रखते हैं। मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में जो पिछले वर्ष की धान की परचेज थी वह 55 लाख मीट्रिक टन थी जोकि इस साल बढ़कर 60 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। इसका एक कारण है कि दूसरे प्रदेशों का धान भी हमारे प्रदेश में बिक्री के लिए आ

रहा है। एक और चीज जो देखने और समझने की है वह यह है कि जो बड़े–बड़े इण्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जिनके बड़े–बड़े यूनिट्स लगे हुए हैं वे ऑन रिकार्ड धान की परचेज़ तो कर लेते हैं मगर मण्डी से धान को प्रिक्योर नहीं करते। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज इस सदन के बाद हम सरकार की ओर से डॉयरैक्शंज भी जरूर देंगे कि प्रत्येक मण्डी की परचेज़ की इंसपैक्शन की जाये। जिस आढ़ती के पास फसल का बिल कटा हुआ है और उस आढ़ती के गोदाम में वह फसल नहीं पड़ी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे बहुत से साथी सरकार के इस कदम का विरोध भी करें लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा तो सरकार उसके विरुद्ध हर सम्भव और सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। मैंने संसद सदस्य के तौर पर भी कई बार संसद में यह बात रखी थी कि किसानों की फसल के बिल तो कट जाते हैं मगर बिल के माध्यम से गोदामों के अंदर वह सामान नहीं जाता और जब एक साल बाद रिकार्ड दिखाना होता है तो बिहार या मध्य प्रदेश से सस्ते दामों पर सामान लाकर लोड किया जाता है। मैं तो विपक्ष में बैठे एक–एक साथी से भी यह कहना चाहूंगा कि वे बतायें कि कौन सी मण्डी के अंदर आज के दिन धान पड़ी है और किस गोदाम के अंदर धान नहीं पहुंचा है। हम इस प्रकार के मामलों की पूरे तौर पर इंक्वायरी भी करवाने का काम करेंगे। जहां बात किसान की आई है तो वहां पर माननीय प्रधान मंत्री जी का एक पूरी तरह से स्पष्ट विज़न रहा है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। मगर इस पर बहुत से साथी खड़े होकर कहते हैं कि ऐसा किस प्रकार से किया जायेगा? मैं कहता हूं कि विपक्ष के साथियों की तरफ से भी इस बारे में सुझाव आने चाहिएं। विपक्ष के साथी यदि डीकम्पोजर की 20 रुपये की बोतल को इतना बड़ा मुद्दा बना सकते हैं तो सुझाव देने में तो समय नहीं लगना चाहिए। इनकी तरफ से सुझाव जरूर आने चाहिएं कि किसान को क्या चीज दी जाये?

16:00 बजे

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर सभी सदस्यों की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जायें

आवाजें: ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री दुष्यन्त चौटालाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक पायलर की बात है तो सरकार की तरफ से हर जिले में पायलर दिये गये हैं। मैंने आज डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान मंगा कर स्वयं उसकी स्टडी की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर जिले ऐसे हैं जहां पर पायलर पर सब्सिडी लेने के लिए किसानों ने ऐप्लीकेशन ही नहीं दी हैं। मैं तो सभी साथियों को प्रेरित करता हूं कि आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान की एक कॉपी लेकर पढ़ें और उसमें देखें कि रोटावेटर पर कितने रुपये की सब्सिडी है और ट्रैक्टर पर कितने रुपये की सब्सिडी है। आप उनको इम्पलीमैंट करवाइये। आप भी सरकार का हिस्सा हैं। जब कोई विधायक चुन कर आता है तो चाहे वह विपक्ष में बैठा हो या सत्ता में बैठा हो उसको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम सभी मिलकर कैसे इन स्कीम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से पानी की समस्या के बारे में बहुत बड़ा विषय उठाया गया था। यहां हाउस में यह भी कहा गया कि सरकार ने बहुत से ब्लॉक्स को डार्क जोन घोषित कर दिया है। इस बारे में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी जिक्र किया गया है चाहे वह रेणुका डैम हो, लखवार डैम हो या किशाऊ डैम हो, इस बारे में केन्द्र सरकार की तरफ से दो प्रोजैक्ट्स की एप्रूवल मिल गई है और तीसरे के बारे में इन्वोयर्नमैंट क्लीयरैंस होनी है, जो अभी पैंडिंग है। सरकार का यही प्रयास रहेगा कि इन तीनों डैम्स की डिवैल्पमैंट का काम जल्द से जल्द शुरू हो जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। इसके साथ ही साथ चाहे सतलुज–यमुना–लिंक नहर हो या हांसी–बुटाना नहर हो, जो प्रोजैक्ट्स 4–4 दशक से सुप्रीम कोर्ट में सब–ज्यूडिस हैं सरकार का प्रयास उनको पूरा करवाने का रहेगा। इसी प्रकार से जहां तक यूथ इम्पलौयमैंट की बात है तो सरकार का यही प्रयास है कि 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी जायें। इसी तरह से जिस प्रकार डॉ. रघुवीर सिंह कादियान जी कह रहे थे कि बेरी में गर्ल्स कॉलेज बनना पैंडिंग है। जहां तक मुझे मालूम है कि डॉ. कादियान वहां से चौथी बार लगातार विधायक बन कर आये हैं। दो बार तो इनकी सरकार थी और एक बार ये श्री मनोहर लाल जी की सरकार में विधायक रहे हैं और अब ये चौथी बार जीत

कर आये हैं। इस प्रकार से तो यह बहुत पुरानी मांग लगती है जो पैंडिंग है अगर ये चाहते तो अपनी सरकार के समय में उस कॉलेज को बनवा सकते थे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं बोल रहा था उस समय भी उप–मुख्यमंत्री जी ने रनिंग कमेंट्री की थी कि आपकी सरकार के समय में बेरी में गर्ल्स कॉलेज क्यों नहीं बना। जब हमारी सरकार थी उस समय इस गर्ल्स कॉलेज के लिए सर्वे हुआ था और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल मिल गई थी तथा फाइनैंशियल ऐप्रूवल भी मिल गई थी। मेरे कम से कम 22 प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं जिनकी फाइनैंशियल ऐप्रूवल मिल गई थी तथा कांट्रैक्ट भी हो चुका था और पिछले 5 साल में उन पर काम शुरू नहीं हो सका। इसी तरह से बेरी का गर्ल्स कॉलेज भी पाइपलाईन में था। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो प्रोजैक्ट्स हमारी सरकार के समय में ऐप्रूव हुये थे उनको तो सरकार पूरा करवाए।

श्री दुष्यन्त चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि सरकार में आपकी भी हिस्सेदारी है और हम दोनों मिलकर इन लम्बित प्रोजैक्ट्स को पूरा करवा सकते हैं। इसी प्रकार से जहां तक गरीबी उन्मूलन की बात है तो सरकार ने अपना सपना आगे रख दिया है कि किस तरीके से गरीबी को दूर किया जायेगा। चाहे वह गरीब को मकान दिलाने की बात हो, चाहे उसको व्यवस्था पहुंचाने की बात हो। इसी तरह से आज हाउस में हैल्थ फैसिलिटीज की बात हुई है। हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि सिविल हॉस्पिटल्स में कोई सुविधा नहीं है। मुझे गुरूग्राम के सैक्टर 10 में सिविल हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला था। मैं चाहूंगा कि एक बार हमारे विपक्ष के साथी पंचकुला या पानीपत के हॉस्पिटल्स देख कर आयें। वहां पर पी.पी.पी. मोड पर कैथ लैब चल रही हैं। हमारे बहुत से साथी ऐसे होंगे जिनको यह नहीं पता कि आज 18 हजार रुपये में इन सरकारी अस्पतालों में स्टंटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान योजना के तहत सरकार एस.सी. और बी.पी.एल. के मरीजों को पी.पी.पी. मोड में मुफ्त में स्टंटिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप अपने–अपने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जगह उपलब्ध करवा दें तो हमारी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि हर जिले में पी.पी.पी. मोड पर इस तरह की कैथ लैब खोल दी जायें ताकि हमें मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में न जाना पड़े। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमारी दोनों पार्टियों की बहुत सी कॉमन बातें हैं

जिसमें कर्मचारियों की बात भी है और खास तौर से क्योंकि बॉर्डर पर खड़ा हर दसवां जवान हरियाणा का है। मिलिट्री और पैरा मिलिट्री में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हमारे प्रदेश की है। हम मिल कर काम करेंगे। आज मिलिट्री के जवानों को जो सुविधाएं मिलती हैं हमारे पैरा मिलिट्री के बहुत से जवान ऐसे हैं जो उन सुविधाओं से वंचित रहते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि 5 साल में हम मिल कर उनको भी वे सुविधायें प्रदेश की ओर से उपलब्ध करवाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगा कि हम आने वाले 5 साल इसी तरीके से प्रदेश की उन्नति और प्रगति के काम करेंगे । अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो वर्ष 1966 से अब तक सरकारें बहुत रही हैं । विधान सभा के लीडर भी बहुत रहे हैं कोई थोड़े समय के लिए रहे कोई लम्बे समय तक रहे हैं । स्टेबिलिटी रही, अन स्टेबिलिटी रही लेकिन सभी का यह प्रयास रहा है कि हरियाणा आगे बढ़े । आज हम इस उम्मीद के साथ इस गठबंधन में खड़े हैं कि हरियाणा को स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमैंट दी जाए जिससे हरियाणा प्रदेश उन्नति और प्रगति के पथ पर चले । आपने मुझे दोबारा बोलने का मौका दिया बहुत–बहुत धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, आज 14वीं विधान सभा का यह पहला सत्र है जोकि तीन दिवसीय सत्र है । मान्यवर गवर्नर महोदय ने प्रदेश की सभी योजनाओं, उपलब्धियों व आगे के विजन पर जो अपना अभिभाषण दिया है उस पर हम सभी लोगों ने चर्चा की है । स्वाभाविक है कि 14वीं विधान सभा का यह पहला सत्र है जिसमें कुछ नये सदस्य भी हैं । उन्होंने भी प्रदेश की कुछ बातों व कुछ विषयों पर चर्चा की है और अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगों व कुछ समस्याओं के विषय को हमारे सामने रखा है । जैसे कि विधान सभा की कुछ परम्पराएं हैं कि उन सभी समस्याओं को विभागों के अधिकारी नोट कर लेते हैं । खासकर अलग–अलग विधान सभा क्षेत्रों की जो मांगें व समस्याएं होती हैं उनको नोट करके उनका समाधान करने के लिए विभाग अपने आप उसका समाधान निकालता है । मैं समझता हूं कि एक–एक विधान सभा क्षेत्र का उत्तर देना तो बहुत लम्बा हो जाएगा लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस भी विधान सभा क्षेत्र की जो मांगें व समस्याएं है उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी । जहां तक गवर्नर साहब के संदेश का विषय है तो उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर अपने

अभिभषण में सरकार की प्राथमिकताएं बताई हैं और उनका उल्लेख किया है । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार के विजन का बहुत अच्छी प्रकार से कई जगह पर उल्लेख किया है । चाहे वह किसानों के लिए है, चाहे वह हमारी सरकार की पारदर्शिता नीति पर है, चाहे वह भ्रष्टाचार के विरोध में हमारी सरकार जो कुछ कर रही है और आगे भी हमारा जो संकल्प है, उन सभी बातों का उल्लेख गवर्नर साहब के संदेश में किया गया है । अब अगर लम्बा भाषण देना हो तो फिर वही तुलनात्मक बातें शुरू हो जाएंगी । मैं समझता हूं कि जैसे आज नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि इस समय हम कोई एक दूसरे की आलोचना करने का विषय लेकर नहीं आए हैं । हां, आखिर कुछ बातों का ध्यान प्रतिपक्ष के लोग भी जरूर कराएंगे और सरकार के नाते से जो जवाब देना होगा उसका हम जवाब भी देंगे । उसको आलोचना न समझा जाए । उस पर तुलनात्मक तौर पर जरूर विचार किया जाता है कि आज से 10 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था, 15 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था? वर्ष 1966 से लेकर अब तक बहुत सी चीजें आलोचना के लिए भी मिल सकती हैं । कम्पेरिजन करने के लिए भी मिल सकती हैं और एक सकारात्मक तरीके से बहुत कुछ अच्छी बातें भी उल्लेख की जा सकती हैं । अभी 1 नवम्बर को हरियाणा दिवस के अवसर पर मैंने अपने एक संदेश में कहा था कि वर्ष 1966 में जब पं. भगवद् दयाल शर्मा हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर अब तक सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने–अपने समय में कुछ न कुछ काम किया है और उल्लेखनीय काम किया है इसलिए इस प्रदेश के निर्माण में व प्रदेश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान रहा है । आज भी मैं यही कहूंगा कि चाहे कोई पक्ष में है, चाहे विपक्ष में है, कोई इंडीपैंडेंट है, कोई सहयोगी है और कोई गठबंधन का साथी है । सभी 90 के 90 विधायक मिलकर आज यह तय करके चलें कि हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है । अपने–अपने क्षेत्र के हित के लिए छोटे–छोटे विषय तो समझ में आते हैं । कभी–कभी हम अपने क्षेत्र के विषय से अलग हटकर कुछ विषयों को ध्यान में रखकर बात उठाते हैं तो उससे समाज की एकता व भाईचारे में जो कमी आती है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए । विकास की दो बातें कम हो जाएंगी, दो बातें ज्यादा हो जाएंगी । दो सड़कें कम बनेंगे, ज्यादा बनेंगी । दो पुलिया कम बनेंगी, ज्यादा बनेंगीं लेकिन अन्तोत्गत्वा सामाजिक सोहार्द और समाज का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण आदि विषयों पर ध्यान देना चाहिए और हमें ऐसे बहुत से विषयों पर कार्य करना चाहिए

जोकि लंबे काल के लिए आने वाली हमारी नई पीढ़ियों के हित में हों। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में किसानों व कृषि के संबंध में बहुत सी बातें कही गई हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जिसकी 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है इसलिए डॉयरेक्टली या इंडॉयरेक्टली, कृषि की व्यवस्था को सुधारने की दिशा में हम जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही हमारे प्रदेश की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थायों में सुधार होता चला जायेगा और हरियाणा प्रदेश, विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जायेगा। इसलिए अब मैं अलग–अलग बातों में न जाकर केवल इतना ही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों के विकास के लिए जो आह्वान किया है उसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बावजूद हमें अपने स्तर पर इस विषय को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा ताकि वर्ष 2022 तक हम भी अपने प्रदेश के सभी किसानों की आय को डबल कर सकें। अध्यक्ष महोदय, किसानों के हित के लिए बनाई गई बहुत सी ऐसी योजनायें हैं जिनका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है इसलिए उन योजनाओं का दोबारा से उल्लेख न करते हुए मैं केवल इतना ही संकल्प दोहराना चाहूंगा कि हम किसान के सामने कोई भी कठिनाई नहीं आने देंगे और अगर कोई कठिनाई तत्कालिक रूप में आती भी है तो भी हमारे द्वारा उस कठिनाई को तुरंत प्रभाव से दूर करने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने धान की प्रिक्योरमैंट की बात की थी। प्रिक्योरमैंट में लोजिसिटक्स चार्जिज तथा फाइनेंस ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। यही नहीं प्रिक्योरमैंट के लिए एफ.सी.आई. द्वारा भी कैस–क्रेडिट लिमिट बनाने संबंधी दिशा–निर्देश दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का जो मार्केटिंग सिस्टम है, वह आसपास के प्रांतों से काफी अच्छा है जिसके लिए हमें गर्व है। आसपास के प्रांतों के लोग चाहे वे उत्तर प्रदेश के लोग हों, पंजाब के लोग हों या फिर चाहे राजस्थान के लोग हों, जब उनके यहां प्रिक्योरमेंट के नाते उनकी फसल की बिक्री नहीं होती है या समय से उनकी फसल की पेमेंट नहीं होती है तो ये सभी लोग हरियाणा में आकर अपनी धान बेचने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के पिछले कार्यकल में धान की खरीद के संबंध में बराबर ध्यान रखा गया है लेकिन चूंकि यह वर्ष चुनावी वर्ष रहा है इसलिए इस चुनावी वर्ष में इस दिशा में पूरा ध्यान नहीं रखा गया तथा किसी प्रकार की कठोरता बरतने से भी परहेज किया गया इसलिए इस बार धान खरीद के संबंध में वैसी बात संभव नहीं

हो सकी जैसे पहले हुआ करती थी और संभव है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे किसानों को थोड़ी बहुत कठिनाई पेश आई है जिससे हमारे प्रदेश का किसान तो परेशान हुआ ही है साथ ही अन्य प्रदेशों के किसानों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से भी धान का ज्यादा आगमन हुआ है। अब हमने धान खरीद के संबंध में नई व्यवस्थायें स्थापित करने का काम किया है और कहा है कि सबसे पहले जिस किसान ने अपना धान रजिस्टर्ड करवा रखा है, सबसे पहले केवल उसी का धान खरीदने को तरजीह दी जायेगी और उसके पश्चात अनरजिस्टर्ड या फिर दूसरे प्रदेशों से आने वाली धान को खरीदा जायेगा। इस वचनबद्धता को हमने अपने पिछले कार्यकाल में कैबिनेट की मीटिंग में दोहराया था और निर्णय लिया था कि किसान के धान के एक–एक दाने को प्रिक्योर करने का काम किया जायेगा। हमें इस कार्य के लिए जो भी सहयोग केन्द्र से मिलेगा, उसे तो लेंगे ही लेकिन उसके साथ–साथ अपनी खुद की नई व्यवस्थायें खड़ी करने का भी काम किया जायेगा अर्थात अब कोई भी परेशानी नहीं आने दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, कुछ मंडियों अर्थात फतेहाबाद, जींद तथा कैथल में प्रिक्योरमेंट ठीक ठाक ढंग से किया जा रहा है लेकिन चार–पांच मंडियां जैसे कुरूक्षेत्र, करनाल, अंबाला तथा यमुनानगर में कुछ कठिनाईयां महसूस की जा रही है और मेरा मानना है कि एक–दो दिन में ये सभी कठिनाईयां भी दूर हो जायेंगी। अब मैं ग्रामीण विकास के संबंध में बात करूंगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं लेकिन चूंकि इस मौके पर मुझे अपनी बात रखना जरूरी हो गया है इसलिए मैं उनको बोलने से बाधित कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में अभी फिर से दोहराया है कि सरकार धान का एक–एक दाना खरीदने का काम करेगी और साथ ही यह भी कहा कि जिस किसान ने अपनी धान का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, पहले उसका धान खरीदा जायेगा और उसके पश्चात अनरजिस्टर्ड तथा अन्य प्रदेशों से आये हुए किसानों का धान खरीदा जायेगा। मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूँ कि धान में नमी के नाम पर किसान का जो पैसा काटा जाता है चाहे वह डेढ सौ रूपये है या अढ़ाई सौ रूपये प्रति क्विंटल है उसके लिए किसान के 'जे' फार्म में लिख दिया जाता है कि यह पैसा किसान को नकद में दे दिया गया है और इसके साथ ही 'जे' फार्म में यह भी बाकायदा तौर पर लिखा जाता है कि इतने पैसे किसान के खाते में जमा कराये गए है और इतने पैसे चैक से दिए

गए है लेकिन धान में नमी के नाम पर जो पैसा काटा जाता है, जिसके लिए 'जे' फार्म में लिख दिया जाता है कि यह पैसा किसान को नकद में दे दिया गया है, वह पैसा वास्तव में किसान को नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि जब यह पैसा किसान को नहीं मिलता है तो फिर यह पैसा किस खाते में जाता है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जैसाकि सब जानते हैं कि एफ.सी.आई के माध्यम से जीरी खरीदी जाती है इसलिए जहां तक नमी वाले धान की खरीद की बात है, तो यदि नमी का रेट आफिशियली काटा जायेगा तो संभव है कि यह पैसा एफ.सी.आई. द्वारा नहीं दिया जायेगा। इस समस्या के निवारण के लिए अब यह प्रावधान किया गया है कि मान लो 2 प्रतिशत या 5 प्रतिशत नमी का पैसा कटता है तो वह 2 या 5 परसैंट फसल के कुल वजन से घटाकर पूरे रेट के साथ जे–फॉर्म में मैंशन किया जाता है । इसका कारण यह है कि कुछ समय बाद जब धान से नमी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और धान का वजन कम हो जाएगा तो इस घटे हुए वजन का नुकसान प्रदेश सरकार को न उठाना पड़े । अतः हम किसान को धान के एक्चुअल वजन का पैसा दे रहे हैं । हम उसके साथ कोई धोखा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप उसको जारी किये गए जे–फॉर्म देखेंगे तो हम उसमें उस दिन का वजन मैंशन नहीं करते जिस दिन धान मंडी में आता है बल्कि हम उसमें धान में से कुछ समय बाद जब नमी खत्म होकर उसका वजन घट जाता है उस दिन का वजन मैंशन करते हैं । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सरकार को ऐसा करने की जरूरत क्या है ? सरकार किसानों के साथ बेईमानी कर रही है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है, हमने किसान के साथ कोई बेईमानी नहीं की है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, लिखा यह जाता है कि किसान को 100–200–300 रूपये नमी के नाम पर प्रति क्विंटल कैश दे दिए गए जबकि उसे ये रूपये नहीं दिए जाते हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, किसान को धान का जितना रूपया दिया जाता है उतना ही लिखा जाता है । हम किसान को केवल नमी का वजन काटकर एक्चुअल वेट के हिसाब से रेट देते हैं । फिर भी यदि इसमें कहीं कोई दिक्कत या

गड़बड़ की आशंका है तो हम उसकी इंक्वायरी करवा लेंगे । (विघ्न) हमारे पास अभी तक जो इंफर्मेशन है उसके अनुसार किसान का पैसा कहीं भी खाया नहीं जा रहा है । हमने यह प्रावधान 3 साल पहले लागू किया था । हमारे विचार से पहले किसानों के साथ मण्डियों में बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता था । आढ़ती किसान को पहले तो पूरे वजन और पूरे रेट के हिसाब से फसल के पैसे दे देते थे लेकिन बाद में उनके 100–200–300 रूपये प्रति क्विंटल अपनी मर्जी से अनऑफिशियली काट लेते थे । इस पर हमने विचार किया कि किसान से फसल की नमी का पैसा उसके हिसाब से ही कटना चाहिए और इसी सोच से हमने फसल में नमी की पैमाइश भी करवाई । धान की फसल में 18 परसैंट तक नमी अलाउड है । अगर धान में 18 परसैंट से ज्यादा नमी होती है तो उसके हिसाब से ही नमी का वजन कम करके पैसा काटा जाता है । फिर भी जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपकी बात में कोई दम होगा तो हम उसकी जांच करवाकर इस बारे में आपको जानकारी दे देंगे । (विघ्न) मैं इस हाउस में आज यह आश्वासन दे रहा हूं कि हम प्रदेश के किसानों के एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने देंगे । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सदन में पिछले काफी समय से आवाज उठाता आ रहा हूं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य के कहने के बाद इसका पता करवाया था । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आज फिर से हाउस में यही बात कह रहा हूं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ऐसा कहने से यह बात सच नहीं हो जाती । हमने पहले भी पता करवाया था और अगर इसमें कोई दम होगा तो हम अब फिर से इसका पता करवाने की बात हाउस में कह रहे हैं । (विघ्न) अगर माननीय सदस्य ऐसी कोई भी बात कहकर सदन को गुमराह करने का प्रयास करेंगे तो यह ठीक नहीं है । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को कहां गुमराह कर रहा हूं ? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के बार–बार ऐसा कहने से कुछ नहीं होने वाला है । मैं इनको बता रहा हूं कि अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो हम उसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी बात पर इस मामले की जांच करवाने का आश्वासन दे चुके हैं, इसलिए अब आप बैठ जाइये ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहूंगा । माननीय मुख्यमंत्री महोदय हाउस के 3–4 विधायकों की एक कमेटी बना दें और वह कमेटी इसकी जांच करके सदन को हकीकत बता देगी ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रणाली में किसी माननीय सदस्य को कोई दिक्कत है तो वह स्वयं जाकर चैक कर ले । मैं इसकी जांच के लिए सदन के विधायकों की कमेटी बनाने के तिए तब सहमत होता जब मुझे इसमें कोई शक होता, इसलिए माननीय सदस्य स्वयं मंडियों में जाकर इसे चैक करें और हमें इसमें होने वाली गड़बड़ के प्रूफ लाकर दे दें । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विधान सभा के विधायकों की एक कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है ? (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी कार्य–प्रणाली पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम सदन की कमेटी बनाने वाली बात पर सहमत नहीं हैं । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह कोई भरोसे की बात नहीं है । इस प्रणाली पर सदन के माननीय सदस्यों को डाउट है, इसलिए आपको विधान सभा के 3–4 माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना देनी चाहिए । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर अध्यक्ष महोदय को इस बारे में कोई कमेटी बनानी है तो यह उनकी इच्छा है लेकिन हमें इस प्रणाली पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम कमेटी बनाने की बात पर सहमत नहीं हैं । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है कि इस प्रणाली पर हमें डाउट है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसकी जांच करने के लिए विधान सभा के 3–4 विधायकों की एक कमेटी बना देनी चाहिए । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला को इस प्रणाली पर डाउट है तो मैं इनके डाउट को क्लीयर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला की एक कमेटी बनाता हूं । यह कमेटी मंडियों में जाकर इस व्यवस्था को चैक करके हमें इसके बारे में रिपोर्ट दे दे । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया है कि मैंने आप दोनों की एक कमेटी बना दी है । मेरा कहना है कि हमारे साथ जांच करने के लिए विभिन्न एजेंसीज के ऑफीसर्ज की ड्यूटी भी लगा दी जाए । अतः मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन ऑफीसर्ज के नाम तय करके बता दें कि फलां ऑफीसर हमारे साथ जांच करने के लिए लगाया गया है । इसके अलावा मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रश्न है कि जब हम यह जांच करके रिपोर्ट देंगे तो क्या सरकार इनको स्वीकार करेगी ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य को इनके साथ जांच में शामिल होने वाले अधिकारियों के नाम तय करके बता देंगे और कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को स्वीकार भी करेंगे । मेरा अनुरोध है कि सदन में बेशक किसी की आलोचना की जाए लेकिन हमें सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए । अब मैं सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों में धान की प्रिक्योरमैंट किस गति से बढ़ रही है । वर्ष 2005–10 तक हमारी प्रिक्योरमैंट 106 लाख मीट्रिक टन थी, वर्ष 2009–14 तक यह 159 लाख मीट्रिक टन रही । इस तरह से यह वर्ष 2005–14 तक कुल 265 लाख मीट्रिक टन हुई । वर्ष 2014 से अब तक धान की कुल प्रिक्योरमैंट 275 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है । मुझे यह बात सदन में खुलकर बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमने पिछले साल प्रदेश के किसानों को आग्रह करके और प्रोत्साहन देकर प्रयत्न किया कि किसान धान की बजाय दूसरी फसलें तैयार करे । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे अपने रिवैन्यू डिपार्टमैंट से यह भी पता कर लें कि वर्ष 2000–10 तक कितने एकड़ जमीन में धान की बुआई हुई थी और उसके बाद के सालों में कितने एकड़ जमीन में धान की बुआई बढ़ी है । अगर किसान के खेत में धान की बुआई बढ़ेगी तो यह नेचुरल है कि मार्केट में धान की फसल प्रिक्योरमैंट के लिए ज्यादा आएगी । आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमने इतनी फसल की प्रिक्योरमैंट करके मैदान मार लिया । यह तो किसान की मेहनत है और किसान की तैयार की हुई सारी फसल की प्रिक्योरमैंट करना सरकार का काम है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इसी बात पर आ रहा था । आज सदन में समालखा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने एक विषय उठाया कि समालखा को डार्क जोन घोषित किया हुआ है जबकि समालखा तो यमुना नदी के साथ बसा

हुआ है और यमुना बैल्ट में पड़ता है । यह विचारणीय है कि इसको डार्क जोन क्यों घोषित कर दिया गया और यह काम सैंटर वाटर बोर्ड कमेटी करती है । इससे पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश पर एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है । अगर हम किसान को धान की बजाय कुछ और फसल बोने के लिए कहते हैं तो इसको इस दृष्टि से न देखा जाए कि यह किसान विरोधी काम हो जाएगा । यह किसान विरोधी काम नहीं है । हम किसान की आय को कम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हम सबको इतना प्रयत्न अवश्य करना पड़ेगा कि जिन फसलों को तैयार करने में पानी की खपत कम होती है उनको बोने के लिए किसान को प्रोत्साहित करें । पिछले दिनों मैं नलवा विधान सभा क्षेत्र का दौरा कर रहा था । उस दौरान मैंने देखा कि वहां पर धान की फसल लगी हुई थी जबकि यह वह क्षेत्र है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर पीने के पानी की भी कमी हो रही है । इसी तरह बवानी–खेड़ा विधान सभा क्षेत्र के एक गांव पुर का दौरा करते हुए मैंने देखा कि वहां पर भी धान की फसल बो रखी है और वहां भी पीने के पानी की समस्या है । इसके बाद मैंने वहां के लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि एक तरफ तो आप लोग कहते हो कि आपके गांव में पीने के पानी की कमी है और दूसरी तरफ आप खेतों में धान की फसल लगा रहे हो । इस पर उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारे गांव में लगभग 4 साल से पीने के पानी की कमी हुई है । इस पर मैंने उनसे कहा कि गांव में 4 साल पहले तो पीने के पानी की समस्या नहीं थी और जब से आपने धान की फसल लेनी शुरू की है तभी से यह समस्या खड़ी हुई है । अतः स्पष्ट है कि हमें भविष्य के लिए पानी को बचाना होगा । इसका कोई अन्य अल्टरनेट नहीं है । (विघ्न) हम चाहते हैं किसान की आय भी कम न हो और पानी की भी बचत हो इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा और अच्छे सुझावों को अपनाना पड़ेगा । हमें धान की बजाय मक्का जैसी फसलें उगानी पड़ेंगी और उनकी प्रिक्योरमैंट हम सुनिश्चित करते हैं । इसके जैसी फसलों के लिए हम 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत दी जाने वाली किस्त भी स्वयं दे देंगे, बीज भी मुफ्त दे देंगे लेकिन हम सबको किसान को धान से दूसरी फसलों की तरफ जाने की प्रेरणा देनी होगी । यह विषय सदन में बहस करने का नहीं है बल्कि यह विषय ज्यादा पानी की लागत वाली फसलों से कम पानी की लागत वाली फसलों की तरफ जाने और डायवर्सिफिकेशन करने का है । मेरा सदन से इतना ही आग्रह है कि हम सब किसान के लिए चिंतित हैं कि किसान की

क्या–क्या समस्याएं हैं और कैसे उनको हल करके आगे बढ़ा जा सकता है । जहां तक ग्रामीण विकास और पंचायतो के विकास की बात है कि उनमें कैसे ज्यादा से ज्यादा साधन बढ़ाए जाएं और पंचायती राज, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर परिषद आदि का विकास कैसे किया जाए इनके लिए हमने पिछले दिनों अंतर जिला परिषद का गठन किया था । वैसे तो यह कार्य आरम्भिक स्टेज पर है। लेकिन कई जिलों के बारे में निर्णय करके उनका बजट और उनकी स्वायत्तता को बढ़ा रहे हैं ताकि वे अपनी योजनाएं बनाकर विकास कार्य करें। मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि 5 साल पहले जिला परिषदों का कुल बजट 1 करोड़ रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये तक था और यह बजट छोटे–बड़े जिलों के हिसाब से आकलन करके दिया जाता था। अब जिला परिषदों के लिए वही बजट बढ़ाकर 20–25 करोड़ रुपये किया जा चुका है परन्तु यह बजट अभी भी कम है। प्रदेश सरकार चाहती है कि पंचायत समितियों को भी और काम मिले। पंचायतों के पास बजट की कमी नहीं है। लेकिन इस थ्री टायर सिस्टम में पंचायत समितियों/जिला परिषदों के पास बजट की कमी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी ने भी विपक्ष के माननीय सदस्यों को ग्रान्ट देने का मुद्दा उठाया था, परन्तु उस समय आप सदन में उपस्थित नहीं थे। सरकार जिला परिषद् के चेयरमैन को तो 20 करोड़ रुपये का बजट देने की बात कह रही है, परन्तु माननीय विधायकों के पास विकास कार्य करवाने के लिए 2 पैसे की ग्रान्ट भी नहीं है। कई माननीय विधायक तो बहुत अधिक मतों से जीतकर आते हैं, परन्तु उनको एक पैसे की भी ग्रान्ट नहीं दी जाती। सरकार को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि विधायक भी काम करवा सकें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें एक तो हाउस का काम होता है और एक मैम्बर का काम है। इस हाउस का बजट 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर है। हमारे हाउस का बजट 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर है तो हम इसकी तुलना जिला परिषद् के बजट के साथ तो नहीं कर सकते। पहले इनके लिए कम ही बजट था, इसलिए सरकार तो उस 1–3 करोड़ रुपये के बजट की तुलना 20–25 करोड़ रुपये के बजट से कर रही है। कई राज्यों में तो जिला परिषदों का बजट 100–100 करोड़ रुपये से भी ऊपर है। हमने

पंचायती राज सिस्टम को लैटर एण्ड स्पिरिट लागू करना चाहिए था, परन्तु उसको लागू नहीं कर पाये थे। इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें सरकार की सिर्फ यही भावना है। जहां तक विधायकों के लिए बजट की बात है, उसके लिए इस प्रकार की आज तक कोई परम्परा नहीं रही है और न ही अभी इस बारे में सरकार की कोई योजना है। लेकिन उनके विधान सभा क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए सरकार ने पहले भी बजट दिया था और आज भी घोषणा कर रहा हूं। हमारी सरकार ने प्रारम्भ में भी बिना भेदभाव के कार्य करने की नींव रखी थी। आज उसी विषय को दोहरा रहा हूं कि सभी विधायक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अपने क्षेत्रों के विकास के लिए 5–5 करोड़ रुपये का काम लेकर मेरे ऑफिस में पहुंचा दें, प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रुपये का काम मिलेगा। इसके लिए 450 करोड़ रुपये की घोषणा कर रहा हूं। इस घोषणा से सभी माननीय सदस्यों को खुश होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों को इस बात की आलोचना नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के माननीय सदस्य इस बात पर भी प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उन्होंने पहले भी 5–5 करोड़ रुपये की ग्रान्ट देने की घोषणा की थी और 5 करोड़ रुपये के एस्टीमेट्स भी मंगवाये थे। मैं स्वयं भी उनके ऑफिस में गया था, परन्तु अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो डॉक्यूमैंटल चीज है। इस समय इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैंने आदर्श आचार संहिता लगने से पहले 2 करोड़ रुपये के एस्टीमेट्स बनवाकर दिये थे। लेकिन उस पर सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी चीजें हों वे स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वे अपने वर्क्स के एस्टीमेट्स बनवाकर भेज दें।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई माननीय सदस्य सुझाव देना चाहता है तो बाद में बता दे ताकि अब मैं अपनी बात समाप्त कर सकूं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी पार्टी की सरकार के समय कुछ किया नहीं और हमारी सरकार कर रही है तो उसमें भी शोर मचा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखने दें। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, इसमें प्वायंट ऑफ ऑर्डर की क्या बात है ? प्लीज, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं इसलिए बीच में इस प्रकार का डिस–ऑर्डर ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। पहले उनका जवाब सुन लें। अब सुझाव देने का टाइम नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अभी सुझाव देने का टाइम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं। प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे 5 करोड़ रुपये की डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए जारी करवा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, यह डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट की बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट की बात नहीं है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम सरकार के पास 5 करोड़ रुपये के वर्क्स के एस्टीमेट्स बनवाकर भेज दें और सरकार हमें ग्रान्ट न दे तो हल्के के लोग कहेंगे कि माननीय विधायक जी संबंधित वर्क्स के एस्टीमेट्स बनवाकर ले गये थे लेकिन अभी तक कोई ग्रान्ट नहीं दी गयी है। यह सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। सरकार द्वारा प्रत्येक माननीय सदस्य को डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट देनी चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्र में जरूरत के अनुसार संबंधित वर्क्स की घोषणा कर सके।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि यह डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट की बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह वैल्फेयर स्कीम है। माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस का 1 लाख करोड़ रुपये का बजट बता रहे हैं और उसमें 450 करोड़ रुपये का बजट सभी माननीय विधायकों के लिए रखने की बात कह रहे हैं। इसलिए आप 5–5 करोड़ रुपये की डिस्क्रीशनरी ग्रान्ट प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए जारी करवा दें और 450 करोड़ रुपये के बजट से सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से आपका कद भी ऊंचा होगा। आपकी संवेदनशीलता भी बढ़ेगी और आपकी फराखदिली भी बढ़ेगी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कादियान साहब से कहना चाहूंगा कि अगर कद बढ़ाना ही था तो वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2014 तक बढ़ा लेते, तब आपने अपना कद क्यों नहीं बढ़ाया? हमारी सरकार अपना कद नहीं बढ़ाना चाहती है। यदि इनको लगता है कि सरपंच इनके हिसाब से काम करवायें तो उस सरपंच को ग्रामीण विकास का काम दे दिया जाये और यदि इनको ऐसा लगता है कि सरपंच इनके हिसाब से काम नहीं करवाना चाहता है तो ग्राम विकास

के अलावा और भी सरकार के पास बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, वे दे दिए जायें। (शोर एवं व्यवधान)

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए?

आवाजें : ठीक है, जी ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस महान सदन में दो घोषणाएं करनी हैं। सरकार के सामने एक विषय यह आया था कि दो पार्टियों और 7 निर्दलीयों सहित टोटल 57 सदस्यों का सत्ता पक्ष का एक गठबंधन है। यह स्वाभाविक बात है कि अपनी–अपनी पार्टियों के अलग–अलग मैनिफैस्टो होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफैस्टो ''संकल्प पत्र'' के नाम से था जबकि जननायक जनता पार्टी का मैनिफैस्टो ''जनसेवा पत्र'' के नाम से था। इस मैनिफैस्टो में हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए अलग–अलग प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी पार्टी होती है वे अपना–अपना मैनिफैस्टो तैयार करती है। उस मैनिफैस्टो में अपनी पार्टी का अपना ही एक मूल्यांकन होता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के साथ अपनी पार्टी के घोषणा पत्र का मूल्यांकन करवाया। मैं यहां पर इस बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि हम लोग धरती पर कितना रहते हैं और हवा में कितना उड़ते हैं? जब मैंने हमारी पार्टी और अन्य पार्टियों के घोषणा पत्रों को देखा तो यह बात ध्यान में आई कि इन घोषणा पत्रों पर फाईनैंशियल इम्पैक्ट कितना पड़ता है? हमने अपनी पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को सैक्रेटरी फाईनैंस के माध्यम से मूल्यांकन करवाया। हमारी पार्टी के 5 साल के घोषणा पत्र का

फाईनैंशियल इम्पलीकेशन 32 हजार करोड़ रुपये का है और हमारी सहयोगी जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र का फाईनैंशियल इम्पलीकेशन 38 हजार करोड़ रुपये का है जबकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का फाईनैंशियल इम्पलीकेशन 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपये का है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि जनता को भ्रम में रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कोई भी सरकार आ जाये वह चाहकर भी 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपये का बजट नहीं लगा सकती है। हमारे हरियाणा प्रदेश की जो आय है, उस आय में प्रदेश की जो इन्कम होती है, वह इन्कम इन चार हैड्स में चली जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे सैलरी, पैंशन, पैमेंट और इंट्रस्ट आदि हैड्स हैं। इन चारों हैड्स में प्रदेश की करीब–करीब 35–36 हजार करोड़ रुपये की इन्कम चली जाती है। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यह इन्कम किसी साल तो 95 प्रतिशत तक भी चली जाती है। अध्यक्ष महोदय, एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक साल तो यह इन्कम 105 प्रतिशत तक चली गई थी। जिसके कारण से हमारी सरकार ने 5 प्रतिशत का अतिरिक्त भार सैंटर से लोन लेकर किया था। अध्यक्ष महोदय, कभी–कभी तो ऐसा भी होता है कि इन चारों हैड्स में प्रदेश की इन्कम का न्यूनतम स्तर 89 प्रतिशत तक हो जाता है और कभी–कभी यह इन्कम का न्यूनतम स्तर 92 प्रतिशत तक भी चला जाता है परन्तु कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जिनकी इन्कम का न्यूनतम स्तर 60 से 65 प्रतिशत रहता है और बाकी 35 प्रतिशत अलग से विकास के कामों में लगा दिया जाता है। हमारा तो यही कहना है कि घोषणाएं करके जनता को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। अगर जनता को भ्रम में डालेंगे तो स्थिति यही बनेगी जो अभी कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है।

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बत्तरा साहब, आप प्लीज बैठ जाईये। आप बिना इजाजत के खड़े नहीं हो सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूशण बत्तरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बत्तरा साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप प्लीज बैठ जाईये।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की टोटल इन्कम का हर साल कितना प्रतिशत बजट इन चार हैड्स में खर्च होता है? मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पिछले 5 साल का ब्यौरा तो बता सकता हूं। यदि आप चाहें तो 15–20 सालों के खर्चे का ब्यौरा निकालकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के इम्पलीकेशंज को भी निकाल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति फाईनैंस के सिस्टम को जानता है तो उससे भी कांग्रेस पार्टी निकलवा सकती है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि जब हुड्डा साहब ने 1 नवम्बर, 2013 को गोहना में रैली की थी, तब भी इनकी यही स्थिति थी और उस समय इनका 56 हजार करोड़ रुपये का फाईनैंशियल इम्पैक्ट मापा गया था। मेरा यह कहना है कि हमें इतनी ही चीजों की घोषणा करनी चाहिए जिसका जनता को भी यकीन हो जाये और वह सबको फिजिबल भी लगे। फिजिबल न हो तो हम कुछ भी करते रहें परन्तु वे पूरी नहीं होंगी। मेरा यह कहना है कि अगर हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट शून्य ही आयेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंडेट की बात है, उसके बारे में मैं सदन में बताना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे तो वर्तमान सरकार वर्ष 2005 का हमारी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को निकलवाकर देख सकती है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कांग्रेस पार्टी के वर्ष 2005 के घोषणा पत्र के बारे में सदन में कोई बात नहीं कही है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चाहे तो आप वर्ष 2009 का घोषणा पत्र उठाकर देख लें। हमारी पार्टी की तरफ से जो–जो घोषणाएं की गई थी उनको हमारी सरकार ने पूरा करने का काम भी किया है। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया था, उसमें से हरियाणा सरकार एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को यह कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में इनको अहसास हो गया था कि अब आगे इनकी सरकार आने वाली नहीं है इसलिए ये पता नहीं कैसी–कैसी घोषणाएं करके चले गये।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं एक बात का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहता हूं क्योंकि इसका विषय जुड़ गया है। हुड्डा जी ने भी यह कहा कि पब्लिक का जो मैनडेट था हम उसको स्वीकार करते हैं। माननीय सदस्यों द्वारा मैनडेट के कारण से यहां पर कुछ प्रश्न खड़े किये हैं। मैं उन सभी प्रश्नों का ठीक से उत्तर यहां पर देना चाहता हूं। मेरे पास वर्ष 2009, 2014 और 2019 के आंकड़े हैं। वर्ष 2009 में हमारे हुड्डा जी ने सरकार बनाई थी जिसमें उससे पहले की हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 67 में से 40 विधायक आये थे और इस प्रकार से इनके 27 विधायक कम हो गये थे। उसके बाद इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस को दो भागों में बांटकर उसके एक भाग का समर्थन हासिल कर लिया। इसके अलावा पांच इंडिपैंडैंट विधायकों का भी हुड्डा जी की सरकार को स्पोर्ट था। हुड्डा साहब ने उस समय पूरे पांच साल सरकार चलाई लेकिन उस समय अगर इस सारे ग्रुप को हुई टोटल पोल्ड वोट का परसैंटेज देख लिया जाये तो 35 परसैंट तो कांग्रेस पार्टी का था, 7.4 परसैंट हरियाणा जनहित कांग्रेस का और 3 परसैंट इंडिपैंडैंट का था। इस प्रकार से यह टोटल मैनडेट 45 परसैंट का बैठता है जो कि पूरे पांच साल हुड्डा साहब के नेतृत्व वाली सरकार का रहा था। इस प्रकार से अगर देखा जाये तो वह पूर्ण बहुमत नहीं था। उस समय हुड्डा साहब ने वास्तव में अल्पमत वाली सरकार पूरे पांच साल चलाई जिसका मैनडेट टोटल पोल्ड वोट का 45 परसैंट था। वर्ष 2009 में हमारे कुल चार विधायक थे और हमें टोटल पोल्ड वोट का 9 परसैंट हासिल हुआ था लेकिन वर्ष 2014 में हमें टोटल पोल्ड वोट का 33 परसैंट प्राप्त हुआ था और हमारे 47 विधायक जीतकर विधान सभा में पहुंचे थे। अभी इस बार वर्ष 2019 में हमारे विधायक 47 से घटकर 40 रह गये लेकिन हमारा वोट परसैंट 33 परसैंट से बढ़कर 36 परसैंट हो गया है। इस प्रकार हमें इस बार 3 परसैंट वोट बढ़कर मिले हैं। इसका अलग से विश्लेषण हो सकता है कि वोट परसैंट 3 परसैंट बढ़कर 36 परसैंट हो जाने के बाद भी हमारी सीटें इतनी कम क्यों आई हैं? इस प्रकार से हमारे पास आज की तारीख में 40 विधायक हैं और हमारे वोट टोटल पोल्ड वोट का 36 परसैंट हैं। इसी प्रकार से हमें जननायक जनता पार्टी का समर्थन हासिल है जिसके विधान सभा में 10 सदस्य हैं और उनका वोट परसैंट 15.47 है। ऐसे ही हमारी सरकार को 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है जिनका वोट परसैंट 4 है। इस प्रकार से आज हमारे पास टोटल पोल्ड वोट का 56 परसैंट मैनडेट है। इस प्रकार से

आज हम 56 परसैंट मैनडेट को लेकर इस हाउस को चला रहे हैं इसलिए हमारी सरकार कोई माइनौरिटी की सरकार नहीं है। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो विपक्ष के साथी हमारी सरकार के मैनडेट पर सवाल उठा रहे हैं उनको हमारी सरकार के मैन्डेट को स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए। जब हम साफ मैनडेट समझेंगे तभी हमें यह ध्यान में आयेगा कि हमारी सरकार एक पूर्ण बहुमत की सरकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती हूं कि ये यहां पर यह भी बता दें कि वोट परसैंट बढ़ने के बावजूद भी इनका सारे का सारी मंत्रिमण्डल क्यों हार गया ?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से श्रीमती गीता भुक्कल जी को यह कहना है कि इनकी सारे के सारे मंत्रिमण्डल के हारने की बात पूरी तरह से गलत है क्योंकि मैं यहां पर बैठा हूं इसलिए ये अपनी गलती को सुधार लें। मैं इनको यह भी कहना चाहता हूं कि इनकी कांग्रेस पार्टी के भी श्री करण सिंह दलाल, श्री कुलदीप शर्मा और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला भी विधान सभा चुनाव हार गये हैं। इस तरह से इनकी पार्टी का तो एक प्रकार से सत्यनाश ही हो गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों पार्टियों के इलैक्शन मैनिफैस्टो का सम्बन्ध है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की जानकारियां देकर क्या वे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : अभय जी, इस समय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा के दौरान आप सभी सदस्यों द्वारा पूछे गये सवालों का ही जवाब दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने कहा इस समय मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाये गये विषयों पर जवाब दे रहा हूं। अगर माननीय सदस्य इन विषयों को नहीं उठाते तो मैं उस बारे में बिल्कुल नहीं बोलता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी मैनडेट के बारे में बता रहे हैं इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सांपला में एक

जैलदार थे और एक सेठ जी थे उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। इस कारण से सेठ जी ने उस जैलदार को सस्पैंड करवा दिया। इसके बाद उस जैलदार ने अपनी सस्पैंशन के खिलाफ कोर्ट में मुकद्दमा दायर कर दिया और वह उस मुकद्दमें को जीतकर पुनः ड्यूटी पर आ गया। उसके बाद वह फिर से उसी सेठ के दरवाजे पर चला गया और बोला कि देख सेठ मैं फिर से जैलदार बनकर आ गया हूं। इस पर सेठ ने कहा कि देख भाई तू अपने अच्छे कर्मों की वजह से केस जीतकर नहीं आया बल्कि हमारे कर्म माड़े थे इसलिए तू केस जीतकर दोबारा से ड्यूटी पर आ गया है। इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे और हरियाणा प्रदेश के कर्म माड़े थे जो आप दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर आ गये हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यह तो दौड़ होती है और दौड़ में जो आगे निकले उसकी जीत होती है लेकिन अगर कोई घमंड की दौड़ में आगे निकले तो उसकी हार होती है। मैं हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा कि वे घमंड में न रहें, हम यहीं पर हैं और हमारी तीसरी बार भी आने की तैयारी है। जहां तक हम दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की बात है तो हम हमारे वरिष्ठ नेता श्री अनिल विज जी की अध्यक्षता में एक घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति बना रहे हैं जिसके पांच सदस्य होंगे। सरकारी अधिकारियों से भी तालमेल करके हम 15 दिन में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेंगे। निश्चित रूप से हम जनता के सामने गये हैं और एक दूसरे के सामने भी चुनाव लड़े हैं लेकिन जनता के मैंडेट के हिसाब से यह हमारा पोस्ट इलैक्शन गठबंधन हुआ है। पोस्ट इलैक्शन गठबंधन की प्रक्रिया पहले भी होती रही हैं यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। यह देश के दूसरे प्रांतों में भी हुआ है और केन्द्र में भी हुआ है इसलिए उस प्रक्रिया से हम जो बैस्ट सूटेबल सिस्टम है उससे आगे बढ़ेंगे। आज भी अगर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देखेंगे तो हमारी 12 घोषणाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की कॉमन हैं। जहां तक प्रदेश के लोगों को नौकरियां देने का विषय है तो इस बारे में मेरा कहना यह है कि पहले भी इंडस्ट्रीज और कारपोरेट्स या जो दूसरे इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा जब सी.एल.यू. ली जाती है तो उसमें यह प्रावधान है कि 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के लोगों को देनी होंगी लेकिन इसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि उसकी कभी भी मॉनीटरिंग नहीं हुई, इम्पलीमैंटेशन नहीं हुई। ऐसा कोई सिस्टम या मैकेनिजम अभी तक नहीं बना हुआ है। हम उसके लिए एक स्थाई मैकेनिज्म बनायेंगे कि 75 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के लोगों को ही

मिलनी चाहिएं बल्कि हम तो उससे भी आगे जायेंगे कि अगर कोई प्रिन्योरशिप 95 प्रतिशत नौकरियां हरियाणा के लोगों को देता है तो उसको हम स्पेशल बेनिफिट देंगे। इसके लिए हम एक पॉलिसी बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि आंकड़ों के खेल में बहुत कुछ उलझ–पुलझ होता है। एक मैगजीन में सी.एम.आई. संस्था ने लेख छाप दिया कि हरियाणा में 28 प्रतिशत बेरोजगारी हो गई है लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। इसका कारण यह है कि उसी मैगजीन में वर्ष 2017 में यह छपा था कि हरियाणा में बेरोजगारी सिर्फ 2 प्रतिशत रह गई है। मैं कहना चाहता हूं कि यह 2 प्रतिशत वाला आंकड़ा भी गलत है और 28 प्रतिशत वाला आंकड़ा भी गलत है। हम 2 प्रतिशत वाले आंकड़े को भी क्लेम नहीं करेंगे कि हरियाणा में बेरोजगारी 2 प्रतिशत रह गई है। दुनिया का विकसित देश जो इन आंकड़ों को जानता हो, इनसे परिचित हो, जहां सभी लोग मानते हैं कि जहां पर ढूंढने से भी कोई बेरोजगार नहीं मिलता है वहां पर भी आंकड़ों में 5 प्रतिशत से कम बेरोजगारी हो ही नहीं सकती है। 5 प्रतिशत लोग ऐसे होते हैं जो ट्रांसफोर्मेशन स्टेज में होते हैं। कहीं एक जगह से नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह तलाश कर रहे होते हैं, कहीं बीमारी हो गई या और कुछ हो गया। 5 प्रतिशत से कम किसी देश में नहीं है। इसलिए जिस आदमी ने यह रिपोर्ट छापी है वह हाउस का सदस्य नहीं है इसलिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है लेकिन जिसने भी यह रिपोर्ट छापी है उसमें यह 28 प्रतिशत का आंकड़ा बिल्कुल बोगस है। हां बेरोजगारी नहीं है यह मैं नहीं मानता हूं लेकिन 28 प्रतिशत का आंकड़ा एक दम गलत है। हमने पिछले 5 साल में भी सरकारी नौकरियां दी हैं जिसका उल्लेख बार–बार होता रहा है और उस पर प्रश्न खड़ा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अखबारों की सुर्खियां पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। अखबारों का कोई भरोसा नहीं है कि किसके बारे में क्या लिख देंगे और कौन क्या लिखवा देगा लेकिन हमें यह भरोसा है कि अगर कोई भी शिकायत हमें सिस्टम के खिलाफ मिली है तो हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। पिछली सरकारें कोई भी बता दो कि उनके खिलाफ कोई शिकायत मिली हो और उन्होंने कोई एक्शन लिया हो, कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। यही सरकार है कि हमें 3 बार शिकायतें मिली और हमने तीनों बार एक्शन लिया है और कइयों की तो एफ.आई.आर. भी दर्ज हुई हैं तथा 9 लोग तो जेल में पड़े हुये हैं। हमारा काम यही है कि कहीं पर शिकायत मिले तो हम एक्शन लें। अब हर जगह सिपाही जा कर खड़ा हो जायेगा ऐसा नहीं

है। जहां शिकायत मिलती है वहां एक्शन लेते हैं और उसको दूर करते हैं जिसके कारण अब वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं होती है। अगर कोई पेपर लीक होता है तो भी हम एक्शन लेते हैं। अब यह ज्यूडिशरी पेपर लीकेज की बात भी हमारे जिम्मे लग रही है जबकि ज्यूडिशरी का पेपर हाई कोर्ट की देख रेख में होता है और ज्यूडिशरी मिनिस्ट्री का पेपर हाई कोर्ट ही करवाता है । बल्कि पिछले कई वर्षों से यह द्वंद चल रहा है कि ज्यूडिशरी पेपर स्टेट का एच.पी.एस.सी. करवाये या हाई कोर्ट करवाये । इसके लिए हर बार मीटिंग होती है । आपको पता ही है कि संयोग से आज एच.पी.एस.सी. के पूर्व चेयरमैन वी.आई.पी. गैलरी में बैठे हैं मुझे उनकी तरफ इशारा नहीं करना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती भाकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी का ब्यान है कि सारे बच्चे एक ही गांव के लगे हैं ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : खटक जी, अब उप मुख्यमंत्री जी को ध्यान में आ गया है उन्होंने अपने ब्यान में सुधार कर लिया है । (शोर एवं व्यवधान) वह सुधार हो चुका है ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप बैठ जाईए । कोई भी सदस्य बिना परमीशन बीच में इंट्रप्ट नहीं करेगा । अगर कोई सदस्य बिना परमीशन के बोलेगा तो उसकी बात कार्यवाही में दर्ज नहीं होगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जगबीर जी, यह प्रश्न काल नहीं है । प्लीज आप बैठ जाईए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बात मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, मैं बार–बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप बैठ जाईए । इस तरीके से सदन नहीं चलेगा । यह प्रश्न काल नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपनी बात तभी रखें जब उनकी पार्टी को बोलने का समय मिलता है । उनके नेता को समय मिलता है । जिस समय उनको समय दिया जाता है उसी समय अपनी

बात रखें । उस समय इनकी बात नोट की जाएगी लेकिन जब समापन पर उसका उत्तर दिया जा रहा है ओर फिर कोई बीच में बोलता है तो फिर यह लम्बी गाथा चलेगी क्योंकि हर उत्तर में कोई अपना प्रश्न करेगा और फिर आरोप–प्रत्यारोप चलेंगे ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मलिक साहब, आप बाद में मुझे अपनी बात लिख कर दे देना । जो आप कहना चाहते है उसकी भी हम इन्कवायरी करवाएंगे लेकिन अभी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आपको जब बोलने का समय मिला था उस समय आपने ये प्रश्न क्यों नहीं पूछे ?

श्री मनोहर लाल : मलिक साहब, आज तो पहला दिन है । अभी तो ये सदन पांच साल चलना है । (शोर एवं व्यवधान) अगर आपकी बहुत ज्यादा न सुनी जाए तो मैं आपको अगला रास्ता बता रहा हूं । आप जाकर हमारे खिलाफ एफ.आई.आर. करवा देना । (शोर एवं व्यवधान) आप एक्शन लीजिए जो ले सकते हो ? लेकिन सदन को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है । यह तो आप स्कोर सैटल करना चाहते हैं । यह ठीक नहीं है । (शोर एवं व्यवधान) मैं जो चीज बता रहा हूं अगर आपको उसमें कुछ गलत लगता है तो उस बात को फिर उठाईए लेकिन अगर बीच में कोई बात उठाएंगे तो यह ठीक नहीं है । मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुल मिलाकर हमने रोजगार के नाते से जो बात रखी है वह तो सब रखी ही हैं । मैंने जनता के मेनडेट की बात की है, घोषणा की बात की है । उसी के साथ एक विषय जल का है जिसके संबंध में पहले दो–तीन सत्रों में भी एस.वाई.एल., लखवार, किसाऊ आदि नहरों की बात हो चुकी है । हम इतना ही कह सकते हैं कि हरियाणा में जल आपूर्ति बहुत कम है और आज से नहीं बहुत पहले से ही कम है । हमारी आवश्यकता ज्यादा है और इस ज्यादा आवश्यकता में हम भी ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं । केन्द्र सरकार की ओर से भी प्रयत्न किए जा रहे हैं कि रावी नदी का पानी अपने देश के प्रांतों में कैसे काम आ सके और ऊच नदी का जम्मू–कश्मीर से रावी नदी के थ्रू जो पानी पाकिस्तान चला जाता है उसको भी रोकने की बात चल रही है । हमने शिवालिक में भी छोटे–छोटे बनाने डैम की योजना बनाई है । हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि यमुना नदी में भी पानी ज्यादा कैसे आए । उसके लिए वह तीनों डैम बनने हैं । यह सारी योजनाएं हैं । इसके बावजूद भी पानी का प्रबंधन अच्छा कैसे हो? और पानी की खपत कैसे कम

हो इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए । इसके लिए मुझे इससे ज्यादा और कोई बात नहीं कहनी है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक जो बहुत जरूरी विषय नशे का भी था ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी नशे के बारे में भी मेरे पास जवाब है । अब विषय कई हैं तो पहले मैं एक–एक करके उन विषयों को पूरा तो कर लूं । इसके बाद विषय आता है पॉवर का। पॉवर के संबंध में मैं अपने पावर डिपार्टमैंट के पिछले 5 साल के कार्यकाल से एकदम संतुष्ट हूँ । हमने पॉवर के संबंध में जो कार्य शुरू किए थे, उन पर हम लगातार आगे बढ़ने का काम करते जा रहे है। हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के गांवों में 24 घंटे बिजली देने की जो घोषणा की थी, उस दिशा में हम काफी हद तक आगे बढ़ गए हैं। हरियाणा प्रदेश के दो तिहाई गांवो में अर्थात लगभग 6500 गांवों में से लगभग 4200–4300 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम किया जा रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए अब मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ अगर उनसे किसी सदस्य को कोई आपत्ति है तो वह अपने किसी सोर्स के माध्यम से पॉवर डिपार्टमैंट में पॉवर यूटिलिटीज के संबंध में आंकड़े प्राप्त कर सकता है। मैं जिन आंकड़ों की बात कर रहा हूँ वे आंकड़े पॉवर डिपार्टमैंट से ही प्राप्त हुए हैं। पॉवर डिपार्टमैंट सरकार का डिपार्टमैंट है। वहां से यदि किन्हीं आंकड़ों संबंधी कोई सूचना आयेंगी तो मुझे उन पर भरोसा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तो वहां जाकर कोई कलम चलाई नहीं है और संभव है कि उन आंकड़ों पर आप सबको भी भरोसा करना पड़ेगा। अगर आंकड़ों संबंधी सूचनाओं को कोई झूठलाना चाहता है तो उसे स्वयं मेहनत करके पॉवर डिपार्टमैंट में जाकर डाटा लेना पड़ेगा और यदि गांव–गांव जाकर भी पूछना पड़े तो भी वहां जाकर पूछना पड़ेगा। कहने का भाव यही है कि सदन में जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उनको डिपार्टमैंट जिम्मेदारी से तैयार करता है और उन आंकड़ों को जिस जिम्मेदारी के साथ मैं सदन में बताता हूँ अगर उनसे किसी सदस्य को आपत्ति है तो उनको झुठलाने के लिए आपको भी पूरी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। अब अगर पॉवर डिपार्टमैंट कह रहा है कि 6500 गांवों में से 4200–4300 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है, तो यह सच ही होगा। अध्यक्ष महोदय, पॉवर डिपार्टमैंट की तरफ से 'म्हारा गांव–जगमग गांव' योजना के नाम पर एक एप बनाया गया है। यदि कोई इन 4200–4300 गांवों में 24 घंटे बिजली देने संबंधी जानकारी प्राप्त

करना चाहता है तो सबसे पहले उसको इस एप को लोड करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें संबंधित गांव का नाम लिख दीजिए तो आपके पास वह सारा डाटा आ जायेगा कि किस गांव में कितने घंटे बिजली दी जा रही है, कितने बिल पैंडिंग है, कितने कनेक्शंज है तथा कितने कुंडी कनेक्शंज हैं ? यह जानकारी प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यू.एच.बी.वी.एन. एल. और डी.एच.बी.वी.एन.एल. का रूरल डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर तथा इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में पॉवर सप्लाई का 1 सितम्बर से लेकर 30 सितम्बर के बीच का अर्थात पूरे एक महीने का डाटा उपलब्ध है। डी.एच.बी.वी.एन.एल. में जहां रूरल डोमेस्टिक के लिए 18 घंटे से 20 घंटे की एवरेज पॉवर सप्लाई दिखाई गई है वही यू.एच.बी.वी. एन.एल के तहत यह पॉवर सप्लाई 17 से 18 घंटे दिखाई गई है अर्थात इन दोनों निगमों में महज कुछ घंटों का फर्क दिखाई पड़ता है। 18 घंटे से 20 घंटे की एवरेज पॉवर सप्लाई का मतलब यह है कि जिन गांवों में 16 घंटे पॉवर सप्लाई होती है, वे गांव भी इसमें शामिल हैं, जिनमें 18 या 20 घंटे पॉवर सप्लाई होती है, वे गांव भी इस एवरेज में शामिल हैं। इसी प्रकार एग्रीकल्चर फीडर के लिए 8 से 10 घंटे की पॉवर सप्लाई की एवरेज दिखाई गई है अर्थात यदि तिथि के हिसाब से देखें तो पायेंगे कि 1 सितम्बर तथा 27 सितम्बर को एग्रीकल्चर फीडर के लिए पॉवर सप्लाई की एवरेज 10 घंटे है, किन्हीं दिनों यह 9 घंटे, 8 घंटे तथा साढ़े आठ घंटे तक भी दिखाई गई है। इसी प्रकार डी.एच.बी.वी.एन.एल. के तहत इंडस्ट्रीज के लिए पूरे सितम्बर माह में साढ़े तेइस घंटे की एवरेज पॉवर सप्लाई दिखाई गई है। अध्यक्ष महोदय, यह जो 1 सितम्बर से लेकर 30 सितम्बर तक पूरे एक महीने का डाटा मैंने सुनाया है, अगर इस डाटा से किसी को परहेज है तो खुद अपने संपर्क के माध्यम से सारा डाटा निकाल सकता है। अध्यक्ष महोदय, एक विषय लंबित ट्यूबवैल कनैक्शंज का भी आया है। इस संदर्भ में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले ट्यूबवैल्ज में फोर स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों के प्रयोग करने की एक योजना आई थी लेकिन बिना कंट्रोल की वजह से यह योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि कोई कंट्रोल न होने के कारण किसानों ने फोर स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों की जगह देसी वाटर पम्प मशींज/मोटरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया और इसका खामियजा यह निकलकर सामने आया कि फोर स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरें लगाने की योजना से जिस परसेंटेज की आशा की जा रही थी, वह पूर्ण नहीं हो सकी। इसके बाद जब फाइव स्टार वाटर पम्प

मशींज/मोटरों की टैक्नोलोजी आ गई तो डिपार्टमैंट को निर्णय करना पड़ा कि चूंकि फोर स्टार तथा फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों की पॉवर कंजंप्शन में 30 प्रतिशत का फर्क है तो क्यों नहीं फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों का प्रयोग किया जाये और इस बात का भी बराबर ध्यान रखा गया कि कहीं वही हालत फिर पैदा न हो जाये जैसाकि पहले फोर स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों के मामले में पैदा हुए थे जबकि किसानों ने फोर स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों की जगह देसी पम्प मशींज/मोटरें लगा दी थी और बिल फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों के लगा दिए थे। अध्यक्ष महोदय, कंपनियों को पता होता है कि फोर स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों की क्या खपत है तथा फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों की क्या खपत है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों को ग्लोबल टैंडर के माध्यम से लिया जायेगा। अब ग्लोबल टैंडर में कंपनी कहां की आती है, कहां की नहीं आती है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं होता है। कोई कंपनी चाहे हरियाणा से आये, केरल से आये, गुजरात से आये, उत्तर प्रदेश से आये, आसाम से आये या श्रीलंका से ही आये, कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोग से गुजरात की ड्यूप्लैस्टो नाम की एक कंपनी इस काम के लिए आगे आई। अब गुजरात की कंपनी से हमारा कोई विरोध तो है नहीं क्योंकि मुख्य कंसर्न यही होता है कि रेट कम हो और क्वॉलिटी अच्छे से अच्छी हो। अगर क्वालिटी, रेट तथा सप्लाई ये तीनों चीजें हमारे हिसाब से होती हैं तो हमें सभी कंपनियां मंजूर हैं। इस प्रकार पहली खेप की तौर पर 15000 वाटर पम्प मशींज/मोटरें ग्लोबल टैंडर के माध्यम से खरीदी गई हैं और अभी भी 84000 ट्यूबवैल कनैक्शंज हमारे पास पैंडिंग पड़े हुए हैं। (विघ्न)

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय मेरा सरकार से निवेदन है इन मोटरों के लिए सर्विस सैंटर भी बनवाये जायें? (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों के लिए एक साल का नहीं बल्कि पांच साल का एनुअल मैंटेनेंस कांट्रैक्ट का प्रावधान किया गया है। अब फाइव स्टार रेटिंग वाटर पम्प्स मशींज/मोटरें कंपनी के माध्यम से लगेंगी और इनके लिए जो रेट कंपनी द्वारा दिया गया है वह भी बहुत ही रीजनेबल आया है। अगर ध्यान से देखा जाये तो पूर्व में जो फोर स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों का रेट आया था और अब जो फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों का रेट आया है, उसमें बहुत ही कम अंतर

देखने को मिलेगा। इस प्रकार किसान पर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा बल्कि किसान को तो रेट रिबेट का फायदा ही मिल जायेगा। फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों पर जो अतिरिक्त खर्चा आयेगा वह सरकार वहन करेगी और इस प्रकार किसान को फोर स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों के खर्च में ही फाइव स्टार वाटर पम्प मशींज/मोटरों की सुविधा प्राप्त हो जायेगी और इससे जो 30 प्रतिशत बिजली की बचत होगी वह एक तरह से सरकार की ही बचत होगी। किसान से केवल 10–15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ही बिजली बिल लिया जाता है, जो बहुत ही नॉर्मल चार्ज है। अध्यक्ष महोदय, फाइव स्टार मोटर लगाने से 30 फीसदी बिजली की बचत होगी तो वह अल्टीमेटली बिजली डिपार्टमैंट की बचत होगी। फोर स्टार मोटर की जगह फाइव स्टार मोटर लगाने का जो एक्स्ट्रा खर्च और ए.एम.सी. का खर्चा है वह सरकार नहीं बल्कि बिजली डिपार्टमैंट की तरफ से होगा। बिजली डिपार्टमैंट अपना यह खर्च जो 30 फीसदी बिजली की बचत होगी उसमें से कवर कर लेगा। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में दिनांक 6 दिसम्बर को पोर्टल खोला गया था और 84 हजार ट्यूबवैल कनैक्शंज देने के रेट तय कर दिए गए थे। अध्यक्ष महोदय, 12035 किसानों ने फाइव स्टार मोटर के लिए पैसे जमा करवा दिए थे और उनको ट्यूबवैल कनैक्शन देने का काम भी शुरू हो गया है। बिजली डिपार्टमैंट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ट्यूबवैल कनैक्शन जारी करेगा। कुछ इस महीने लगेंगे और अगली साल 15 से 20 हजार किसानों को कनैक्शन जारी कर दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे–जैसे किसान टयूबवैल कनैक्शन के लिए पहले पैसे जमा करवायेगा उसी के हिसाब से सीनियोरिटी को देखते हुए टयूबवैल कनैक्शन दे दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह बिजली डिपार्टमैंट की तरफ से जारी प्रक्रिया है जो मैं सदन को बता रहा हूँ। बिजली डिपार्टमैंट की सोच है कि 30 फीसदी बिजली की बचत भी हो और सबको फोर स्टार मोटर की कीमत पर फाइव स्टार मोटर के साथ ट्यूबवैल कनैक्शंज मिलें। अभी हरियाणा प्रदेश में जो 84 हजार ट्यूबवैल कनैक्शन के केस पैंडिंग हैं उन्हें दिसम्बर, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं हैल्थ के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के हैल्थ के बजट में बाकी प्रदेशों के हैल्थ बजट के मुकाबले में ज्यादा अंतर नहीं है। किसी प्रदेश में एक–आध प्रतिशत कम है तो किसी प्रदेश में एक–आध प्रतिशत हैल्थ बजट ज्यादा है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा हैल्थ का बड़ा बजट होता है बाकी प्रदेशों का इतना बजट नहीं होता होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी

ऐब्सोल्यूट पर हैड राशि बाकी प्रदेशों से ज्यादा बैठती है, उस नाते से हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। जहां तक मैडिकल कॉलेज और मैडिकल सीटों की बात है। एम.बी.बी.एस. मैडिकल सीटों के बारे में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्ष 2014–15 में सभी मैडिकल कॉलेजिज की सीटों को मिलाकर 750 एडमिशन हुए थे। आज वही 5 साल के बाद यानी वर्ष 2019–20 में 1450 एडमिशन हुए हैं। 700 मैडिकल सीटों के एडमिशन चाहे वे वर्तमान मैडिकल कॉलेजिज के हों या फिर नये मैडिकल कॉलेजिज के हुए हों। अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कॉलेज चलना और खुलना कोई एक दिन का काम नहीं होता है। पीछे जो भी मैडिकल कॉलेजिज चल रहे थे उनमें से कुछ मैडिकल कॉलेज पाइपलाइन में थे, कुछ मैडिकल कॉलेजिज की फाइल प्रशासनिक स्तर पर क्लीयर नहीं हुई थी और कुछ मैडिकल कॉलेजिज का निर्माण चल रहा था। जब सब मैडिकल कॉलेजिज बनकर पूरे हुए उसके बाद ही नये मैडिकल कॉलेजिज खोलने की फाइल चली है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पता है कि श्री आफताब अहमद मेवात (नूंह) मैडिकल कॉलेज के बारे में बात पूछने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह बात ठीक है कि कुछ मैडिकल कॉलेजिज में अव्यवस्था है, हमें मालूम है। उन मैडिकल कॉलेजिज में व्यव्सस्था को ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। बड़ी समस्या जो हमको मेवात मैडिकल कॉलेज में आ रही है, वहां पर डॉक्टर्ज जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।

श्री आफताब अहमद (नूंह) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में मेवात में शहीद हसन खां मेवाती मैडिकल कॉलेज शुरू हुआ था और सात साल में जो मैडिकल कॉलेज की ग्रोथ होनी चाहिए थी वह नहीं हुई बल्कि उसकी ग्रोथ में कमी हुई है। अध्यक्ष महोदय, रिसोर्सिज की बात नहीं है, बात वहां पर व्यवस्था की है। हमारे मैडिकल कॉलेज की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती है। हमारे श्री अनिल विज साहब पांच साल हैल्थ मिनिस्टर रहे लेकिन फिर भी मेवात मैडिकल कॉलेज में नहीं गए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां जरूर एक बार दौर पर गए थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में दूसरा राजकीय मैडिकल कॉलेज मेवात में बना था। वहां के लोगों को इस मैडिकल कॉलेज की सख्त जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप उस मैडिकल कॉलेज की व्यवस्था में सुधार कीजिए। वहां पर डॉक्टर्ज का इतना इशू नहीं है, जितना उस मैडिकल कॉलेज में मेंटीनैंस या अन्य बातों का है। Administrative and other issues are more important rather than Doctors' availability. यह भी एक पार्ट है लेकिन

व्यवस्था का पार्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यवस्था की कमी की वजह से वह मैडिकल कॉलेज खुद बीमार हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट है कि मेवात मैडिकल कॉलेज की व्यवस्था को ठीक करें।

17:00 बजे

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद की बात को नोट कर लिया है, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। हमारा नूंह जिला aspiration District है। हमारे देश–भर में जो कुल 117 सबसे पिछड़े हुए जिले हैं उनमें हमारे हरियाणा प्रदेश के एक नूँह जिले का भी नाम है । हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री चिरंजीव राव ने सदन में मनेठी में बनने वाले 'एम्स' का विषय उठाया था । इसके बारे में जब मैं और माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी प्रधानमंत्री महोदय से मिले तो उन्होंने तथा हमारी सरकार ने इस एम्स को बनाने की घोषणा की थी । माननीय सदस्य को पता ही होगा कि मनेठी के लोगों ने 'एम्स' के लिए जो 200 एकड़ जमीन सरकार को दी थी उसका अब पता चला कि यह जमीन रिवैन्यू रिकॉर्ड में हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमैंट के अरावली प्लांटेशन की है ।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : ठीक है, यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई कन्क्लूड करने तक बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठक का समय मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई कन्क्लूड करने तक बढ़ाया जाता है ।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मनेठी में 'एम्स' को बनाने के लिए हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमैंट से क्लीयरैंस लेनी है लेकिन वह अभी तक हमें नहीं मिली है । इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं । हमारे पास कुछ एक्स–सर्विसमैन आये थे और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारी एक कमेटी बना

दीजिए हम हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमैंट से इस जमीन की क्लीयरैंस ले देंगे । हमने उनको कमेटी बनाने के लिए हामी भर दी है । अब एक–आध दिन में हम 3 सदस्यों की एक कमेटी बना देंगे और उनके साथ डिपार्टमैंट का भी एक आदमी नियुक्त कर देंगे । हम दिल से चाहते हैं कि हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमैंट से मनेठी के 'एम्स' को क्लीयरैंस मिल जाए और उसका निर्माण शुरू हो जाए । हमने इस 'एम्स' की जमीन के लिए दो अल्टरनेट्स रखे हैं । अगर उस जगह को 'एम्स' के लिए हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमैंट से क्लीयरैंस नहीं मिल पाती तो हमने वहां के ग्रामीणों से कहा है कि आप हमें 200 एकड़ जमीन उपलब्ध करवा दो हम आपको उस जमीन के पैसे हरियाणा सरकार की तरफ से दे देंगे और वहां पर 'एम्स' बन जाएगा । अतः हमारे पास दोनों रास्ते उपलब्ध हैं । हमें जिस ऑप्शन पर वहां पर 'एम्स' बनाने की क्लीयरैंस मिलेगी हम उसी से 'एम्स' बनाएंगे, यह हमारा वादा है । (विघ्न) हम गुरूग्राम में एक नये मैडिकल कॉलेज 'शीतला माता मैडिकल कॉलेज' की स्थापना कर रहे हैं, करनाल में 'कल्पना चावला मैडिकल कॉलेज' फंक्शनिंग है, गांव कुटेल में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी' बन रही है, भिवानी में एक मैडिकल कॉलेज अंडर कंसट्रक्शन है, जीन्द में एक मैडिकल कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिला कुरूक्षेत्र में एक 'मीरीपीरी मैडिकल कॉलेज' और दूसरा 'आदेश मैडिकल कॉलेज' चालू हो चुका है, जिला झज्जर में 'अग्रसेन मैडिकल कॉलेज' है, जिला सिरसा में एक मैडिकल कॉलेज प्रस्तावित था परंतु जिन्होंने यह कॉलेज प्रस्तावित किया था वे ही स्वयं पीछे हट गए हैं तो अब इस कॉलेज को किसी अन्य जगह पर बनाया जाएगा और नांगल–चौधरी के कोरियावास में भी एक मैडिकल कॉलेज है । इस तरह से हम सबसे पहले हर जिले में एक–एक मैडिकल कॉलेज खोलने के अपने टारगेट को पूरा करेंगे और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिकवैस्ट है कि झज्जर के घिराबड़ में 'वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मैडिकल साइंसिज एंड हॉस्पिटल' है । उस मैडिकल कॉलेज को एम.सी.आई. (मैडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया) की गाइडलाइन्स के मुताबिक ठीक नहीं पाया गया अर्थात उसमें काफी सारी कमियाँ पाई गई हैं । इस वजह से अब उसमें मैडिकल की पढ़ाई नहीं हो रही है और इसका खामियाजा वहां पर एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है । उस कॉलेज में लगभग 3 साल पहले नैशनल

इलीजिबिलिटी कम एंट्रैंस टैस्ट (नीट) पास करके 148 स्टूडैंट्स ने दाखिला लिया था । उस कॉलेज में मैडिकल की पढ़ाई न होने से उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और उनकी आगे की पढ़ाई किसी अन्य मैडिकल कॉलेज में भी नहीं हो रही है । अपनी आगे की बची हुई पढ़ाई के लिए वे बच्चे भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हैल्थ मिनिस्टर और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंप चुके हैं । इसके अलावा मैं स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उन बच्चों के साथ मिलकर इस बारे में बात कर चुकी हूं । मेरा कहना है कि यह एक अलग बात है कि उस कॉलेज में कुछ दिक्कतें पाई गई लेकिन मेरा निवेदन है कि इसकी वजह से हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए । उस कॉलेज के 148 बच्चे जिनका उसमें एडमिशन हुआ था वे पिछले 2 महीने से वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जिनमें 40 से ज्यादा बच्चियां भी हैं । इन बच्चों का यह केस फिलहाल न्यायालय में पैंडिंग है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे उन बच्चों को एक एसैंशियल सर्टिफिकेट जारी करते हुए दूसरे कॉलेजिज में शिफ्ट कर दें ताकि उनका भविष्य खराब होने से बच जाए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने एम.सी.आई. को इस बारे में लिखा था और एम.सी.आई. ने हमें इसकी रिपोर्ट भी दे दी है । हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमैंट को कह दिया है कि नये सत्र के लिए सभी विद्यार्थियों को अलग–अलग मैडिकल कॉलेज में जल्दी से जल्दी एडजस्ट किया जाए क्योंकि एक ही मैडिकल कॉलेज में सभी को एडजस्ट करना संभव नहीं है । हम इन विद्यार्थियों को सरकारी कॉलेज में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी को प्राइवेट कॉलेज में ही शिफ्ट किया जा सकता है । इस तरह से इनको एडजस्ट करने में हमारे ऊपर यह भी एक बंधन है । हमें पूरी उम्मीद है कि इस सत्र में सभी विद्यार्थियों को किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में एडजस्ट कर दिया जाएगा । इसी प्रकार एक विषय एस.सी. कमीशन बनाने का भी आया था। मैं हाउस के सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एस. कमीशन बनाने के लिए नोटिफिकेशन हो चुकी है और केवल उसका गठन होना शेष है। सरकार द्वारा चुनावों से पहले एस.सी. कमीशन बनाने के लिए नोटिफिकेशन कर दिया गया था परन्तु उसका गठन नहीं कर पाये थे। अब इसका जल्दी गठन करके मैम्बर्ज भी लगा दिये जाएंगे। इसी प्रकार किसानों के डिस्ट्रिक्ट को–आपरेटिव बैंक्स और

अपैक्स बैंक्स के जो लोन्ज बकाया हैं, उन लोन्ज का इन्ट्रैस्ट और पैनल्टी कैल्कुलेट करके संबंधित किसानों को बता दिया है। यह कुल अमाउंट 4750 करोड़ रुपये है जिसको माफ करने की घोषणा की जा चुकी है। अभी किसान इस योजना का लाभ लेने में लगे हुए हैं और लोन्ज की अमाउंट जमा करवाने की लॉस्ट डेट 30 नवम्बर है। अभी तक 75 हजार किसानों को इस योजना का लाभ हो चुका है और उनके 220 करोड़ रुपये माफ किये जा चुके हैं। इस योजना से लगभग 7 लाख किसानों को फायदा होना है लेकिन अभी भी लगभग 6.25 लाख ऐसे किसान हैं जिन्होंने इस योजना का फायदा नहीं उठाया है। मेरा हाउस के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट को–आपरेटिव बैंक्स या अपैक्स बैंक्स में जहां–जहां संबंधित किसानों के लोन्ज आउटस्टैंडिंग हैं, उनको इस योजना का लाभ लेने के लिए बताएं। लोन्ज आउटस्टैंडिंग होने के बाद खाता एन.पी.ए. हो जाता है जिसके कारण संबंधित किसान आगे लोन नहीं ले पाएंगे। इसलिए सरकार की तरफ से संबंधित बैंक्स को कह दिया गया है कि वे किसानों का इन्ट्रैस्ट और पैनल्टी माफ करके ऑरिजिनल अमाउंट जमा करवा लें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बिशन लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों के सहकारी समितियों और बैंक्स के लोन्ज माफ नहीं किये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य सोसायटीज की बात कर रहे हैं। ये इसमें शामिल नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बिशन लालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं तो अब सरकार की जो योजना है, उसके बारे में बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) बाकी आगे क्या करना है, वह भविष्य पर निर्भर है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. बिशन लालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं तो वही कह रहा हूं जो सरकार ने किया है और इसमें मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सरकार को को–ऑपरेट करें। सरकार की इस योजना से लगभग 7 लाख किसानों को लाभ होना है परन्तु अभी 75 हजार किसानों को ही लाभ हुआ है, इसलिए अभी लगभग 6.25 लाख किसानों को लाभ होना बाकी है। इसमें यह बात नहीं है कि किसने करवाना है और किसने नहीं करवाना है ? सरकार द्वारा बैंक्स के माध्यम से संबंधित किसानों को इस बारे

में जानकारी भी दी जा चुकी है, परन्तु हमारा पब्लिक रिप्रजैंटेटिव होने के नाते दायित्व बनता है कि हम अपने–अपने विधान सभा क्षेत्रों में किसानों को सरकार की इस योजना के बारे में बतायें। अभी किसान अपनी फसल बेच रहे हैं और यह स्वाभाविक बात है कि उनकी फसल का पैसा मिलता है तो किसान इसी समय सभी लेन–देन करता है। इस प्रकार से अब इस काम में तेजी लायी जा सकती है। किसान अपना आउटस्टैंडिंग जमा करवाकर अपने एन.पी.ए. अकाउंट को समाप्त करवाकर रेगुलर अकाउंट करवा लें। इसके अतिरिक्त एक विषय पानी के तालाब और गन्दे पानी की निकासी का आया था। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमने वॉटर डिस्पॉजल के लिए एक मैकेनिज्म बनाया है यानि पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा बनायी गयी है। यह अथॉरिटी 3–4 महीने पहले बनायी गयी थी। हरियाणा प्रदेश में लगभग 14,000 पौंड्स हैं। इनमें से लगभग साढ़े चार हजार पौंड्स तो सूखे की समस्या से ग्रस्त हैं तथा 6–7 हजार पौंड्स में ओवर–फ्लो होने की समस्या है। बाकी पौंड्स नॉर्मल पॉजीशन में हैं। ओवर–फ्लो वाले पौंड्स के पानी का डिस्पॉजल और उनके पानी का उपयोग इरीगेशन के लिए किया जाए, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। पौंड्स के पानी को साल में एक बार खाली करके उसमें नया पानी डाला जाए ताकि वह पानी पशुओं के पीने के लिए ठीक हो जाए। इस प्रकार का एक मैकेनिज्म बनाकर सुधार कर रहे हैं। इसमें 20 के आसपास ऐसे तालाब हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है। जो 10,000 की संख्या से बड़ी आबादी के गांव हैं जिनको हमने महाग्राम नाम दिया था उनमें सुधार का कार्य शुरू हो चुका है। इस कार्य को हम गति से करेंगे और यह बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में इसमें बहुत बड़ा बजट लगने वाला है। पानी के दो विषय हैं। एक विषय के बारे में तो बता दिया है। दूसरा विषय पीने के पानी के बारे में है। यात्रा के दौरान लोगों द्वारा उल्लेख किया गया कि उनके जिलों में पीने के पानी की बहुत समस्या है। यह समस्या तो पुरानी है और पानी की कमी भी है। फिर भी योजना बनाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि पीने के पानी की प्रॉयरिटी इरीगेशन से भी ज्यादा है। हमें किसानों को भी समझाना होगा कि पीने का पानी इरीगेशन से भी ज्यादा आवश्यक है। इसलिए पीने के पानी की पाइपलाइन अलग से जहां–जहां आवश्यकता होगी वहां पर संभवतः व्यवस्था करेंगे ताकि वहां के वॉटर वर्क्स पानी से भरे रहें। सरकार ने जिस प्रकार प्रत्येक घर में गैस पहुंचायी है, उसी प्रकार आने वाले पांच वर्षों में यानि वर्ष 2024 तक हर घर में

नल के जरिए रसोई तक पानी पहुंचाने की योजना है। यह हमारी सरकार की योजना है और इसको पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक विषय माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने ड्रग अब्यूज़ का उठाया था। वास्तव में यह समस्या नॉर्थ इंडिया की सामूहिक समस्या है। सबसे ज्यादा इसमें पंजाब राज्य प्रभावित है। पंजाब राज्य से ड्रग्स स्मगलिंग की समस्या इन्फ्लेट करती है। पंजाब राज्य में यह समस्या इसकी सीमा पाकिस्तान बॉर्डर के साथ अटैच होने के कारण है, साथ ही जम्मू एवं कश्मीर की तरफ से भी यह समस्या इन्फ्लैक्स हो रही है। पिछले दिनों अगस्त, 2018 की बात है, जिसको एक साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। मैंने स्वयं आसपास के सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बुलाया था जिसमें पंजाब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री सहित 4 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री उस मीटिंग में शामिल हुए थे। बाकी राज्यों के अधिकारियों ने संबंधित मीटिंग में हिस्सा लिया था। हम सभी मिलकर एक कॉमन स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। इसके लिए इन्टर स्टेट टॉस्क फोर्स बनायी गयी है और उसके लिए एक ड्रग अब्यूज़ सचिवालय, पंचकूला में बनाया गया है। इस कार्यालय में हर प्रदेश के 2–2 अधिकारी बैठे होते हैं और आपस में डाटा शेयरिंग करते हैं तथा इन्फॉर्मेशन देते और लेते हैं। जहां–जहां पर भी इस प्रकार के लोग हैं, उन सबकी डिमांड और सप्लाई पर किस तरह कंट्रोल करना है, इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नशे के व्यक्ति को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाना है उसके लिए अवेयरनैस के प्रोग्राम बनाये गये हैं और उनको कैसे ट्रीटमैंट दिया जाये उसके लिए भी प्रोग्राम चालू किए गए हैं? हमारी सरकार ने इन प्रोग्रामज़ में एन.जी.ओज. को भी शामिल किया है तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कहा जाए कि हमारी सरकार ने सभी डिपार्टमैंट्स जैसे हैल्थ डिपार्टमैंट, स्कूल एजूकेशन डिपार्टमैंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमैंट, हायर एजूकेशन डिपार्टमैंट, प्रिजन डिपार्टमैंट और पुलिस डिपार्टमैंट आदि का को–ऑर्डीनेशन करने का काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी स्टेट टास्क फॉर्स तो बनी हुई है लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फॉर्स को डी.एस.पी. के अंडर हर जिले में बनाने की योजना है, मैं आशा करता हूं कि वह भी जल्दी ही बन जायेगी और पुलिस हैड क्वार्टर पर एक हैल्प लाईन नम्बर जारी कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हमें जो कोई भी व्यक्ति नशे के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, हमारी सरकार की तरफ से उसका नाम गुप्त रखा जायेगा। हमारी सरकार की तरफ से इन्फॉर्मेशन से रिलेटिड एक सैंटर भी बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में डी–एडिक्शन सैंटर्ज भी कुछ जगहों पर चल रहे हैं लेकिन हमें इसमें कई प्रकार की कमियां देखने को मिली हैं। हमारे हैल्थ डिपार्टमैंट के जो भी अधिकारी यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप दो महीने के अंदर–अंदर सभी डी–एडिक्शन सैंटर्ज के निरीक्षण जरूर कर लें। जो भी उसमें कमियां पाई जाती हैं, उनको भी दूर करने का काम किया जाये। इसके अलावा कम्युनिटी मोबिलाईजेशन के जरिये हर विभाग में जहां–जहां सुधार किया जा सकता है, वहां पर हमारी सरकार जरूर सुधार करने का प्रयास करेगी। एक प्रकार से यह एन्टायर अवेयरनैस का प्लान है, जिसमें सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी सरकार के समक्ष यह बात रखी थी। मैं केवल अपने हल्के की बात नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी ने गुहला चीका की बात रखी और श्री शीशपाल जी ने कालांवाली की बात रखी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के हालात डबवाली, रानियां, फतेहाबाद और टोहाना आदि क्षेत्रों के भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया आदि के लोग जब आये थे तो वहां के स्थानीय लोगों से पूछा कि यहां ड्रग का माफिया कौन है और कौन इसका संचालन कर रहा है? वहां के लोगों ने बकायदा तौर पर ड्रग माफिया का नाम बताया था और लोगों ने उसका नाम लेकर आरोप भी लगाया था कि हमारे यहां से फलां व्यक्ति इस प्रकार का धंधा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों ने जिस ड्रग माफिया के लोगों के नाम बताये थे, क्या सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कोई इन्क्वायरी की है? क्या सरकार को उनके खिलाफ कोई जानकारी हासिल हुई है? क्या सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है या फिर सरकार ने उन लोगों को संरक्षण देने का काम किया है? मैं इन सबकी जानकारी सरकार से जानना चाहता हूं?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब की बात ठीक है। इस प्रकार की कोई शिकायत यदि सराकर को मिली है तो उस शिकायत पर कार्रवाई हुई होगी तो ठीक है, अगर उस शिकायत पर कार्रवाई नहीं भी हुई है तो जैसे ही

सरकार को इस बारे में जानकारी मिलेगी तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जायेगा, इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जायेगी।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों के पास आंकड़े हैं। क्या सरकार इन लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेगी?

श्री मनोहर लाल : चौटाला साहब, हमारी सरकार ड्रग माफिया पर कार्रवाई करने का काम जरूर करेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा जो हमारे संकल्प पत्र में एक बिन्दु लिखा हुआ था कि जो आउट सोर्सिंग महिला कर्मचारी हैं, उनको अभी मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है। उनके लिए मैं घोषणा करता हूं कि इसका जल्दी से जल्दी प्रावधान करके इसी सप्ताह ही पत्र जारी कर दिया जायेगा। मेरी दूसरी घोषणा यह है कि हमारी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र में यह भी लिखा हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में जो शराब के ठेके खोले जाते हैं, अब वे ठेके नहीं खोले जायेंगे। हम इसका प्रावधान इसी वर्ष तो शायद नहीं कर पायेंगे परन्तु अगले वर्ष फरवरी, 2019 में जब शराब के नये ठेके खोले जाएंगे तब ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में ये ठेके नहीं खोले जायेंगे परन्तु इसमें भी हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से और वहां की पंचायतों से या ग्रामीण सभा से सहमति पत्र लेकर ही इस काम को करेगी। इसके लिए हालांकि हमारी सरकार ने 30 सितम्बर, 2019 की तिथि निर्धारित की थी लेकिन अब हमारी सरकार ने यह तिथि 31 दिसम्बर 2019 तक बढ़ा दी है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक शराब के ठेकों से ग्राम पंचायतों को इनकम होती है इसलिए मुझे नहीं लगता कि ग्राम पंचायतें ऐसा कुछ लिखकर देंगी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अभय चौटाला जी को यह बताना चाहूंगा कि उनकी यह बात सही है कि निःसंदेह शराब के ठेकों से ग्राम पंचायतों को इनकम होती है। अगर कोई ग्राम पंचायत इस बारे में अपनी सहमति नहीं देती तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा अपनी सहमति दे दे। यह हम सभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी निर्भर करता है इसलिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी गांवों में स्वयं जाकर ग्राम पंचायतों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। चौधरी

बंसी लाल जी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने इस आशय का फैसला वर्ष 1996 में किया था। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी सरकार के उस फैसले में शामिल थी। उस समय की सरकार ने हरियाणा प्रदेश में शराब बंदी का आंदोलन चलाया था जिसको सारे देश और सारी दुनिया में सराहना मिली थी लेकिन उसके जो दुष्परिणाम थे वे दो साल के अंदर–अंदर देखने को मिल गये थे। आप सभी माननीय सदस्यों में से भी कुछ सदस्य उसके गवाह होंगे। उस मूवमैंट के दुष्परिणामों के कारण ही अलटीमेटली उसी सरकार को अपना वह निर्णय वापिस लेना पड़ा था इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक इस विषय पर जनमत नहीं बनता और इसमें हमें जनता का पूर्ण सहयोग नहीं मिलता तब तक हम अपनी तरफ से इसमें कोई पहल नहीं कर सकते। जब तक लोगों की ओर से इस प्रकार की आवाज़ नहीं आती तब तक सरकार इस मामले में अपनी तरफ से कोई भी पहल नहीं करेगी। अगर हम सदेच्छा से उस दिशा में कोई ऐसा काम करेंगे जिसको जनता पसंद नहीं करती हो तो वह उसके लिए कोई न कोई और रास्ते खोज लेगी। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसी कॉम्पलीकेटिड प्रॉब्लम है जिसको ग्राउंड लैवल पर हल करने में काफी कठिनाईयां आती हैं। इस समस्या के समाधान के बारे में कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमने कहा है कि जब तक ग्राम पंचायत या ग्राम सभा इस बारे में लिखकर नहीं देती है तब तक हम इस मामले में सीधे सरकार के स्तर पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे। मेरा यही कहना है कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के स्तर पर इस मामले को परस्यू तो करना ही पड़ेगा उसके बाद ही सरकार आगे की कार्यवाही को अंजाम देगी। अगर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा इस सम्बन्ध में अपनी सहमति के बारे में लिखकर न दे और हम एकतरफा आदेश कर दें तो उसके दुष्परिणाम ही निकलकर सामने आयेंगे। अगर कोई ग्राम पंचायत अपनी ओर से यह लिखकर देगी कि उनके गांव में शराब का ठेका खुलना ही नहीं चाहिए तो वहां पर शराब का कोई भी ठेका नहीं खोला जायेगा। मैं गांव के अंदर शराब के ठेके बंद करने की बात कह रहा हूं। जिस प्रकार से एजूकेशन्ल इंस्टीच्यूशंज और धार्मिक संस्थानों के पास शराब के ठेकों को नहीं खोला जाता उसी प्रकार से हम किसी गांव के अंदर भी शराब के ठेके को नहीं खोलते। हम दो गांवों के बीच की आवश्यक दूरी को तय करके ही गांवों के बाहर ठेका खोलने का निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार से हमने अपने घोषणा–पत्र में

कैंसर रोगियों के बारे में भी एक बात कही थी कि हम कैंसर रोगियों और उनके एक सहायक को बस में फ्री ट्रैवलिंग की फैसिलिटी देंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम इसकी नोटिफिकेशन भी अगले सप्ताह कर देंगे। इसी प्रकार से यहां पर पराली को जलाने का भी एक विषय उठाया गया था। यह मुझे मालूम है कि यह समस्या भी अपने आप में एक ऐसी समस्या बन गई है जिसके न तो पक्ष में कुछ बोला जा सकता है और न ही विपक्ष में ही कुछ बोला जा सकता है। मैं यह मानता हूं कि कोई भी नहीं चाहेगा कि प्रदूषण हो। जिस प्रकार की परिस्थितियां एन.सी.आर. और दूसरे बड़े शहरों में प्रारम्भ होती हैं और बाद में सारे क्षेत्र में फैलती हैं वे निश्चित रूप से बहुत ही गम्भीर हैं। दो दिन पहले हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं था जहां पर ए.क्यू.आई. का स्तर 400 न हो। सभी जगह ए.क्यू.आई. का लैवल 400 से ऊपर था। केवल यमुनानगर जिला ही एकमात्र ऐसा जिला है, जहां पर ए.क्यू.आई. का स्तर 376 या 396 था। इसके अलावा सभी जिलों में ए.क्यू.आई. का लैवल 400 से ऊपर था। यह बात भी सही है कि एक–दो दिन के बाद ए.क्यू.आई. का लैवल कुछ कम हुआ है। मैं भी यह मानता हूं कि केवल पराली को जलाने से ही ऐसा हुआ है ऐसी बात भी नहीं है। कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। आलोचना करने वाले कुछ भी कह सकते हैं। मेरा यह मानना है कि पराली जलाने का असर तो मात्र 18 से 20 परसैंट होता है जबकि 80 परसैंट असर तो दूसरी चीज़ों का है लेकिन चूंकि इस प्रकार की एक धारणा बन गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी. इत्यादि सभी इसमें लगे हुए हैं। इसके लिए कल भी माननीय सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी. द्वारा आसपास की 6 स्टेट्स के चीफ सैक्रेटरीज़ को दिल्ली में बुलाया हुआ है। इस मामले में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का इतना सख्त रूप देखा है कि हमारी चीफ सैक्रेटरी ने यह कह दिया कि हमारी विधान सभा का सैशन चल रहा है इसलिए मैं 06 तारीख को उनके द्वारा बुलाई गई मीटिंग में नहीं आ सकती। इसके बाद वहां से यह मौखिक डॉयरैक्शन आ गई कि विधान सभा के सत्र को आगे बढ़ा दिया जाये लेकिन उनके द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई है उसको जरूर अटैंड किया जाये। इस प्रकार से कल हमारी चीफ सैक्रेटरी माननीय सुप्रीम कोर्ट और एन.जी.टी. द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जायेंगी। मेरा यह भी कहना है कि हरियाणा प्रदेश में हमने काफी हद तक इस समस्या पर काबू पाया भी है। अभी तक जितने भी नासा और हरसेक (हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सैंटर) द्वारा

सैटेलाईट के जरिये लिए गये चित्र सामने आये हैं उन सभी में हरियाणा में यह समस्या बहुत ही कम मात्रा में दर्शायी गई है यानि कुल मिलाकर 25 सितम्बर, 2019 से लेकर 02 नवम्बर, 2019 तक लगभग डेढ़ महीने में ऐसी कुल 4341 एक्टिव क्रॉप फायर लोकेशन डिटैक्ट हुई हैं। इनमें भी कैथल, करनाल, फतेहाबाद, अम्बाला, सिरसा, यमुनानगर, पलवल और कुरूक्षेत्र ये नौ जिले सबसे ज्यादा इफैक्टिड हैं। इन नौ जिलों में हमने थोड़ी–बहुत सख्ती भी बरती है ताकि लोगों में अवेयरनैस आये और वे पराली को न जलायें। इसके लिए कई तरह से सब्सिडी देने के प्रावधान भी किये गये हैं। इसके लिए हम इम्प्लीमैंट्स भी दे रहे हैं। पराली को इक्ट्ठा करके उसकी बेल बनाकर के उसकी कहीं अन्यत्र बिक्री हो जाये अर्थात उसका कहीं दूसरी उचित जगह पर उपयोग हो जाये इसके लिए भी हमारी सरकार ने पूरे प्रयास किये हैं। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि इस समस्या के सर्वमान्य स्थायी समाधान के लिए भी हमारी सरकार गम्भीरतापूर्वक प्रयासरत है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए किसानों को कोई न कोई बोनस देने का प्रावधान करें क्योंकि सरकार द्वारा जो उपाय अभी तक किये गये हैं उनसे इस समस्या का स्थायी समाधान जल्दी से निकलने वाला नहीं है इसलिए they should be given bonus ताकि वे इसका कहीं अन्यत्र इंतजाम कर सकें। आप उनको कोई मशीन नहीं दे सकते और डी कम्पोजर से भी उनको कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है because it takes two month long period for the whole process इस कारण डी कम्पोजर से भी किसानों को कोई लाभ नहीं होगा इसलिए मेरा फिर से यही कहना है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए किसानों को उचित मात्रा में बोनस दिया जाये।

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि डी–कम्पोजर पराली को दो महीने में गलाता है तो दो महीने में गलकर वह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्योर का काम करेगा जो खेत के लिए बहुत लाभप्रद है। डी–कम्पोजर से पराली को गलाने के बावजूद भी हम फसल ले सकते हैं और इससे पराली ऑटोमैटिक फर्टिलाइजर में बदल जाती है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, विषय पैसे का नहीं है कि हमने डी–कम्पोजर पर किसानों को कितनी राहत दी है। मैं भी खेती के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं

और मैं भी किसानी से सम्बन्ध रखता हूं। विषय यह है कि किसान पराली क्यों जलाता है, उसका क्या किया जाये? वह उसका उपयोग भी नहीं कर पाता है तो फिर वह पराली को कहां लेकर जाये? अगर हम बोनस के रूप में किसान को पैसा भी दे देंगे तो वह पराली का क्या करेगा? अब भी हम किसानों को पराली के निष्पादन के लिए सभी सुविधाएं दे रहे हैं। पिछले साल भी हमने 10 हजार मशीनें किसानों को दी थी और इस साल भी 10–15 हजार मशीनें और बांटी गई हैं ताकि इन मशीनों से किसान पराली के गट्ठे बनाकर उसका निष्पादन कर सकें। हम इसमें 80 प्रतिशत की सब्सिडी दे रहे हैं और ग्राम पंचायतों को भी कह रहे हैं आप कुछ चार्जिज लेकर इस काम को सिरे चढाइये। पराली के जो बेल(गट्ठे) बनते हैं वे बिक भी रहे हैं। अगले साल तक तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तरफ से वेस्ट टू बायो डीजल का एक प्लांट भी लग रहा है जिसमें पानीपत, करनाल, जीन्द और सोनीपत 4 जिलों का मैटीरियल वे इकट्ठा करेंगे। हम इस ओर बढ़ रहे हैं कि एक–एक प्लांट लगे और इस पराली का यूज हो। अम्बाला और यमुनानगर में तो जो हमारे बिजली बनाने वाले प्लांट हैं वे भी पराली खरीद रहे हैं। जहां–जहां पर पराली की खरीद शुरू हो गई है वहां पर पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। विषय यह है कि पराली का यूज क्या हो? एक तरीका तो यही है कि डी–कम्पोजर के माध्यम से उसको फर्टिलाइजर में तबदील किया जाये। दूसरा तरीका यह है कि इसके बेल बना कर उसको पॉवर जनरेशन, बायो–डीजल या इथनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाये। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि पराली का उपयोग भी हो जाये और किसान को आमदनी भी हो जाये। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं प्राइवेट स्कूलों के विषय पर अपना जवाब देना चाहूंगा। प्राइवेट स्कूलों के लिए भूमि और भवन के लिए कुछ नॉर्म्स तय किये गये हैं और जो स्कूल इन नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं उन्हीं को मान्यता देने में कठिनाई आ रही है। यह बात तो ठीक है कि हम उन नॉर्म्स को रिवाइज करेंगे और उसमें भी किसी सीमा तक ही ढील दी जा सकती है। अगर उन नॉर्म्स को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जायेगा तो यह उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उचित नहीं होगा। इसलिए जितनी भी सम्भव होगी इन मानकों पर पुनर्विचार करके और शीघ्रातिशीघ्र कुछ निर्णय लेकर कुछ स्कूलों को तो मान्यता मिल सकती है लेकिन सभी को मान्यता मिलना कठिन है। अंत में मेरा इतना ही कहना है कि हम सभी साथ मिल कर चलें। सबका

साथ–सबका विकास बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि–

जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है और कौन पीछे है,
यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ।

इसलिए सबका साथ–सबका विकास की बात को लेकर हम चले हैं। साथ चलने के लिए हम लोग एक पाठ किया करते हैं। मैं तो अपने जीवन में वह पाठ बहुत किया करता हूं और मेरे बहुत से साथी भी उस पाठ को करते हैं। अगर मैं आधी पंक्ति बोलूंगा तो बहुत से साथी उसके बारे में समझ जायेंगे। आज मैं अपना जवाब उस पाठ के साथ समाप्त करना चाहूंगा। उस पाठ का अर्थ यह है कि सब साथ मिल कर चलें, मिल कर काम और मेहनत करें, परस्पर द्वेष न करें, सभी तेजस्वी बनें। उस पाठ का नाम है–

ओउम सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु।
सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु,
मा विद्विषावहै, ओइम शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया जाए।

"कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं, जो उन्होंने आज 5 नवम्बर, 2019 को प्रातः 10.30 बजे इस सदन में देने की कृपा की है।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सभा कल दिनांक 06 नवम्बर, 2019 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

*17.25 बजे

(तत्पश्चात् सभा बुधवार, दिनांक 6 नवम्बर, 2019 को प्रातः 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)